



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2017—आषाढ़ 23, शक 1939

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरास्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. एफ 1(ए) 31-2007-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय  
समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जून 2011 द्वारा श्री के. सी. जैन, भाषुसे का कार्य  
श्री ललित शाक्यवार, भाषुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा  
अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(2) श्री के. सी. जैन, भाषुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर  
जोन छतरपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2017 तक छः दिवस अर्जित अवकाश  
अवकाश एवं दिनांक 17-18 एवं 25 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश  
के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन, भाषुसे का कार्य

श्री ललित शाक्यवार, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक,

छतरपुर जोन छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भा. पु. से. को

अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक,

छतरपुर जोन छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री के. सी. जैन, भाषुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक,

छतरपुर जोन छतरपुर, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका

(3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी

स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भाषुसे, को अवकाश  
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के

पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भाषुसे,  
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

क्र. एफ 1(ए) 108-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार के लिये बाहर जाने हेतु दिनांक 25 अप्रैल से 26 मई 2017 तक, बत्तीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 64 दिवस का अधैवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

### संशोधन

क्र. एफ 1(ए) 20-2006-ब-2-दो.—विभागीय समसंचयक आदेश दिनांक 30 मई 2017 द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश को दिनांक 12 जून से 20 जून 2017 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, भापुसे, का चालू कार्य श्री आर. के. पाठक, डिविजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.पी. कुलत्रेष्ठ, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदाम, अवर सचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017

फा. क्र. 2821-2017-इकीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9046/2008 विजय कु. गुप्ता विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 642/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री भरतलाल अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्त अभिखंडित की गई है, के अनुपालन में श्री भरत लाल अग्रवाल, नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री भरत लाल अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है।

फा. क्र. 2821-2017-इकीस-ब (दो).—राज्य शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 9043/2008 रामचरित मिश्रा विरुद्ध शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 मई 2010 तथा रिट अपील क्रमांक 643/2010 में पारित आदेश दिनांक 9 जनवरी 2017 जिसके अनुसार श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल की नोटरी के रूप में नियुक्त अभिखंडित की गई है, के अनुपालन में श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल, नोटरी, जिला उमरिया को, नोटरी के रूप में व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है और श्री मुकेश प्रसाद अग्रवाल का नाम नोटरी के रजिस्टर से हटाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामकुमार चौबे, सचिव।

### स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जून 2017

क्र. 1065-1152-2015-बीस-3.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 मई, 2007 की धारा 12 (1) (तीन) अनुसार “साधारण परिषद्” के लिये राज्य सरकार एतद्वारा महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान, भोपाल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :—

| क्र. | श्रेणी | नामांकित व्यक्ति का विवरण |
|------|--------|---------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)                       |

साधारण परिषद् :—

|   |       |                                                                                    |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | सदस्य | डॉ. राधिका प्रसाद मिश्र, आचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश। |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------|

| (1) | (2)   | (3)                                                                                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | सदस्य | श्री योगेश भोपे, प्रांत प्रमुख, मालवा प्रांत, संस्कृत भारती, अन्नपूर्णा नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश. |

(2) उपरोक्त के संबंध में महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद सिंह, उपसचिव।

### उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. एफ-9-2-2016-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 74(A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री मनोज जैन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य नामांकित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव।

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2017

क्र. एफ-3-35-2017-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2640-1-53-33-73, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973 के द्वारा धारा 13(1) में गठित मंदसौर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं।

### मंदसौर पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में— ग्राम धारियाखेड़ी, गुराडियादेदा, भुन्याखेड़ी, बोलखेड़ा, रूपावली तथा जगाखेड़ी की पूर्वी सीमा तक।

पूर्व में— ग्राम जगाखेड़ी, बोहराखेड़ा, अलावदाखेड़ी, बहादरी, चांगली, बाजखेड़ी तथा ग्राम छाजूखेड़ा की दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिण में— ग्राम छाजूखेड़ा, कायमखेड़ा, निपन्या मेघराज, अजीजखेड़ी, खिलचीपुरा, नालछा तथा ग्राम मिरजापुर की पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम में— ग्राम मिरजापुर, हैदरवास, दाऊदखेड़ी, दौलतपुर, मुल्तानपुरा, रलायता तथा ग्राम धारियाखेड़ी की उत्तरी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 07 अक्टूबर 2016

क्र.-भू-अर्जन-2016-116.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा।

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

| जिला    | तहसील        | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                              |
|---------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)          | (3)       | (4)                      | (5)                                                 | (6)                                                     |
| शाजापुर | मो. बड़ोदिया | करजू      | निजी भूमि 0.627 हे.      | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर। | करजू भवरासा मार्ग निर्माण में निजी भूमि अधिगृहत् बावत्। |

## अनुसूची (01)

(1) ग्राम करजू से भवंतासा सड़क मार्ग निर्माण हेतु

| संख्या | कृषक का नाम व पिता<br>/पति का नाम                         | खसरा<br>क्रमांक  | भूमि का कुल रकबा |         |        | अर्जित की जाने वाली भूमि<br>का विवरण |                       |                         |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|        |                                                           |                  | संचित            | अंसिचित | कुल    | संचित                                | अंसिचित               | कुल                     |
| (1)    | (2)                                                       | (3)              | (4)              | (5)     | (6)    | (7)                                  | (8)                   | (9)                     |
| 1      | चन्द्रसिंह पिता घासीराम<br>जाति खाती निवासी ग्राम<br>करजू | 93<br>94/2<br>95 | -<br>-           | -<br>-  | -<br>- | 0.122<br>0.405<br>0.00               | 0.00<br>0.00<br>0.100 | 0.122<br>0.405<br>0.100 |
|        |                                                           |                  |                  |         |        | 0.527                                | 0.100                 | 0.627                   |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किये जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 मई 2017

### सार्वजनिक सूचना

क्र.-भू-अर्जन-2017-252(2).—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014-सात-ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम कुंवरपुर खेजरा, परसोरिया तथा सिगरी कीरत में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम—खेजरा रेल्वे क्रासिंग से कोपरा एनीकट व्हाया सिमरी मार्ग का निर्माण

ग्राम का नाम—कुंवरपुर खेजरा, रकबा—0.85 है।

ग्राम का नाम—परसोरिया, रकबा 2.97 है।

ग्राम का नाम—सिमरी कीरत, रकबा 0.81 है।

## आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

| क्र.                        | भूमि-स्वामी का नाम पिता का नाम                                                       | खसरा क्र. | कुल रकबा<br>(हे.मै.) | अर्जित<br>रकबा (हे.मै.) | अन्य<br>सम्पत्ति |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------|
| (1)                         | (2)                                                                                  | (3)       | (4)                  | (5)                     | (6)              |
| <b>ग्राम—कुंवरपुर खेजरा</b> |                                                                                      |           |                      |                         |                  |
| 1                           | नहे भाई पिता पुष्टि गौड़                                                             | 196       | 0.51                 | 0.02                    | —                |
| 2                           | दयाशंकर कमल पिता झुराई कुर्मी                                                        | 195       | 0.94                 | 0.05                    | —                |
| 3                           | राजेश पिता जमना प्रसाद कुर्मी                                                        | 193       | 2.21                 | 0.02                    | —                |
|                             |                                                                                      | 228/2     | 2.47                 | 0.11                    | —                |
| 4                           | लक्ष्मन पिता बलराम कुर्मी                                                            | 191       | 0.09                 | 0.02                    | —                |
| 5                           | गोपाल पिता झुन्नी लाल कुर्मी                                                         | 207/1     | 2.81                 | 0.02                    | —                |
| 6                           | बलराम पिता भैयालाल कुर्मी                                                            | 210       | 1.07                 | 0.03                    | —                |
| 7                           | रतनलाल पिता महादेव (फौत) अभिषेक पिता<br>रतनलाल (पुत्र).                              | 214       | 0.77                 | 0.05                    | —                |
| 8                           | अमीरचंद पिता खुशाल चंद नायक                                                          | 220/1     | 1.19                 | 0.12                    | —                |
| 9                           | नंदनलाल पिता खुशाल चंद                                                               | 220/2     | 1.19                 | 0.12                    | —                |
|                             |                                                                                      | 224       | 0.22                 | 0.05                    | —                |
| 10                          | मंदिर हनुमानजी मुह. राम गोपाल पिता नंदनलाल दुबे                                      | 225       | 1.00                 | 0.09                    | —                |
| 11                          | ईश्वर प्रसाद पिता शालिगराम कुर्मी                                                    | 227       | 0.14                 | 0.05                    | —                |
| 12                          | मंदिर हनुमान जी मुह. रघुवर दास जी                                                    | 228/2     | 0.4                  | 0.05                    | —                |
| 13                          | लक्ष्मी नारायण पिता सीताराम कुर्मी                                                   | 229/1     | 0.15                 | 0.03                    | —                |
| 14                          | जीवन पिता सीताराम कुर्मी                                                             | 229/2     | 0.14                 | 0.02                    | —                |
|                             | योग . .                                                                              |           | 15.30                | 0.85                    | —                |
| <b>ग्राम—परसोरिया</b>       |                                                                                      |           |                      |                         |                  |
| 15                          | लक्ष्मी रानी पति नारायण कुर्मी                                                       | 119/1     | 1.02                 | 0.03                    | —                |
|                             |                                                                                      | 135       | 1.53                 | 0.02                    | —                |
|                             |                                                                                      | 136/1-2   | 1.01                 | 0.13                    | —                |
|                             |                                                                                      | 369/1     | 0.41                 | 0.05                    | —                |
| 16                          | मुकेश पिता छिमाधर कुर्मी                                                             | 368/1     | 0.92                 | 0.08                    | —                |
| 17                          | साधुराम पिता लटोरे अहिरवार                                                           | 367/1     | 0.68                 | 0.03                    | —                |
| 18                          | तुलसीराम पिता लटोरे अहिरवार                                                          | 367/2     | 0.6                  | 0.03                    | —                |
| 19                          | नरेन्द्र पिता लटोरे अहिरवार                                                          | 367/3     | 0.6                  | 0.03                    | —                |
| 20                          | प्रेमनारायण पिता कैलाश कुर्मी                                                        | 366       | 2.54                 | 0.32                    | —                |
| 21                          | सतरूपा पति अर्जुन कुर्मी                                                             | 365/1     | 0.93                 | 0.08                    | —                |
| 22                          | गठकरण ना. बा. पिता परसराम बली मां मीनारानी<br>बेवा परसराम कुर्मी.                    | 365/2     | 0.8                  | 0.1                     | —                |
| 23                          | शारदा बहू पति बाला प्रसाद कुर्मी                                                     | 299       | 1.08                 | 0.1                     | —                |
| 24                          | महेश पिता रामसेवक कुर्मी                                                             | 298/1-2   | 5.39                 | 0.2                     | —                |
|                             |                                                                                      | 290       | 0.65                 | 0.03                    | —                |
|                             |                                                                                      | 289/3     | 0.16                 | 0.02                    | —                |
| 25                          | कुंजीलाल पिता रागवर कुर्मी                                                           | 292       | 0.5                  | 0.07                    | —                |
| 26                          | मिहीलाल पिता मकुन्दी कुर्मी                                                          | 291/2     | 0.84                 | 0.08                    | —                |
| 27                          | मदन धर्मरूच रामप्रसाद पिता बनमाली कुर्मी                                             | 289/1-2   | 1.19                 | 0.07                    | —                |
| 28                          | टेकचन्द हरीशचंद चन्द्रशेखर पिता बनमाली कुर्मी                                        | 289/4     | 0.99                 | 0.15                    | —                |
| 29                          | प्रशांत विकास ना.बा. पिता जितेन्द्र बली व खुद मां<br>कुंतीबाई बेवा जितेन्द्र कुर्मी. | 264/3     | 0.21                 | 0.03                    | —                |

| (1) | (2)                                                                                    | (3)         | (4)   | (5)  | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----|
| 30  | दामोदर पिता चन्द्रभान कुर्मी                                                           | 140         | 0.72  | 0.12 | —   |
| 31  | रामलाल पिता झुते अहिरवार                                                               | 139         | 0.93  | 0.33 | —   |
| 32  | गुलजार पिता कुंवरमन कुर्मी                                                             | 114/4       | 0.8   | 0.15 | —   |
|     |                                                                                        | 115         | 0.2   | 0.05 | —   |
| 33  | रमेश पिता जगन्नाथ कुर्मी                                                               | 98/1        | 0.87  | 0.04 | —   |
| 34  | चिन्तामन पिता जगन्नाथ कुर्मी                                                           | 116         | 0.11  | 0.05 | —   |
|     |                                                                                        | 117         | 0.23  | 0.03 | —   |
|     |                                                                                        | 98/2        | 0.39  | 0.06 | —   |
|     |                                                                                        | 118/1       | 0.63  | 0.06 | —   |
| 35  | नंदराम पिता जगन्नाथ कुर्मी                                                             | 105/2       | 0.74  | 0.03 | —   |
| 36  | धनीराम पिता जगन्नाथ कुर्मी                                                             | 105/1       | 0.74  | 0.03 | —   |
| 37  | आशाराम पिता नस्थू काढी                                                                 | 106         | 0.16  | 0.02 | —   |
|     |                                                                                        | 107         | 0.54  | 0.07 | —   |
| 38  | सियारानी बेवा महादेस, घनश्याम, ईश्वरदास कलू भरत पिस. महादेव सुहागरानी बेवा लोकमन काढी. | 108         | 2.13  | 0.05 | —   |
| 39  | रामदीन पिता भागीरथ कुर्मी                                                              | 118/8       | 0.32  | 0.02 | —   |
| 40  | ननू पिता गोरेलाल बसोर                                                                  | 118/2       | 0.18  | 0.02 | —   |
| 41  | जानकी बाई उर्फ जानकीरानी पति रामसेवक कुर्मी                                            | 118/6       | 0.82  | 0.12 | —   |
| 42  | मस्तराम पिता भागीरथ कुर्मी                                                             | 114/1       | 0.49  | 0.04 | —   |
|     |                                                                                        | 114/5       | 1.2   | 0.03 | —   |
|     |                                                                                        | कुल योग . . | 34.25 | 2.97 | —   |

## ग्राम—सिमरी कीरत

|    |                                                                                                                   |             |      |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---|
| 43 | गडकरण ना. बा. पिता परसराम बली व खुद मां मीनारानी बेवा परसराम किशोरीलाल पिता मोतीलाल शारदाबाई पिता मोतीलाल कुर्मी. | 37          | 0.75 | 0.06 | — |
| 44 | भगवान दास पिता किशोरीलाल गडकरण ना. बा. पिता परसराम पल्ली व खुद मां मीनारानी बेवा परसराम कुर्मी.                   | 43          | 1.21 | 0.02 | — |
|    |                                                                                                                   | 44          | 0.24 | 0.08 | — |
| 45 | राजा उर्फ खरगराम ना. बा. पिता भगवानदास पल्ली आजी राधिका रानी पति किशोरीलाल कुर्मी.                                | 38/1        | 0.79 | 0.03 | — |
| 46 | राजाराम पिता दामोदर कुर्मी                                                                                        | 38/2        | 0.11 | 0.01 | — |
|    |                                                                                                                   | 40          | 0.08 | 0.01 | — |
|    |                                                                                                                   | 45          | 0.39 | 0.05 | — |
|    |                                                                                                                   | 117         | 0.67 | 0.05 | — |
|    |                                                                                                                   | 119         | 0.33 | 0.12 | — |
| 47 | विष्णु प्रसाद पूरना कुर्मी                                                                                        | 110/1       | 0.89 | 0.12 | — |
| 48 | मंदिर श्री देव शंकरजी वाके मौजा देह मुह. राजाराम पिता दामोदर कुर्मी.                                              | 118         | 3.06 | 0.24 | — |
|    |                                                                                                                   | कुल योग . . | 9.03 | 0.81 | — |

क्र.-क-भू-अर्जन-2017-252(1).—राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म. प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12-2-2014-सात-ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र “ख” में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11(1) के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा:—

#### सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

**योजना का नाम—झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण**

**ग्राम का नाम—रायपुर**

**रकबा—0.98 हेक्टर.**

#### आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

| क्र.                | भूमि-स्वामी का नाम पिता नाम                                                     | खसरा क्र. | कुल रकबा<br>(हे.मे.) | अर्जित<br>रकबा (हे.मे.) | अन्य<br>सम्पत्ति |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------|
| (1)                 | (2)                                                                             | (3)       | (4)                  | (5)                     | (6)              |
| <b>ग्राम रायपुर</b> |                                                                                 |           |                      |                         |                  |
| 1                   | श्रीदेव जगदीश स्वामीजी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी<br>प्यासी मंदिर.                    | 67        | 0.46                 | 0.06                    | —                |
| 2                   | सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकुंद अग्रवाल                                      | 65        | 0.45                 | 0.11                    | —                |
| 3                   | जगदीश पिता भगवान                                                                | 47/3      | 0.36                 | 0.06                    | —                |
| 4                   | मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी<br>अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर. | 4         | 15.8                 | 0.31                    | —                |
| 5                   | वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन                                                      | 23/3      | 0.2                  | 0.05                    | —                |
| 6                   | शालगराम पिता अवधिविहारी                                                         | 20        | 2.06                 | 0.02                    | —                |
| 7                   | रामरत्न गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी                                   | 22/1      | 1.42                 | 0.13                    | —                |
| 8                   | अजुद्धी पिता गोपी सेन                                                           | 22/2      | 1.45                 | 0.12                    | —                |
| 9                   | जगदीश पिता भगवानदास                                                             | 21/1      | 0.49                 | 0.12                    | —                |
| कुल योग . .         |                                                                                 |           | 22.69                | 0.98                    | —                |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

#### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचिन अधिकारी (मण्डी) टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्र. स्था.निर्वा.—मण्डी-2017-198.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, टीकमगढ़ 186 जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष के उपनिर्वाचिन 2017 में निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

| क्रमांक | निर्वाचित अध्यक्ष का नाम | पद जिसके लिये निर्वाचित हुए | पता                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| (1)     | (2)                      | (3)                         | (4)                                     |
| 1       | श्री विक्रम सिंह सोलंकी  | अध्यक्ष                     | ग्राम गुदनवारा पोस्ट समर्त जिला टीकमगढ़ |

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचिन अधिकारी.

## राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान

भद्रभदा रोड, बरखेड़ीकला, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

### संशोधन

क्र. सियेट-आधारप्रश्न. एवं परी.-25 & 26-2017-18-1163.—साधारण राजपत्र क्र. 24, दिनांक 16 जून 2017 भाग-1 विभाग प्रमुखों के आदेश के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए गये हैं। जिसमें निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

| क्र. | बैच     | विवरण<br>पृष्ठ क्रमांक एवं पैरा | टंकन त्रुटिपूर्ण                                                        | संशोधित                                                                 |
|------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)     | (3)                             | (4)                                                                     | (5)                                                                     |
| 1    | प्रथम   | 3753-2                          | प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम,<br>अधिनियम एवं योजनाएं<br>(पुस्तकों सहित). | प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम,<br>अधिनियम एवं योजनाएं<br>(पुस्तकों रहित). |
| 2    | प्रथम   | 3756-2                          | प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी.<br>(पुस्तकों सहित).                       | प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी.<br>(पुस्तकों रहित).                       |
| 3    | द्वितीय | 3770-2                          | प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम,<br>अधिनियम एवं योजनाएं<br>(पुस्तकों सहित). | प्रश्नपत्र-कृषि संबंधी नियम,<br>अधिनियम एवं योजनाएं<br>(पुस्तकों रहित). |
| 4    | द्वितीय | 3773-2                          | प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी.<br>(पुस्तकों सहित).                       | प्रश्नपत्र-प्रबंधन एवं आई.टी.<br>(पुस्तकों रहित).                       |

संचालक.

## कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

### संशोधन

क्र. एफ-275-पंजीयन-2689-2017.—परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की मतदाता सूची जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित हुई है उसमें कुछ पृष्ठों का प्रकाशन नहीं हो पाया है:—

पृष्ठ क्रमांक 2649 पर सरल क्रमांक 27290 से 27300 की सूची प्रकाशित है जो कि पुनः पृष्ठ क्रमांक 2650 पर प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 27301 से 27314 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है।

पृष्ठ क्रमांक 2775 पर सरल क्रमांक 28720 से 28732 की सूची प्रकाशित हो गयी है तथा सरल क्रमांक 28733 से 28745 तक की सूची प्रकाशित नहीं हो पायी है।

### संशोधित सूची निम्नानुसार है:—

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित सूची में अप्रकाशित 15 अप्रैल 2015 से 27301 से 27314 तक संशोधित सूची

### पूजा शुक्ला, प्रभारी रजिस्ट्रार

| S. N. | REGISTRATION NUMBER                   | FATHER'S NAME                                                   | ADDRESS | CAST                                                    | UNIVERSITY/COUNCIL II                                                                | COURSE                                  | PASSING YEAR | FEES   | DATE OF BIRTH | AGE     | PLACE OF PRECITI S | REGISTRATION DATE | PLACE |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|---------------|---------|--------------------|-------------------|-------|
| 27301 | एसरीएच-27<br>/डिस्ट्री/273<br>01 / 15 | मनोज कुमार<br>मेहराम/संवकरा<br>परेशीला, तह नारो<br>निला-बालाघाट | SC      | मध्य<br>सह-चिकित्सीय<br>परिषद।                          | बालाघाट<br>ऐसोसिएटी-इस्टी.<br>बालाघाट                                                | DMLT                                    | 26/06/2014   | 1700/- | 07-07-1991    | 26      | बालाघाट            | 15.04.2015        | भोपाल |
| 27302 | एसरीएच-36<br>/डिप्लॉ/ 273<br>02 / 15  | पवन कुमार<br>नंदन/टेक<br>लाल नवा                                | OBC     | रानी<br>उडाकवीरी<br>विधि                                | स्वयं रिक्विझन<br>इस्टी मंडिला<br>जबलपुर।                                            | DIP.D<br>PHARMA<br>AYURVEDI<br>C        | 07-03-2013   | 2600/- |               |         | मंडिला             | 15.04.2015        | भोपाल |
| 27303 | एसरीएच-23<br>/सर्ट/ 2730<br>3 / 15    | रेखा<br>पटेल/बबू<br>लाल ठाकर                                    | OBC     | मध्यसह<br>चिकित्सीय<br>परिषद शोपाल।                     | साईं<br>परमेश्विल<br>कालेज बैहर                                                      | AYU.COM                                 | 07-10-2014   | 1200/- | 17/11/1978    | 37 Year | बालाघाट            | 15.04.2016        | भोपाल |
| 27304 | एसरीएच-23<br>/सर्ट/ 27304<br>/ 15     | धनेश<br>विसेन/राम<br>विसेन                                      | OBC     | मध्यसह<br>चिकित्सीय<br>परिषद शोपाल।                     | यशपाल<br>परमेश्विल<br>साइंस सिक्की                                                   | CERT.AY<br>U.COM.                       | 07-10-2014   | 1200/- | 02-03-1992    | 23 Year | बालाघाट            | 15.04.2015        | भोपाल |
| 27305 | एसरीएच-17<br>/सर्ट/ 27305<br>/ 15     | आदर्श कुमार<br>कुमार शुक्ला                                     | SC      | मानन नं.1050<br>मेहरीकी तह<br>वारासिकरी<br>निला बालाघाट | मध्य<br>सह-चिकित्सीय<br>परिषद।                                                       | CERT.<br>OPERATI<br>ON<br>THEA.TEC<br>H | 10/07/2014   | 1200/- | 07-09-1994    | 22 Year | निरंक              | 15.04.2015        | भोपाल |
| 27306 | एसरीएच-35<br>/सर्ट/ 27306<br>/ 15     | सुषमा<br>कुमार दिवेदी/सरीष<br>कुमार दिवेदी                      | UR      | मध्य<br>सह-चिकित्सीय<br>परिषद।                          | ग्राम बहुला<br>निलगढ़ दीला<br>परस्त बहुला<br>थाना पवार<br>लांक जवा<br>जिला शिवा मध्य | CERT.PAN<br>CHAKARM<br>A TECH.          | 11 aug 2014  | 1200/- | 05-01-1992    | 24      | शिवा               | 15.04.2015        | भोपाल |
| 27307 | एसरीएच-35<br>/सर्ट/ 27307<br>/ 15     | संतीता<br>पटेल/वृंदा<br>पटेल                                    | OBC     | मध्य<br>सह-चिकित्सीय<br>परिषद,<br>मोपाल                 | ग्राम पोस्ट<br>कुमारी लौक<br>उरहट सिंह                                               | CERT.PAN<br>CHAKARM<br>A TECH.          | 11 aug 2014  | 1200/- | 05/04/1992    | 23      | संदीपी             | 15.04.2015        | भोपाल |

|       |                                     |                                                 |                                                         |                 |                                            |                                                          |                             |                      |                       |       |            |            |       |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------|------------|------------|-------|
| 27308 | एससीएच-04 स<br>१/सर्ट/ 2730<br>8/15 | विशाली<br>कावरे / संजीव<br>कावरे                | 34 / 48 हुल्ली<br>मुख्यमंडली<br>जिला-इंदौर              | 0bc             | मध्य सह-विकितसीय<br>गांधी स्मृति<br>परिषद। | स्वास्थ्यी महात्मा<br>गांधी स्मृति<br>शिक्षणाली<br>इंदौर | CERT.<br>ANAEST.T<br>ECH    | 20/06/2014<br>1200/- | 27/06/1995<br>20 Year | इंदौर | 15.04.2016 | भोपाल      |       |
| 27309 | एससीएच-04 स<br>१/सर्ट/ 2730<br>9/15 | रोशनी<br>मातवीय / जगद<br>श भाववीय               | 173 / 5<br>तमुनार<br>जिला-इंदौर                         | 0bc             | मध्य सह-विकितसीय<br>गांधी स्मृति<br>परिषद। | स्वास्थ्यी महात्मा<br>गांधी स्मृति<br>शिक्षणाली<br>इंदौर | CERT.<br>ANAEST.T<br>ECH    | 20/06/2014<br>1200/- | 13-03-1995<br>20 Year | इंदौर | 15.04.2016 | भोपाल      |       |
| 27310 | एससीएच-04 स<br>१/सर्ट/ 2731<br>0/15 | दीपक<br>राठोर / मुख्यमंडली<br>तीर               | ई.उबदू एस<br>नगर देवास                                  | 475 विजय<br>नगर | मध्य सह-विकितसीय<br>गांधी स्मृति<br>परिषद। | स्वास्थ्यी महात्मा<br>गांधी स्मृति<br>शिक्षणाली<br>इंदौर | CERT.<br>ANAEST.T<br>ECH    | 20/06/2014<br>1200/- | 08/11/2993<br>21 Year | इंदौर | 15.04.2015 | भोपाल      |       |
| 27311 | एससीएच-04 स<br>१/सर्ट/ 2731<br>1/15 | मोता<br>चौहान / उद्योग<br>स चौहान               | 362 / 2<br>यादवनद नगर                                   | SC              | मध्य सह-विकितसीय<br>गांधी स्मृति<br>परिषद। | स्वास्थ्यी महात्मा<br>गांधी स्मृति<br>शिक्षणाली<br>इंदौर | CERT.<br>ANAEST.T<br>ECH    | 20/06/2014<br>1200/- | 11-11-1991<br>23 Year | इंदौर | 15.04.2015 | भोपाल      |       |
| 27312 | एससीएच-26<br>/हिन्तो/ 273<br>12/15  | रवि कुमार<br>पांडेय / नरेन्द्र<br>प्रसाद पांडेय | ग्राम कर्नौली<br>पोट कर्नौल<br>तहसील हुडूर<br>जिला रीवा | UR              | अख्याप्रताप<br>सिंह विठ्ठल<br>रीवा         | एसएस ऐक्यवाल<br>कालेज रीवा                               | DIP. IN<br>MICROBIO<br>LOGY | 13-03-2007<br>3200/- | 07-08-1984<br>30      | निक   | 15.04.2015 | भोपाल      |       |
| 27313 | एससीएच-<br>/27313                   | निरस                                            |                                                         | निरस            |                                            |                                                          |                             |                      |                       |       |            | 15.04.2015 | भोपाल |
| 27314 | एससीएच-14<br>/सर्ट/ 27314<br>/15    | सोहन सिंह<br>कटारे /<br>सीताराम कटारे           | गांव गोडकुवा<br>पोट कुर्दी मठ<br>इंदौर                  | ST              | मध्य सह-विकितसीय<br>गांधी स्मृति<br>परिषद। | एमजीएम<br>सह-विकितसीय<br>मेडिकल<br>कालेज इंदौर           | CERT. IN<br>ECG TECH.       | 03-02-2009<br>2700/- | 24-03-1984<br>31      | इंदौर | 15.04.2015 | भोपाल      |       |

मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 मई 2017 में प्रकाशित रूपी में अप्रकाशित 05 नवम्बर 2015 संकेत 20733 से 20745 तक संशोधित रूपी

|       |                                  |                                              |                                                      |     |                                             |                                                           |           |                      |                  |          |           |       |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|----------|-----------|-------|
| 28733 | एससीएच-01<br>/हिंग/ 287<br>33/15 | मनोज<br>सतेश्वरा / जग<br>दीप चंद<br>सतेश्वरा | नियंत्रण<br>प्रेस वार्ड नं.<br>21<br>बालाघाट मा.प्र. | OBc | बरकत उल्लाह<br>विश्वविद्यालय<br>कालेज भोपाल | शासीव गांधी<br>कालेज भोपाल                                | BPT       | 07-09-2007<br>3700/- | 28-04-1983<br>32 | बालाघाट  | 05-Nov-15 | भोपाल |
| 28734 | एससीएच-23<br>/सर्ट/ 28734<br>/15 | गायत्री<br>कटार /मुना<br>लाल विसोरेशा        | ग्राम गोदाम के<br>पीछे कर्जा<br>हेशगावाल मा.प्र.     | OBc | फ़्रेडरा<br>सह-विकितसीय<br>परिषद            | मुक्ता एक्यवाल<br>आर<br>प्रायोगिकल<br>साइ-सेस<br>हेशगावाल | AYU. COM. | 10-Jul-14<br>1700/-  | 05-08-1980<br>35 | हेशगावाल | 05-Nov-15 | भोपाल |
| 28735 | एससीएच-23<br>/सर्ट/ 28735<br>/15 | अंकित<br>नारायण                              | ग्राम देवता<br>पोस्ट लफड़ा<br>तहसील विधिा जिला       | OBc | स्वप्रदेवा<br>सह-विकितसीय<br>परिषद          | स्वयं विद्व<br>आर्मेडिकल<br>टेक्ना. माझ्या                | AYU. COM. | 10-Jul-14<br>1700/-  | 01-07-1993<br>22 | माझ्या   | 05-Nov-15 | भोपाल |

| 28736 | एसटीएच-27 /डिलो /36 /15   | निखलेश कुमार प्रजापति       | कुमार गदायन बडा, करेला रोड संत चिदवास वार्ड जिला सारांग मार. | OBC | डॉ हरितिहारी गोर लिंगो सारांग | गुरुभिष्टी औफ पैराम, टेका. सारांग                     | DMLT                | 16-Sep-14  | 1700/- | 25-09-1988 27 निरक 05-Nov-15 भोपाल   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|--------------------------------------|
| 28737 | एसटीएच-27 /डिलो /37 /15   | सोना अहिलार /डिलो /38 /15   | गुलाब होटल गती नं. 1 सुमाष नार वार्ड सारांग मार.             | SC  | डॉ हरितिहारी गोर लिंगो सारांग | गुरुभिष्टी औफ पैराम, टेका. सारांग                     | DMLT                | 16-Sep-14  | 1700/- | 15-03-1989 26 निरक 05-Nov-15 भोपाल   |
| 28738 | एसटीएच-27 /डिलो /38 /15   | पूजा मार्य/सनोहर लाल        | सेमरा बाग बराळ सारांग मार.                                   | OBC | डॉ हरितिहारी गोर लिंगो सारांग | गुरुभिष्टी औफ पैराम, टेका. सारांग                     | DMLT                | 16-Sep-14  | 1700/- | 26-06-1991 25 निरक 05-Nov-15 भोपाल   |
| 28739 | एसटीएच-27 /डिलो /39 /15   | ज्ञा चौधरी/चौरील लाल        | एफ 2 सुदर तगर बुखाराम मार.                                   | OBC | देवी अहिला लिंगो इंदौर।       | प्र० बूज महेन निशा इस्टी. औफ मेडिकल एण्ड टेका. साइंसस | BMLT                | 07-07-2012 | 3700/- | 15-06-1989 26 निरक 05-Nov-15 भोपाल   |
| 28740 | एसटीएच-27 /डिलो /40 /15   | आरसी नदीन सुविंधा           | 33 मरठी मोहल्ला सदर बाजार इंदौर मार.                         | SC  | देवी अहिला लिंगो इंदौर।       | इंदौर इस्टी. औफ मेडिकल साइंस इंदौर                    | DMLT                | 04-09-2014 | 1700/- | 16-06-1989 26 इंदौर 05-Nov-15 भोपाल  |
| 28741 | एसटीएच-17 /सटी /28741 /15 | जितेन्द्र व्यास /सेती व्यास | विलेन सांगवाल हालोद जिला इंदौर मार.                          | UR  | क्षयप्रदेश सह-चिकित्सिय परिषद | श्री अविन्दु इस्टीट्यूट ऑफ O.T. TECH. मेडिकल साईंस    | CERT. IN            | 10-Jul-14  | 1200/- | 24-04-1990 25 इंदौर 05-Nov-15 भोपाल  |
| 28742 | एसटीएच-35 /सटी /28742 /15 | भारती न. 15 न. प्रसाद आरिया | गाँव नं. 15 लेखाई रेड नेलुर गाडला मार.                       | SC  | क्षयप्रदेश सह-चिकित्सिय परिषद | स्वयं लिंद इस्टी. औफ पैरामेडिकल टेका. माडला           | cert. in panchkarma | 10-Jul-14  | 1700/- | 09-05-1988 25 मण्डला 05-Nov-15 भोपाल |
| 28743 | एसटीएच-35 /सटी /28743 /15 | राणी यादव /चिकुम र. यादव    | ग्राम तिलाई तहसील नेलुर जिला माडला मार.                      | OBC | क्षयप्रदेश सह-चिकित्सिय परिषद | स्वयं लिंद इस्टी. औफ पैरामेडिकल टेका. माडला           | cert. in panchkarma | 10-Jul-14  | 1700/- | 21-06-1994 21 मण्डला 05-Nov-15 भोपाल |
| 28744 | एसटीएच-23 /सटी /28744 /15 | सोनम साहू/सचावाम साहू       | एट पर्स बखरी जिला तिली मार.                                  | OBC | क्षयप्रदेश सह-चिकित्सिय परिषद | मानकी एकाडमी ऑफ पैरामे. स्टडीज टिक्नी                 | AYU. COM.           | 10-Jul-14  | 1700/- | 08-10-1990 25 सिवनी 05-Nov-13 भोपाल  |
| 28745 | एसटीएच-23 /सटी /28745 /15 | समीना खान/अब्दुल खालिक      | एट धरां पोस्ट बराट जिला तिली मार.                            | UR  | क्षयप्रदेश सह-चिकित्सिय परिषद | मानकी एकाडमी ऑफ पैरामे. स्टडीज टिक्नी                 | AYU. COM.           | 10-Jul-14  | 1700/- | 02-04-1990 25 सिवनी 05-Nov-15 भोपाल  |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश, एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/ भू-अर्जन-2017-77-78

शाजापुर, दिनांक 5 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर/भू अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में कर सकेगा:-

### अनुसूची (01)

| जिला    | तहसील    | ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | धारा 12 के अंतर्गत<br>प्राधिकृत अधिकारी            |                                         | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन |
|---------|----------|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|         |          |        |                                  | 1                                                  | 2                                       | 3                             |
| शाजापुर | शुजालपुर | दुग्धा | 0.476                            | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर | ग्राम दुग्धा से लाहरखेड़ा मार्ग निर्माण |                               |

### अनुसूची (02)

| क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम                                                                | खसरा क्र. | भूमि का कुल रकबा |         |       | अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण |         |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-------|-----------------------------------|---------|-------|
|      |                                                                                              |           | सिंचित           | असिंचित | कुल   | सिंचित                            | असिंचित | कुल   |
| 1    | 2                                                                                            | 3         | 4                | 5       | 6     | 7                                 | 8       | 9     |
| 1    | कमलसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                                         | 91/2      | 0.826            | -       | 0.826 | 0.084                             | -       | 0.084 |
| 2    | एलमसिंह पिता चंदरसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                                         | 91/1      | 0.826            | -       | 0.826 | 0.073                             | -       | 0.073 |
| 3    | रामसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                                         | 93/2 min2 | 1.258            | -       | 1.258 | 0.134                             | -       | 0.134 |
| 4    | परवतसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                                        | 93/2 min1 | 0.886            | -       | 0.886 | 0.134                             | -       | 0.134 |
| 5    | केशरसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                                        | 93/2 min3 | 1.258            | -       | 1.258 | 0.010                             | -       | 0.010 |
| 6    | देवकरण, राजकुमार, रामनाथ पिता हुकुमसिंह, धापूबाई वि.हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी | 93/3      | 0.105            | -       | 0.105 | 0.010                             | -       | 0.010 |
| 7    | रामबाबू उर्फ पिंटू द.पु.बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.भूमिस्वामी                               | 96/5      | 0.732            | -       | 0.732 | 0.031                             | -       | 0.031 |
|      |                                                                                              |           | -                | -       | -     | Total                             | 0.476   | 0.476 |

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ भू-अर्जन-2017-79-80

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना की अनुसूची क्रमांक 1 लगायत 2 में वर्णित भूमि की अनुसूची क्रमांक 1 के खाने 6 में बताये गय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि निम्नानुसार भूमि की निम्नांकित लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

## अनुसूची (01)

| अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण |          |                      |                               | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी               | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                        |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| जिला                              | तहसील    | ग्राम                | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |                                                    |                                                   |
| 1                                 | 2        | 3                    | 4                             | 5                                                  | 6                                                 |
| शाजापुर                           | कालापीपल | निपानिया हिसामुद्दीन | 6.046 निजी 8.277 शासकीय       | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर | अरनियाकलों से कालापीपल व्हाया अकोदी मार्ग निर्माण |

## अनुसूची (02)

| क्र. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम                                                                                                            | खसरा क्र.                        | अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण |         |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|
|      |                                                                                                                                          |                                  | सिंचित                            | असिंचित | कुल          |
| 1    | 2                                                                                                                                        | 3                                | 4                                 | 5       | 6            |
| 1    | नगीनसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                   | 350/2/1, 352/2/1, 358/435, 358/5 | 0.121                             | -       | 0.121        |
| 2    | अमरसिंह हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1/2 व गोरखनसिंह पिता सूरजसिंह हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                   | 492                              | 0.030                             | -       | 0.030        |
| 3    | लालसिंह, गीताप्रसाद, मोहनसिंह पिता मांगीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                              | 493/1                            | 0.015                             | -       | 0.015        |
| 4    | जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                      | 363/3/3, 363/4/3                 | 0.245                             | -       | 0.245        |
| 5    | जगदीश पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                       | 364                              | 0.150                             | -       | 0.150        |
| 6    | दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                   | 363/3/1, 363/4/1                 | 0.245                             | -       | 0.245        |
| 7    | करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                    | 363/3/2, 363/4/2                 | 0.245                             | -       | 0.245        |
| 8    | मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                     | 362                              | 0.370                             | -       | 0.370        |
| 9    | मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                     | 366/1                            | 0.053                             | -       | 0.053        |
| 10   | समन्दरसिंह पिता कनीराम जाति राजपूत नि. अकोदी कृषक ग्राम निपानिया हिसामुद्दीन                                                             | 495/1, 497/1                     | 0.080, 0.150                      | -       | 0.080, 0.150 |
| 11   | अमरसिंह पिता मन्दस्पसिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी शा.नं                                                                                       | 479, 482                         | 0.100                             | -       | 0.100        |
| 12   | कुंजीलाल पिता बालामुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                            | 481/1                            | 0.021                             | -       | 0.021        |
| 13   | कुंजीलाल पिता बालामुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                            | 494/1                            | 0.210                             | -       | 0.210        |
| 14   | मोहनलाल पिता बापूलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                     | 494/2, 494/4 495/2               | 0.150                             | -       | 0.150        |
| 15   | हुकुमसिंह, विकमसिंह, बालिग एलमसिंह ना.बा. चन्द्रनसिंह सर.पर. हुकुमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम                                              | 494/3 mn.1 503/2                 | 0.100                             | -       | 0.100        |
| 16   | अशोककुमार पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम अरनियाकला भूमिस्वामी                                                                          | 153                              | 0.050                             | -       | 0.050        |
| 17   | कैलाश पिता रामचरण जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                        | 154/2                            | 0.060                             | -       | 0.060        |
| 18   | आत्मराम पुत्र काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केदारसिंह पिता जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियाकला भूमिस्वामी | 144/1                            | 0.050                             | -       | 0.050        |
| 19   | आत्मराम पुत्र काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, प्रहलादसिंह, केशरसिंह पिता जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियाकला             | 144/2                            | 0.050                             | -       | 0.050        |

| १  | भूमि-स्वामी                                                                                                                                   |                                 |                           |   |                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| 20 | किशोरसिंह पिता कन्हैयालाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी                                                                           | 143/1                           | 0.090                     | - | 0.090                     |
| 21 | आत्माराम पिता काशीराम हि.1/2 व गजराबाई विधवा जगन्नाथ, व प्रहलादसिंह, केदारसिंह पुत्र जगन्नाथ हि.1/2 जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी | 143/2/2                         | 0.070                     | - | 0.070                     |
| 22 | विकमसिंह पिता धीसीलाल व रामकन्याबाई पति विकमसिंह जाति बलाई नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार                                                           | 155/2/1/1                       | 0.070                     | - | 0.070                     |
| 23 | किशन पिता उंकर जाति बलाई नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार                                                                                             | 155/2/1/4/1                     | 0.070                     | - | 0.070                     |
| 24 | बापूलाल पिता बालाजी व सोनीबाई पति बालाजी जाति बलाई नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                        | 233/2                           | 0.080                     | - | 0.080                     |
| 25 | माडसिंह पिता बद्दीलाल जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी                                                                               | 131/1                           | 0.120                     | - | 0.120                     |
| 26 | कुन्तीलाल पिता बालमुकुन्द नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                                 | 501/1                           | 0.010                     | - | 0.010                     |
| 27 | नारायण, मुरारी पिता सुखराम जाति खाती नि.ग्राम अरनियांकलां भूमिस्वामी                                                                          | 149/3                           | 0.050                     | - | 0.050                     |
| 28 | श्रीलाल पिता भेललाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                           | 483/2                           | 0.209                     | - | 0.209                     |
| 29 | अमरसिंह, हरिनारायण पिता तेजसिंह हि.1/2 व गोरखनसिंह पिता सूरजमल हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                         | 483/4                           | 0.418                     | - | 0.418                     |
| 30 | अमरसिंह पिता तेजसिंह हि.1/2 व सममाग गोरखनसिंह पिता सूरजमल हि.1/2 जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                              | 350/1, 351                      | 0.235                     | - | 0.235                     |
| 31 | शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                     | 395/2                           | 0.052                     | - | 0.052                     |
| 32 | रुगनाथसिंह, दुर्गाप्रसाद व जितेन्द्र पिता शंकरलाल व लीलाबाई बेवा शंकरलाल जाति गाडरी नि.ग्राम सममाग भूमिस्वामी                                 | 234                             | 0.010                     | - | 0.010                     |
| 33 | तुलसीराम पिता धीराजी जाति गाडरी नि.ग्राम सममाग भूमिस्वामी                                                                                     | 234/1                           | 0.010                     | - | 0.010                     |
| 34 | इन्द्रसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                      | 350/2/2, 352/2<br>358/4, 358/5  | 0.121                     | - | 0.121                     |
| 35 | मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                          | 374                             | 0.100                     | - | 0.100                     |
| 36 | गोरखनसिंह पिता सूरजमल दोलीबाई बेवा सूरजमल व अमरसिंह पिता तेजसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                             | 376/2                           | 0.038                     | - | 0.038                     |
| 37 | मनोहरसिंह, शरदकुमार पिता रुगनाथसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                          | 377, 378                        | 0.040,<br>0.060,<br>0.100 | - | 0.040,<br>0.060,<br>0.100 |
| 38 | गोरखनसिंह पिता सूरजमल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                        | 376/1                           | 0.346                     | - | 0.346                     |
| 39 | करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                         | 365                             | 0.150                     | - | 0.150                     |
| 40 | दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                        | 366/2                           | 0.052                     | - | 0.052                     |
| 41 | गीताप्रसाद पिता दुकमचन्द्र जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                                    | 493/4, 493/5,<br>493/6          | 0.015                     | - | 0.015                     |
| 42 | दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                        | 366/3                           | 0.052                     | - | 0.052                     |
| 43 | दौलतसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                        | 366/4                           | 0.052                     | - | 0.052                     |
| 44 | हिन्दूसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमि स्वामी                                                                                      | 350/2/3, 352/2,<br>358/4, 358/5 | 0.121                     | - | 0.121                     |
| 45 | कमलसिंह पिता दौलतसिंह भगवतोसिंह पिता करणसिंह मनोहरसिंह पिता जगदीश जाति गेहलोत भाग समान भूमि स्वामी                                            | 360/4                           | 0.209                     | - | 0.209                     |
| 46 | सन्दीप चन्द्रशेखर पिता इन्द्रसिंह जाति गेहलोत नि.ग्राम भूमिस्वामी                                                                             | 352/1, 352/5,<br>358/1/2/1      | 0.150                     | - | 0.150                     |
| 47 | रम्पाबाई पति खुशीलाल गेहलोत भूमिस्वामी                                                                                                        | 355/1/4                         | 0.130                     | - | 0.130                     |
| 48 | करणसिंह पिता खुशीलाल जाति गेहलोत भूमिस्वामी                                                                                                   | 355/5                           | 0.105                     | - | 0.105                     |
| 49 | रेशमबाई पति अचाराराम जाति खाती भूमि स्वामी                                                                                                    | 152/2<br>152/3                  | -                         | - | 0.209                     |
| 50 | शंकरलाल पिता चतुरसाल जाति गेहलोत भूमि स्वामी                                                                                                  | 238                             | -                         | - | 0.060                     |
|    |                                                                                                                                               |                                 | 6,046                     | - | 6,046                     |

नोट—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क/ भू-अर्जन-2017-252 (1)

दमोह, दिनांक 23 मई 2017

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपकर्मों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अद्योसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र.12-2-2014/सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपत्ति सहमति से भूमि क्य क्य नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपकर्म लोक निर्माण विभाग दमोह को झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम रायपुर में कृषकों की निजि भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है। तथा इसके भू-स्वामी /भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र ख से सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्य क्य नीति की कंडिका 11(1) के अंतर्गत गूणि विभाग के पक्ष गें क्य क्य जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्थल के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

### सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम – झागरी वैशली करैयाराख लक्ष्मणकुटी मार्ग का निर्माण।

ग्राम का नाम – रायपुर

रकबा – 0.98 हे.

### आपसी सहमति से क्य क्य जाने वाली भूमि का विवरण

| क्र.           | भू-स्वामी का नाम पिता का नाम                                                | खसरा क्र. | कुल रकबा हे.में | अर्जित रकबा हे.में | अन्य सम्पत्ति |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------|
| ग्राम – रायपुर |                                                                             |           |                 |                    |               |
| 1              | श्रीदेव जगदीश स्वामी जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर                   | 67        | 0.46            | 0.06               | –             |
| 2              | सीताबाई उर्फ सुमनलता पति बालमुकुंद अग्रवाल                                  | 65        | 0.45            | 0.11               | –             |
| 3              | जगदीश पिता भगवानदास                                                         | 47/3      | 0.36            | 0.06               | –             |
| 4              | मंदिर श्री श्यामलाधीश जी श्री जानकीरमण जी अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी प्यासी मंदिर | 4         | 15.8            | 0.31               | –             |
| 5              | वीरेन्द्र पिता अजुद्धी सेन                                                  | 23/3      | 02.             | 0.05               | –             |
| 6              | शालगराम पिता अवधबिहारी                                                      | 20        | 2.06            | 0.02               | –             |
| 7              | रामरत्न गनेश पिता किशोरी दमयंती पुत्री किशोरी                               | 22/1      | 1.42            | 0.13               | –             |
| 8              | अजुद्धी पिता गोपी सेन                                                       | 22/2      | 1.45            | 0.12               | –             |
| 9              | जगदीश पिता भगवानदास                                                         | 21/1      | 0.49            | 0.12               | –             |
| कुल योग :-     |                                                                             |           | 22.69           | 0.98               |               |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 7 अ-82-14-15-6846

बैतूल, दिनांक 22 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूचि

(1) बैतूल जिले की तहसील भैसदेही के ग्राम कौड़िया की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि :-

| क्रमांक | खसरा नम्बर | रकबा हेठो में | अर्जन का रकबा हेठो | भूमि रखारी का नाम                                                                            |
|---------|------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2          | 3             | 4                  | 5                                                                                            |
| 1       | 233/1      | 0.696         | 0.121              | भद्र व0 अमृत गोड सा0 देह                                                                     |
| 2       | 232        | 1.093         | 0.297              | सुका व0 गडीराम गोड सा0 देह                                                                   |
| 3       | 206/6      | 0.971         | 0.288              | भोप्या व0 गुगा, मेहरा सा0 देह                                                                |
| 4       | 238/1      | 1.698         | 0.144              | चुनिया बेवा मोहना, सोजा, घम्मर, जबरसिंह, जबरु व0 मोना, रुन्दा, कुन्दा पिता मोहना गोड सा0 देह |
| 5       | 240/3      | 0.889         | 0.115              | चन्द्ररलाल व0 सम्मु गोड सा0 देह                                                              |
|         | 244/4      | 0.440         | 0.320              |                                                                                              |
| 6       | 240/2      | 0.889         | 0.041              | मुन्ना, सम्मु गोड सा0 देह                                                                    |
| 7       | 240/1      | 0.889         | 0.154              | जीरु व0 सम्मु गोड सा0 देह                                                                    |
|         | 244/1      | 0.440         | 0.082              |                                                                                              |
| 8       | 194        | 1.100         | 0.129              | लालसिंग व0 मंगल गोड सा0 देह                                                                  |
| 9       | 192        | 0.651         | 0.081              | कमला जौजे मधु मेहरा सा0 देह                                                                  |
| योग     |            |               | 1.772              |                                                                                              |

(2) कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर, एवं स्पिल चैनल हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(3) चूंकि कौड़िया जलाशय योजना के बांध, नहर एवं स्पिल चैनल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3 अ-82-15-16-6846

बैतूल, दिनांक 23 जून 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि का अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

### अनुसूचि

(1) बैतूल जिले की तहसील घोड़ाड़ोंगरी के ग्राम कटासुर की निम्नानुसार भूमिस्वामियों की भूमि :-

| कमांक          | खसरा नम्बर | रकबा हेठो में | अर्जन का रकबा हेठो | भूमि स्वामी का नाम                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | 2          | 3             | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                          |
| 1              | 29/3       | 0.537         | 0.150              | झुनिया, बिन्ना, झिंगो कलिया पति नबू गोड सा० देह                                                                                                                                                                            |
| 2              | 31         | 0.482         | 0.100              | गुण्डे व० गजमन, कज्जो बाई बेवा श्यामू रमेश, लखन, निकेश, व० श्यामू, बिस्सो, प्रमिला, पिता श्यामू गोड सा० देह                                                                                                                |
| 3              | 33         | 0.737         | 0.080              | धरमसिंह, धरमू बनवारी व० जीरू रमको पिता जीरू गोड सा० देह                                                                                                                                                                    |
|                | 54/2       | 0.283         | 0.060              |                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 55/1       | 0.413         | 0.120              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 4              | 52         | 0.769         | 0.050              | बाराती, जिराती व० उदा, बजू व० रंजीशा, रामविलास व० नान्हे, फूला बेवा कारू मकल सकल करनसिंह व० कारू, मकल, सकल, करनसिंह व० कारू गोड सा० देह                                                                                    |
|                | 53         | 2.072         | 0.100              |                                                                                                                                                                                                                            |
|                | 30         | 0.299         | 0.030              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 5              | 55/2       | 0.316         | 0.100              | बाबूलाल व० सुम्मर गोड सा० देह                                                                                                                                                                                              |
| 6              | 54/3       | 0.866         | 0.070              | दयाराम व० साबूलाल गोड सा० देह                                                                                                                                                                                              |
| 7              | 27         | 0.583         | 0.150              | सामू व० मंजू रामजी व० डोमू गोड सा० देह                                                                                                                                                                                     |
| 8              | 22         | 0.959         | 0.030              | सुगन्ती बेवा जुल्ला दिनेश, गोलू व० जुल्ला, मल्लो बेवा हज्जू, पिंकी पिता हज्जू, मुंशी व मंगल, गुन्नी, रिंगू गरीबा व० मुंगाजी, सम्मल व० मोरे, पुनू व० छोटे, कलसिया पिता डोमा माहो बेवा चुन्नी लीलावती बेवा बलदेव गोड सा० देह |
| <b>कुल योग</b> |            | <b>1.040</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                            |

(2) सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु पूरक अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(3) चूंकि सालीवाड़ा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पूरक अर्जन के लिए प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/ 14974-भू-अर्जन-2017

राजगढ़, दिनांक 23 जून 2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

| ग्राम जामोन्या गणेश |       | तहसील नरसिंहगढ़                       |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| स.क्र.              | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं० |
|                     |       | कुल                                   |
| 1                   | 2     | 3                                     |
| निजी                | भूमि  | 5.752 हें०                            |

| स0क0 | प्रभावित कृषक का नाम                          | खसरा नं०  | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि योग |
|------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1    | 2                                             | 3         | 4                | 7                 |
| 1    | फूलसिंह पिता लक्ष्मण जाती चमार                | 181/1/1/2 | 1.000            | 0.268             |
| 2    | ग्यारसा पिता शंकर जाती चमार                   | 181/1/1/3 | 1.000            | 0.252             |
| 3    | गंगाराम पिता गोपीलाल जाती चमार                | 181/1/1/4 | 1.000            | 0.142             |
| 4    | रमेश पिता मांगीलाल जाती चमार                  | 181/1/1/5 | 1.000            | 0.082             |
| 5    | कमलसिंह पिता धनीराम जाती देशवासी              | 178/3     | 0.758            | 0.213             |
| 6    | हरीप्रसाद पिता बापूलाल चमार                   | 178/2/2/3 | 0.253            | 0.200             |
| 7    | रुपसिंह पिता मूलचंद देशवासी                   | 195/1     | 1.417            | 0.083             |
| 8    | आलाराम पिता रामप्रसाद देशवासी                 | 195/2/2/1 | 2.296            | 0.273             |
| 9    | राजेश पिता कमलसिंह जाती देशवासी               | 195/2/1/2 | 0.775            | 0.058             |
| 10   | मुकेशपिता कमलसिंह जाती देशवासी                | 195/2/1/1 | 1.075            | 0.273             |
| 11   | बालाप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण देशवासी         | 195/2/2/2 | 0.253            | 0.253             |
| 12   | प्रह्लाद जुगलकिशोर पुरोहित पिता कालूराम दांगी | 201       | 2.794            | 0.415             |

|    |                                             |            |        |       |
|----|---------------------------------------------|------------|--------|-------|
| 13 | प्रेमनारायण घनश्याम पिता राधा किशन दांगी    | 202/2      | 3.029  | 0.858 |
| 14 | प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती             | 203/1/1/1  | 0.253  | 0.101 |
| 15 | रामनारायण पिता हजारी लाल खाती               | 203/1/1/2  | 0.253  | 0.101 |
| 16 | जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश                 | 203/1/2    | 0.505  | 0.135 |
| 17 | लक्ष्मीनारायण पिता गोपीलाल खाती             | 203/1/3/1  | 0.101  | 0.101 |
| 18 | मोहन लाल पिता गोपीलाल खाती                  | 203/1/3/2  | 0.101  | 0.101 |
| 19 | विष्णुप्रसाद पिता गोपीलाल खाती              | 203/1/3/3  | 0.101  | 0.101 |
| 20 | कैलाश पिता गोपीलाल खाती                     | 203/1/3/4  | 0.101  | 0.101 |
| 21 | रमेशचंद पिता गोपीलाल खाती                   | 203/1/3/5  | 0.102  | 0.102 |
| 22 | बृजकिशोर पिता बापूलाल खाती                  | 203/1/4    | 0.519  | 0.051 |
| 23 | हरिचरन पिता मोतीलाल खाती                    | 203/2      | 4.456  | 0.273 |
| 24 | घनश्याम पिता हरीप्रसाद खाती                 | 192/1/1/1  | 0.924  | 0.258 |
| 25 | ओमप्रकाश पिता मांगीलाल जाती बलाई            | 193/27/2/1 | 0.253  | 0.100 |
| 26 | गुलाबसिंह पिता धीसालाल जाती गडरी            | 191/1      | 1.550  | 0.189 |
| 27 | मुंतजबी पत्नी सैयद जकी अहमद जाती<br>मुसलमान | 191/2/1    | 2.058  | 0.303 |
| 28 | गायत्रीबाई पत्नी भगवान सिंह खाती            | 189/1/1    | 0.316  | 0.017 |
| 29 | हरीचरन राधेश्याम पिता मांगीलाल              | 189/1/2    | 0.253  | 0.075 |
| 30 | प्रेमनारायण पिता हजारी लाल खाती             | 189/2/1    | 0.142  | 0.075 |
| 31 | कैलाश पिता गोपीलाल खाती                     | 189/2/2    | 0.142  | 0.075 |
| 32 | जगदीश राधेश्याम पिता हरिवंश खाती            | 189/2/3    | 0.142  | 0.038 |
| 33 | धन्नबाई बेबा बापूलाल खाती                   | 189/2/4    | 0.143  | 0.038 |
| 34 | वसन्ती बाई पत्नि बापूलाल खाती               | 188        | 0.089  | 0.045 |
|    |                                             | 34         | 29.154 | 5.752 |

भूमि के नवशे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14975-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

**प्रकरण क्रमांक** चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में व्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "व्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्त्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पद्धरिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

| ग्राम सोनकछ |       | तहसील नरसिंहगढ़                       |     |
|-------------|-------|---------------------------------------|-----|
| स.क्र.      | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं0 |     |
| 1           | 2     | 3                                     | कुल |
| निजी        | भूमि  | 17.010 हें0                           |     |

| स0क0 | प्रभावित कृषक का नाम                                                                                            | खसरा नं0 | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित रकबा |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                               | 3        | 4                | 7             |
| 1    | रामनारायण शंभूलाल रतनलाल बनेसिंह पिता हजारी लाल                                                                 | 153      | 0.810            | 0.035         |
| 2    | गीताबाई पुत्री हजारीलाल ही ५० बड़ीलाल मदनलाल पिता किशन अनार बाई बेवा पुत्री किशन गुलाब बाई बेवा किशन ही ५० चमार | 160      | 0.038            | 0.335         |
| 3    | कंवर लाल पिता अमरा राम चरण पिता वंशी लीला बाई पुत्री हीरा बादाम बाई बेवा हीरा चमार                              | 161      | 0.443            | 0.194         |
| 4    | रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी                                                                                    | 154/1    | 0.194            | 0.300         |
| 5    | रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी                                                                                    | 162/1    | 0.379            | 0.250         |
| 6    | रामप्रसाद पिता जगन्नाथ दांगी                                                                                    | 154/2    | 0.413            | 0.030         |
| 7    | रामचरण पिता बंशीलाल चमार                                                                                        | 180      | 0.417            | 0.101         |
| 8    | रामचरण पिता बंशीलाल चमार                                                                                        | 181/2    | 0.253            | 0.025         |
| 9    |                                                                                                                 | 162/2    |                  |               |

|    |                                            |            |       |       |
|----|--------------------------------------------|------------|-------|-------|
| 8  | गंगाराम पिता गोपीलाल दांगी                 | 163        | 1.354 | 0.020 |
| 9  | श्याम लाल पिता मंशाराम दांगी               | 181/1      | 0.519 | 0.200 |
| 10 | मंशाराम पिता देवाजी दांगी                  | 159/5      | 0.447 | 0.200 |
| 11 | मंशाराम पिता देवाजी दांगी                  | 182/1      | 1.000 | 0.900 |
| 12 | मंशाराम पिता देवाजी दांगी                  | 183/1      | 0.045 | 0.025 |
| 13 | मंशाराम पिता देवाजी दांगी                  | 186/1      | 0.084 | 0.024 |
| 14 | मंशाराम पिता देवाजी दांगी                  | 188/2      | 0.033 | 0.033 |
| 15 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 159/4      | 0.448 | 0.020 |
| 16 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 182/2      | 0.644 | 0.600 |
| 17 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 183/2      | 0.045 | 0.025 |
| 18 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 186/3      | 0.084 | 0.050 |
| 19 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 187/1      | 0.367 | 0.300 |
| 20 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 188/3      | 0.033 | 0.033 |
| 21 | शिव नारायण पिता देवाजी दांगी               | 188/4      | 0.134 | 0.070 |
| 22 | जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी             | 186/2      | 0.287 | 0.065 |
| 23 | जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी             | 187/2      | 1.050 | 0.360 |
| 24 | जगन्नाथ सिंह पिता देवाजी दांगी             | 188/1      | 0.104 | 0.104 |
| 25 | धन सिंह पिता रंग लाल दांगी                 | 389/1/1    | 0.213 | 0.025 |
| 26 | धन सिंह पिता रंग लाल दांगी                 | 537/1      | 1.356 | 0.185 |
| 27 | कैलाश नारायण पिता रंगलाल जाति दांगी        | 389/2/2/11 | 0.350 | 0.065 |
| 28 | धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी             | 389/2/2/12 | 0.120 | 0.080 |
| 29 | लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल जाति दांगी       | 381/1/1    | 0.320 | 0.110 |
| 30 | धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी             | 528/5      | 0.126 | 0.060 |
| 31 | छबीलाल पिता चंपलाल जाति दांगी              | 528/6      | 0.126 | 0.020 |
| 32 | धन सिंह पिता रंगलाल जाति दांगी             | 537/3      | 0.489 | 0.185 |
| 33 | मौना पत्नी भूर्येंद्र जाति अहीर            | 376/1/1    | 0.397 | 0.227 |
| 34 | रिंकी ठाकुर पिता रतन सिंह अहीर             | 376/1/2    | 0.396 | 0.226 |
| 35 | भवरलाल पिता काल्लूराम दांगी                | 376/2/1    | 0.250 | 0.110 |
| 36 | गोकुल प्रसाद पिता काल्लूराम दांगी          | 376/2/2    | 0.250 | 0.135 |
| 37 | दुलीचंद पिता काल्लूराम दांगी               | 376/2/3    | 0.250 | 0.135 |
| 38 | बज मोहन राजेश कुमार पिता नौरंगी लाल कायस्त | 377/1/1    | 0.303 | 0.060 |
| 39 | रतन बाई नौरंगी लाल कायस्त                  | 377/2      | 1.265 | 0.320 |
| 40 | उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी         | 378/1/2    | 0.190 | 0.190 |
| 41 | उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी         | 379/2/1    | 0.058 | 0.058 |
| 42 | उमराव बाई पति शिवनारायण जाति दांगी         | 382/1/2    | 0.025 | 0.025 |
| 43 | देवराज ना .प .रामप्रसाद सा पिता .बा .      | 382/1/1    | 0.266 | 0.150 |

|    |                                                                                                                                                          |                       |                         |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|    | माता मेवाबाई पत्नी रामप्रसाद जाति दांगी                                                                                                                  |                       |                         |                         |
| 44 | राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी                                                                                                                        | 282/2                 | 0.291                   | 0.010                   |
| 45 | राम प्रसाद पिता नंदराम जाति दांगी                                                                                                                        | 379/1                 | 0.202                   | 0.150                   |
| 46 | भूरी बाई पति छवि लाल जाति दांगी                                                                                                                          | 379/2/2               | 0.132                   | 0.020                   |
| 47 | शिवनारायण पिता कालूराम मेवाबाई प्रेम बाई पुत्री कालूराम कस्तूरबाई बेवा कालूराम दांगी                                                                     | 379/4                 | 0.481                   | 0.215                   |
| 48 | गोकुल प्रसाद पिता हजारी लाल दांगी                                                                                                                        | 529/1                 | 0.750                   | 0.275                   |
| 49 | रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी                                                                                                                       | 529/2                 | 0.755                   | 0.275                   |
| 50 | रमेश चंद पिता हजारी लाल जाति दांगी                                                                                                                       | 530/3/2               | 0.448                   | 0.110                   |
| 51 | तुलसीबाई पति गोकुल प्रसाद दांगी                                                                                                                          | 530/3/1               | 0.754                   | 0.200                   |
| 52 | जयराम पिता श्री लाल दांगी                                                                                                                                | 530/2/1               | 0.922                   | 0.345                   |
| 53 | अयोध्या बाई पिता गोपी लाल दांगी                                                                                                                          | 530/2/2               | 1.012                   | 0.253                   |
| 54 | राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी                                                                                                                              | 531/1                 | 0.339                   | 0.139                   |
| 55 | राकेश पिता गुलाब सिंह दांगी                                                                                                                              | 533/2                 | 0.506                   | 0.320                   |
| 56 | नरेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दांगी                                                                                                                      | 533/1                 | 0.506                   | 0.115                   |
| 57 | रामप्पारीबाई पिता रामरत्न दांगी<br>रामनारायण पुरसोत्तम बाबूलाल पिता<br>रामनारायण गायत्री बाई सावित्री बाई पिता<br>रामनारायण गोकलबाई बेवा रामनारायण दांगी | 533/3<br>537/2<br>558 | 0.468<br>0.589<br>0.797 | 0.130<br>0.230<br>0.050 |
| 58 | मांगीलाल पिता कालू दांगी                                                                                                                                 | 540                   | 2.226                   | 0.180                   |
| 59 | विनोद कुमार पिता रंगलाल गुलकंद अनीता पिता रंगलाल केसरबाई बेवा रंगलाल दांगी                                                                               | 553                   | 0.405                   | 0.215                   |
| 60 | जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दांगी                                                                                                       | 554                   | 0.063                   | 0.013                   |
| 61 | जवाहरलाल पिता शम्भुलाल गीताबाई पिता शम्भुलाल दांगी                                                                                                       | 555                   | 0.190                   | 0.030                   |
| 62 | चंद्रलाल पिता दैजनाथ दांगी                                                                                                                               | 556/1                 | 0.379                   | 0.240                   |
| 63 | खेत संसं पचज इवरंदु जाति दांगी                                                                                                                           | 556/2                 | 0.380                   | 0.080                   |
| 64 | छबिलाल पिता रामनराय कमलबाई बेवा रामनारायण दांगी                                                                                                          | 549/1                 | 0.638                   | 0.020                   |
| 65 | रतनलाल पिता गुलाब दांगी                                                                                                                                  | 549/2                 | 0.638                   | 0.050                   |
| 66 | मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़                                                                                               | 593                   | 1.354                   | 0.600                   |
| 67 | रतनलाल पिता गंगाधर दांगी                                                                                                                                 | 594                   | 0.101                   | 0.051                   |
| 68 | दुलीचंद पिता गंगाधर दांगी                                                                                                                                | 603/2                 | 0.087                   | 0.040                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 69 | मदनलाल पिता गोपीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 603/3   | 0.172 | 0.150 |
| 70 | मांगीलाल पिता जयराम दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 603/4   | 0.173 | 0.173 |
| 71 | भवरलाल पिता देवाजी दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600/1   | 0.063 | 0.033 |
| 72 | रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकार जाती दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600/2   | 0.063 | 0.033 |
| 73 | रामचरण पिता उकार सुन्दर बाई उकार जाती दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                  | 602/3   | 0.240 | 0.220 |
| 74 | बापूलाल पिता देवा जाती दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 602/1   | 0.155 | 0.055 |
| 75 | भवरलाल पिता देवा दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 602/2   | 0.200 | 0.200 |
| 76 | सौरज बाई पिता सालगराम दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650     | 1.505 | 0.505 |
| 77 | देवा पिता नाथ हि 25 पैसे भूली बाई बैवा मांगीलाल कृष्णा बाई ललता बाई ,ना.बा०. पिता मांगीलाल स०३० माता भूली बाई , सौरज बाई बैवा मांगीलाल जितेन्द्र, विष्णु प्रसाद ,सूनिता बाई ,गुडडीबाई ,ना.बा०पिता मांगीलाल, स०३० माता सौरज बाई हि 25 पैसे, धीसालाल, मोतीलाल, रामनारायण पिता नरसंग लाल ,हि 50 पैसे जाति दांगी | 652     | 0.278 | 0.100 |
| 78 | देवराज पिता मन्नूलाल जाती दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                              | 665     | 0.581 | 0.210 |
| 79 | अमरसी रामचरण शिवप्रसाद हरी प्रसाद भानु प्रसाद पिता मोतीलाल ही ३४ पैसा आत्माराम पिता छोटेराम ही ३३ पैसे नन्नूलाल पिता हरिराम ही ३३ पैसे जाती देशवाली                                                                                                                                                          | 664     | 0.013 | 0.013 |
| 80 | दुलीचंद पिता गंगाधर दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 663/2   | 0.080 | 0.010 |
| 81 | मदनलाल पिता गोपीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 663/3   | 0.161 | 0.110 |
| 82 | जयराम पिता गोपीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 663/4   | 0.160 | 0.055 |
| 83 | हजारी लाल पिता रामा दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 662     | 0.961 | 0.641 |
| 84 | दुलीचंद पिता गंगाधर खाती                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 661/1   | 0.139 | 0.065 |
| 85 | मदनलाल पिता गोपीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 661/2   | 0.342 | 0.040 |
| 86 | मुन्नालाल पिता नरान दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 656/1   | 0.904 | 0.250 |
| 87 | रंगलाल पिता नरान दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 656/2   | 0.495 | 0.250 |
| 88 | रुकमाबाई बैवा प्रभुलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 725/1/2 | 0.308 | 0.190 |
| 89 | शिवचरण पिता लक्ष्मी नारायण दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725/1/1 | 0.126 | 0.101 |
| 90 | कन्हैयालाल, शिवचरण पिता लक्ष्मीनारायण कौशल्याबाई सुशीलाबाई पिता लक्ष्मीनारायण रोडी बाई बैवा लक्ष्मीनारायण जाती दांगी                                                                                                                                                                                         | 725/2   | 0.266 | 0.253 |
| 91 | दौलतराम पिता मांगीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 725/3   | 0.388 | 0.195 |
| 92 | आत्माराम पिता छोटेराम संपत्त बाई बैवा छोटेराम जाति देशवाली                                                                                                                                                                                                                                                   | 726     | 0.493 | 0.090 |
| 93 | शिवनारायण दयाराम पिता मोहनलाल ,जमनीबाई, गंगाबाई, रामकलांगबाई ,पुत्रीयों मोहनलाल जाति दांगी हि०समान्य                                                                                                                                                                                                         | 727/1   | 0.683 | 0.035 |
| 94 | राजराम पिता मांगीलाल दांगी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 724     | 1.556 | 0.250 |

|     |                                     |         |               |               |
|-----|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|     |                                     |         |               |               |
| 95  | भानुप्रकाश पिता मोती लाल देशवाली    | 710/2   | 0.284         | 0.015         |
| 96  | आल्माराम पिता जगन्नाथ देशवाली       | 718     | 0.670         | 0.310         |
| 97  | धीसीबाई पलि आल्माराम देशवाली        | 717     | 0.961         | 0.475         |
| 98  | सोहन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह देशवाली | 716/2   | 1.492         | 0.510         |
| 99  | कृष्णबल्लभ पिता रत्नलाल देशवाली     | 711     | 1.404         | 0.055         |
| 100 | लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल          | 712/1   | 1.063         | 0.420         |
| 101 | लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल          | 708/1/1 | 2.690         | 0.525         |
| 102 | लोकेन्द्र पिता मदनलाल कलाल          | 708/2/1 | 1.202         | 0.475         |
|     | कुल योग किता                        | 102     | <b>51.772</b> | <b>17.010</b> |

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14976-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में व्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "व्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्त्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

## अनुसूची(1)

| ग्राम बडोदिया तालाब |       | तहसील नरसिंहगढ़                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| स.क्र.              | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकम है 0 |
| 1                   | 2     | कुल 3                                |
| निजी                | भूमि  | 25.795 हे 0                          |

| स.क्र.0 | प्रभावित कृषक का नाम                                                           | खसरा नं०  | कुल भूमि का रकम | प्रभावित भूमि |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 1       | 2                                                                              | 3         | 4               | 5             |
| 1       | दिग्विजय सिंह राजेन्द्र सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी               | 53/1      | 1.517           | 0.239         |
| 2       | भगवान सिंह पिता मांगी लाल ,जमना बाई पति भगवान सिंह                             | 53/2      | 0.759           | 0.239         |
| 3       | नारायण सिंह पिता मांगीलाल                                                      | 53/3      | 0.759           | 0.239         |
| 4       | नारायण सिंह पिता मांगीलाल                                                      | 56        | 1.619           | 0.158         |
| 5       | दिग्विजय सिंह राजेन्द्र सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी               | 54        | 0.759           | 0.347         |
| 6       | दिग्विजय सिंह राजेन्द्र सिंह बनेसिंह बनवरी पिता जय नरायण देशवासी               | 55/2/2    | 0.367           | 0.100         |
| 7       | सोदानसिंह पिता माधोसिंह नट                                                     | 57        | 2.782           | 0.490         |
| 8       | रघुवीर सिंह पिता लालसिंह                                                       | 59/1      | 0.556           | 0.087         |
| 9       | मदरूपसिंह पिता लालसिंह                                                         | 59/2      | 0.557           | 0.870         |
| 10      | मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत                                                  | 60        | 1.265           | 1.012         |
| 11      | पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीर सिंह                                                 | 61/1      | 2.137           | 0.400         |
| 12      | नवीनराज सिंह पिता रघुवीर सिंह                                                  | 61/2      | 1.100           | 0.200         |
| 13      | द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल                                                  | 1001      | 1.455           | 0.291         |
| 14      | द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल                                                  | 1000      | 1.075           | 0.415         |
| 15      | मानकुंवर बेबा लालसिंह                                                          | 996       | 0.266           | 0.053         |
| 16      | प्रभीला सिंह पति रघुवीर सिंह                                                   | 997/1     | 0.101           | 0.020         |
| 17      | छोटेलाल पिता मदन लाल महाजन                                                     | 997/2     | 0.531           | 0.106         |
| 18      | द्वाराकाप्रसाद पिता मांगी लाल                                                  | 998/1     | 0.499           | 0.100         |
| 19      | प्रभीला सिंह पति रघुवीर सिंह                                                   | 998/2/1/1 | 1.417           | 0.283         |
| 20      | छोटेलाल पिता मदन लाल                                                           | 998/2/1/2 | 0.228           | 0.046         |
| 21      | दिनेश कुमार ,गोविन्दप्रसाद, सतीश कुमार पिता शिवनारायण ,जनकी बाई बैवा शिवनारायण | 998/2/1/3 | 0.373           | 0.075         |

|    |                                                                                                               |          |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 22 | मानकुंवर बाई बेबा मानसिंह                                                                                     | 998/2/2  | 0.379 | 0.076 |
| 23 | कंचनबाई बेबा मदन कांछी                                                                                        | 1025     | 0.202 | 0.202 |
| 24 | कंचनबाई बेबा मदन कांछी                                                                                        | 1026     | 0.063 | 0.063 |
| 25 | कंचनबाई बेबा मदन कांछी                                                                                        | 1028/1   | 0.069 | 0.028 |
| 26 | कैलाश पिता मदन कांछी                                                                                          | 1028/2   | 0.993 | 0.663 |
| 27 | रामचरण पिता जगन्नाथ आदि                                                                                       | 1027     | 0.190 | 0.076 |
| 28 | कैलाशचंद पिता गंगाप्रसाद महाजन                                                                                | 1029/1/1 | 0.758 | 0.353 |
| 29 | मु रुक्मणि बेबा गंगाप्रसाद महाजन                                                                              | 1029/1/2 | 1.518 | 0.350 |
| 30 | कंचनबाई बेबा मदन कांछी                                                                                        | 1029/2/1 | 0.164 | 0.001 |
| 31 | कैलाश पिता मदन कांछी                                                                                          | 1029/2/2 | 0.165 | 0.150 |
| 32 | काशीराम पिता मदन कांछी                                                                                        | 1029/2/3 | 0.164 | 0.100 |
| 33 | भवरलाल पिता धीसा                                                                                              | 988      | 0.177 | 0.143 |
| 34 | कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल                                                                         | 991/2    | 0.107 | 0.030 |
| 35 | कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल                                                                         | 986      | 1.252 | 0.200 |
| 36 | कृष्णा बाई मानकुंवरबाई पुत्री बंसीलाल                                                                         | 987      | 0.342 | 0.342 |
| 37 | दिनेश मनोहर पिता वैजनाथ कोशल्या बाई बैवा वैजनाथ                                                               | 989/4    | 0.152 | 0.100 |
| 38 | दरियाव सिंह पिता धीसालाल                                                                                      | 989/5    | 0.050 | 0.050 |
| 39 | दरियाव सिंह पिता धीसालाल                                                                                      | 955      | 0.253 | 0.180 |
| 40 | भवरलाल पिता धीसालाल                                                                                           | 989/6    | 0.127 | 0.127 |
| 41 | दरियाव सिंह पिता धीसालाल                                                                                      | 957/1    | 0.051 | 0.051 |
| 42 | राधेश्यान जगदीश प्रसाद                                                                                        | 957/2    | 0.341 | 0.160 |
| 43 | राधेश्याम जगदीशप्रसाद बगैरह                                                                                   | 954      | 0.190 | 0.100 |
| 44 | समुन्दरबाई बैगरह                                                                                              | 959      | 0.152 | 0.120 |
| 45 | शिवनारायण पिता अमरा                                                                                           | 960      | 0.342 | 0.342 |
| 46 | संदीक्षा पिता रुगनाथ                                                                                          | 961      | 0.367 | 0.040 |
| 47 | दिनेश मनोहर पिता वैजनाथ                                                                                       | 962/2    | 0.147 | 0.016 |
| 48 | जगदीश संजय पिता कमोद सिंह बगैरा                                                                               | 962/3    | 0.118 | 0.016 |
| 49 | सोबश पिता रुगनाथ                                                                                              | 963/2    | 0.147 | 0.008 |
| 50 | समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण                                                             | 964      | 0.215 | 0.026 |
| 51 | समन्दर बाई कोशल्याबाई कांताबाई पुत्रीया शिवनारायण                                                             | 950      | 1.012 | 0.562 |
| 52 | कालू राम पिता सोबश                                                                                            | 944/1    | 0.037 | 0.024 |
| 53 | गंगाधर पिता शिवनारायण                                                                                         | 944/2    | 0.222 | 0.031 |
| 54 | रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ                                                                     | 944/3    | 0.070 | 0.023 |
| 55 | गंगाधर श्रीलाल पिता शिवनारायण सोरमबाई चंदाबाई पिता शिवनारायण जगन्नाथ बैजनाथ पिता मुन्नालाल कालूराम दत्तक सोबश | 945/2    | 0.083 | 0.057 |

|    |                                                                     |          |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 56 | रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ                           | 945/3    | 0.095 | 0.057 |
| 57 | प्रेमनारायण पर्वत पिता किशन नट                                      | 483/1    | 0.873 | 0.250 |
| 58 | मांगीलाल ,कौशल्या बाई, रेशमबाई, लीलाबाई , पिता जगन्नाथ जाति सेहरिया | 483/3    | 1.265 | 0.040 |
| 59 | घनश्याम गोपाल पिता मुंशीलाल नाई जमोन्या गणेश                        | 483/4    | 1.265 | 0.759 |
| 60 | भंवरलाल पिता सरगराम जाति दांगी                                      | 482/1    | 1.265 | 0.632 |
| 61 | कनीराम पिता हरलाल                                                   | 395/1/15 | 0.778 | 0.142 |
| 62 | गोविंदा पिता प्रभूलाल बलाई                                          | 395/1/8  | 0.506 | 0.496 |
| 63 | गोपीलाल पिता बलराम पट्टा सेरिया                                     | 395/1/9  | 0.778 | 0.324 |
| 64 | अशोक कुमार रामबाबू नलिता पिता प्रेमनारायण                           | 449/1    | 2.752 | 0.550 |
| 65 | अशोक कुमार रामबाबू ललित कुमार पिता प्रेमनाराण जाति कायस्थ           | 450/2    | 0.257 | 0.050 |
| 66 | ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण                                   | 449/2    | 0.700 | 0.140 |
| 67 | ओमप्रकाश श्यामबाबू पिता रामनारायण                                   | 450/1    | 0.059 | 0.030 |
| 68 | जमनाप्रसाद पिता धीसालाल                                             | 451/1    | 0.563 | 0.135 |
| 69 | अयोध्या बाई पिता मांगीलाल                                           | 451/2    | 0.626 | 0.135 |
| 70 | घूलजी पिता बक्षू                                                    | 452/1    | 0.885 | 0.500 |
| 71 | राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती                                    | 415/1    | 0.045 | 0.005 |
| 72 | कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल                            | 415/2    | 0.045 | 0.040 |
| 73 | कैलाश पिता हीरालाल ,शांतिबाई पति हीरालाल                            | 416/2    | 0.095 | 0.065 |
| 74 | बालाबग्स पिता बल्देव खाती                                           | 418      | 0.177 | 0.090 |
| 75 | बालाबग्स पिता बल्देव खाती                                           | 424      | 1.467 | 0.832 |
| 76 | रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती                                       | 425      | 1.417 | 0.600 |
| 77 | गण्डूलाल पिता नाथू खाती                                             | 426/1    | 0.338 | 0.068 |
| 78 | गण्डूलाल पिता नाथू खाती                                             | 427/1    | 0.050 | 0.050 |
| 79 | भगवती बाई बेवा शंकरलाल लक्ष्मीनाराण आदि                             | 426/2    | 0.358 | 0.068 |
| 80 | उमराव सिंह पिता बल्देव खाती                                         | 431      | 1.252 | 0.213 |
| 81 | राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती                                   | 443/1    | 0.626 | 0.088 |
| 82 | जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह                                          | 444      | 1.429 | 0.050 |
| 83 | जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह                                          | 445      | 0.936 | 0.860 |
| 84 | श्यामबाबू पुरचोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेवा मोतीलाल              | 410      | 0.266 | 0.150 |
| 85 | रामनारायण पिता बक्षू                                                | 411      | 0.367 | 0.123 |

|     |                                                                             |         |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 86  | रामनारायण पिता बक्सू                                                        | 413     | 0.038 | 0.025 |
| 87  | मुकेशकुमार पिता दयाराम                                                      | 412     | 0.101 | 0.085 |
| 88  | जगदीशप्रसाद पिता उमरावसिंह                                                  | 414     | 0.152 | 0.095 |
| 89  | भंवरीबाई, शांतिबाई पुत्री हीरालाल जाती खाती                                 | 409/1   | 0.158 | 0.140 |
| 90  | गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती                                                 | 409/2/1 | 0.079 | 0.079 |
| 91  | लखनलाल पिता रामचरण                                                          | 409/2/2 | 0.079 | 0.079 |
| 92  | राधेश्याम कैलाश पिता हीरालाल खाती                                           | 306/1/1 | 0.142 | 0.010 |
| 93  | गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती                                                 | 306/2/1 | 0.143 | 0.120 |
| 94  | लखनलाल पिता रामचरण खाती                                                     | 306/2/2 | 0.142 | 0.120 |
| 95  | प्रेमनारायण पिता भंवरलाल                                                    | 291     | 0.291 | 0.240 |
| 96  | मुकेशकुमार पिता दयाराम                                                      | 309     | 0.215 | 0.025 |
| 97  | जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती                                           | 286/2   | 0.051 | 0.051 |
| 98  | मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल                                                  | 280     | 0.291 | 0.010 |
| 99  | मु भगवती बाई बेबा शंकर लाल                                                  | 284/1   | 0.080 | 0.050 |
| 100 | ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती                                                 | 282     | 0.278 | 0.090 |
| 101 | कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती                                              | 284/3   | 0.080 | 0.020 |
| 102 | श्यामबाबू पुरणोत्तम पिता मोतीलाल बिंदाबाई बेबा मोतीलाल                      | 285/1   | 0.089 | 0.070 |
| 103 | ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती                                                 | 285/2   | 0.012 | 0.008 |
| 104 | ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती                                                 | 286/1   | 0.063 | 0.063 |
| 105 | ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती                                                 | 287     | 0.051 | 0.051 |
| 106 | ओमप्रकाश पिता रामनाराण खाती                                                 | 288     | 0.051 | 0.051 |
| 107 | रमेश पिता भंवरलाल                                                           | 289/1   | 0.021 | 0.021 |
| 108 | बद्रीलाल पिता पनालाल                                                        | 289/2   | 0.021 | 0.021 |
| 109 | गण्पूलाल पिता नाथू खाती                                                     | 290/1   | 0.069 | 0.026 |
| 110 | कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल खाती                                              | 290/2   | 0.070 | 0.040 |
| 111 | रामकुवं पुत्री देवीसिंह                                                     | 273/4   | 0.051 | 0.020 |
| 112 | रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती                                               | 274     | 0.253 | 0.253 |
| 113 | जगदीश पिता बापूलाल                                                          | 275/1   | 0.093 | 0.045 |
| 114 | जगदीश पिता बापूलाल                                                          | 289/3   | 0.021 | 0.015 |
| 115 | रमेश पिता भंवरलाल                                                           | 275/2   | 0.185 | 0.122 |
| 116 | मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि | 276     | 0.253 | 0.240 |
| 117 | मोतीलाल पिता दरियावसिंह मांगीलाल धूलजी रामनारायण पिता बक्सू प्रेमनारायण आदि | 277     | 0.063 | 0.063 |
| 118 | सीताबाई पति कालूराम खाती                                                    | 278/1   | 0.246 | 0.220 |
| 119 | गण्पूलाल पिता नाथू खाती                                                     | 278/2   | 0.247 | 0.085 |

|                                        |                                                                                                   |         |       |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 120                                    | गप्पूलाल पिता नाथू खाती                                                                           | 284/2   | 0.080 | 0.040 |
| 121                                    | जगदीश प्रसाद पिता उमराव सिंह खाती                                                                 | 279     | 0.266 | 0.045 |
| 122                                    | रुग्ननाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                | 273/1   | 0.050 | 0.050 |
| 123                                    | भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                    | 273/2   | 0.051 | 0.040 |
| 124                                    | इन्द्रसिंह पिता देवीसिंह                                                                          | 273/3   | 0.050 | 0.030 |
| 125                                    | रुग्ननाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                | 262/1   | 0.092 | 0.030 |
| 126                                    | भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                    | 262/2   | 0.091 | 0.050 |
| 127                                    | इन्द्रसिंह पिता देवीसिंह                                                                          | 262/3   | 0.092 | 0.070 |
| 128                                    | रामकुवं पुत्री देवीसिंह                                                                           | 262/4   | 0.092 | 0.090 |
| 129                                    | रुग्ननाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                | 260/1   | 0.095 | 0.010 |
| 130                                    | भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                    | 260/2   | 0.095 | 0.010 |
| 131                                    | इन्द्रसिंह पिता देवीसिंह                                                                          | 260/3   | 0.095 | 0.010 |
| 132                                    | रामकुवं पुत्री देवीसिंह                                                                           | 260/4   | 0.094 | 0.010 |
| 133                                    | रुग्ननाथ सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                | 268/1   | 0.053 | 0.053 |
| 134                                    | भारत सिंह पिता देवीसिंह राजपूत                                                                    | 268/2   | 0.054 | 0.054 |
| 135                                    | इन्द्रसिंह पिता देवीसिंह                                                                          | 268/3   | 0.054 | 0.054 |
| 136                                    | रामकुवं पुत्री देवीसिंह                                                                           | 268/4   | 0.054 | 0.054 |
| 137                                    | मांगीलाल पिताधीसा लाल खाती                                                                        | 269/1   | 0.215 | 0.030 |
| 138                                    | गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर                                                              | 267/1/1 | 0.041 | 0.041 |
| <b>बदन्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर</b> |                                                                                                   |         |       |       |
| 139                                    | धीसी लाल गणेशीलाल                                                                                 | 923     | 0.291 | 0.200 |
| 140                                    | धीसी लाल गणेशीलाल                                                                                 | 924     | 1.328 | 0.650 |
| 141                                    | यशोदाबाई पति मांगीलाल खाती                                                                        | 585     | 0.253 | 0.150 |
| 142                                    | धीसी बाई बेबा मदन लक्ष्मी                                                                         | 264/1   | 0.158 | 0.140 |
| 143                                    | सिद्धुलाल बदीलाल जगन्नाथ पिता रामा है.<br>87 पैसा. पूनमचंद पिता रमा हर्कुबाई<br>पिता रामा 13 पैसा | 264/2   | 0.158 | 0.158 |
| 144                                    | कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार                                                                      | 264/3   | 0.101 | 0.101 |
| 145                                    | कैलाश सुरेश पिता आशाराम चमार                                                                      | 265/2   | 0.107 | 0.010 |
| 146                                    | महेश बाबू पिता रामप्रसाद                                                                          | 265/1   | 0.108 | 0.060 |
| 147                                    | मांगीलाल पिता चुंनीलाल खाती                                                                       | 266     | 0.240 | 0.210 |
| 148                                    | गोवर्धन रामप्रसाद बुधराम पिता गंगाधर<br>बदन्बाई सोद्राबाई पुत्री गंगाधर                           | 263/3   | 0.098 | 0.040 |
| 149                                    | गोरधन पिता गंगाधर चमार                                                                            | 263/1   | 0.098 | 0.020 |
| 150                                    | मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता<br>खेमचंद                                                       | 267/1/2 | 0.041 | 0.041 |
| 151                                    | मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता<br>खेमचंद                                                       | 263/2   | 0.098 | 0.036 |

|     |                                                                     |         |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 152 | मुलीयाबाई बेबा खेमचंद हरकिशन पिता खेमचंद                            | 263/4   | 0.098         | 0.015         |
| 153 | कैलाश सुरेश पिता आशाराम                                             | 267/2   | 0.057         | 0.057         |
| 154 | कैलाश नारायण पिता कालू राम                                          | 920     | 0.607         | 0.159         |
| 155 | घीसी लाल गणेशीलाल                                                   | 921     | 0.481         | 0.481         |
| 156 | विठ्ठल प्रसाद पिता शिवनरान                                          | 922     | 0.063         | 0.025         |
| 157 | घीसी लाल गणेशीलाल                                                   | 931     | 0.101         | 0.101         |
| 158 | घीसी लाल गणेशीलाल                                                   | 932     | 0.658         | 0.250         |
| 159 | घीसी लाल गणेशीलाल                                                   | 930     | 0.139         | 0.070         |
| 160 | कालू राम पिता सोबश                                                  | 936/1   | 0.487         | 0.240         |
| 161 | श्रीलाल पिता शिवनारायण                                              | 936/2   | 0.170         | 0.085         |
| 162 | रामेश्वर प्रेम नरायण कालूराम पिता जगन्नाथ कली बाई वि लक्ष्मी नारायण | 936/3   | 0.190         | 0.100         |
| 163 | केशर बाई पति श्री लाल खाती                                          | 936/4/1 | 0.506         | 0.250         |
| 164 | केशर बाई पति श्री लाल खाती                                          | 936/4/2 | 0.064         | 0.035         |
| 165 | केशर बाई पति श्री लाल खाती                                          | 939/1   | 0.017         | 0.017         |
| 166 | कालू राम पिता सोबश                                                  | 939/2   | 0.252         | 0.130         |
| 167 | रामेश्वर पिता जगन्नाथ आदि                                           | 939/3   | 0.100         | 0.060         |
| 168 | श्रीलाल पिता शिवनारायण                                              | 939/4   | 0.100         | 0.080         |
| 169 | गंगाधर पिता शिवनारायण                                               | 939/5   | 0.100         | 0.090         |
| 170 | रामनारायण पिता बैजनाथ                                               | 937     | 0.038         | 0.038         |
| 171 | रामनारायण पिता बैजनाथ                                               | 938/1   | 0.150         | 0.150         |
|     | योग कुल किता                                                        | 171     | <b>65.626</b> | <b>25.795</b> |

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक / 14977-भू-अर्जन-2017

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2017 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में व्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "व्यावरा" स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्त्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

### अनुसूची(1)

| ग्राम जामोन्या जौहार |       | तहसील नरसिंहगढ़                      |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| स.क्र.               | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा है० |
| 1                    | 2     | कुल 3                                |
| निजी                 | भूमि  | 12.194 हे०                           |

| स0क0 | प्रभावित कृषक का नाम                                                                                                                                       | खसरा नं० | कुल भूमि का रकबा | प्रभावित भूमि |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                          | 3        | 4                | 7             |
| 1    | दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती                                                                                                                       | 206/1/1  | 0.399            | 0.350         |
| 2    | दिनेश राकेश पिता हरिप्रसाद जाती खाती                                                                                                                       | 245/2    | 0.158            | 0.158         |
| 3    | माखनलाल पिता अवरलाल                                                                                                                                        | 207/2/2  | 0.827            | 0.120         |
| 4    | अवरलाल पिता देवबग्नस जाती खाती                                                                                                                             | 245/1    | 0.148            | 0.148         |
| 5    | आरतसिंह माता गुलबहार बेड़िया                                                                                                                               | 209/1/1  | 0.759            | 0.450         |
| 6    | जीवन पिता उमराओ सिंह जाती बेड़िया                                                                                                                          | 210      | 0.342            | 0.180         |
| 7    | कॉचीबाई पुत्री बोझ २५ पैसा ही जाती थमार रामनारायण पिता सुखराम ही ७० पैसा देवी सिंह पिता मिश्रीलाल प्रकाश कन्हैयालाल पिता शिवनारायण ही २५ पैसा जाती बेड़िया | 211      | 0.126            | 0.085         |

|    |                                                                                 |         |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 8  | शिवनारायण पिता मुखराम जाती धाखड़                                                | 215     | 0.190 | 0.070 |
| 9  | मांगीलाल पिता नानूराम जाती चमार                                                 | 216/2   | 0.095 | 0.050 |
| 10 | शिवनारायण पिता मूलचंद जाती धाखड़                                                | 242/1   | 0.433 | 0.160 |
| 11 | नक्कीचंद पिता मूलचंद जाती खाती                                                  | 242/2   | 0.433 | 0.145 |
| 12 | सुरेश, भारत सिंह, जगतीश पिता मथुरालाल जाती धाखड़                                | 242/3   | 0.121 | 0.065 |
| 13 | सुरेश भारत सिंह जगदीश पिता मथुरालाल धाखड़                                       | 240/1   | 0.489 | 0.165 |
| 15 | अवरलाल पिता मूलचंद जाती धाखड़                                                   | 240/2   | 0.600 | 0.210 |
| 16 | अवरलाल पिता मूलचंद जाती धाखड़                                                   | 239/2   | 0.010 | 0.010 |
| 17 | घिसी पत्नी गोविन्द जाती बेड़िया                                                 | 240/3   | 0.177 | 0.090 |
| 18 | दिलीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती                                | 219/1   | 0.266 | 0.133 |
| 19 | दिलीपसिंह राधेश्याम गोपाल पिता हरिबागस जाती खाती                                | 237/1/1 | 0.120 | 0.060 |
| 20 | सुरेश पिता मथुरालाल जाती धाखड़                                                  | 239/1   | 0.015 | 0.015 |
| 21 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 238/1/1 | 0.145 | 0.070 |
| 22 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 238/3/2 | 0.063 | 0.040 |
| 23 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 238/4/3 | 0.101 | 0.101 |
| 24 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 234/2   | 0.099 | 0.050 |
| 25 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 281/4   | 0.463 | 0.070 |
| 26 | मांगीलाल पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                              | 238/2/4 | 0.026 | 0.026 |
| 27 | शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                                | 238/1/2 | 0.146 | 0.110 |
| 28 | शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                                | 238/2/2 | 0.024 | 0.024 |
| 29 | शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                                | 238/4/2 | 0.127 | 0.090 |
| 30 | शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                                | 281/1   | 0.132 | 0.050 |
| 31 | शिवचरण पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                                | 238/4/4 | 0.063 | 0.063 |
| 32 | सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती                                     | 238/2/1 | 0.443 | 0.300 |
| 33 | सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती                                     | 238/4/1 | 0.063 | 0.040 |
| 34 | सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ जाती खाती                                     | 281/3   | 0.560 | 0.070 |
| 35 | रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                            | 238/2/3 | 0.027 | 0.027 |
| 36 | रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                            | 238/4/5 | 0.114 | 0.030 |
| 37 | रमेश चंद्र पिता ईशवरीबागास जाती खाती                                            | 281/2   | 0.694 | 0.160 |
| 38 | महेश पिता ईच्छरीबागास जाती खाती                                                 | 238/2/5 | 0.027 | 0.027 |
| 39 | महेश पिता ईच्छरीबागास जाती खाती                                                 | 238/3/1 | 0.316 | 0.250 |
| 40 | महेश पिता ईच्छरीबागास जाती खाती                                                 | 281/5   | 0.465 | 0.013 |
| 41 | बद्रीप्रसाद पिता जगन्नाथ जाती खाती                                              | 237/2   | 0.116 | 0.070 |
| 42 | शम्भुलाल पिता बैजनाथ जाती खाती                                                  | 237/3   | 0.116 | 0.070 |
| 43 | श्यामलाम पिता दौला जाती चमार                                                    | 233/1   | 0.632 | 0.350 |
| 44 | अवरलाल हरिप्रसाद पुत्र दयाराम राधेश्याम विष्णु गोपाल पिता श्यामप्रसाद जाती खाती | 276     | 1.075 | 0.275 |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |          |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 45 | अभिषेक पिता विष्णु प्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                         | 277/1    | 0.500 | 0.180 |
| 46 | शिवचरण पिता कुंवरलाल जाती खाती जगन्नाथ पिता मुन्जालाल बद्रीप्रसादा पिता रामकिशन गोकुलबाई बैवा बंसीलाल महेशकुमार पिता बंसीलाल बैजनाथ पिता अमरसिंह घनशयाम पिता मुंशीलाल गोविन्द प्रसाद देवकरण पिता बापूलाल मथुराबाई जाती खाती | 277/2    | 0.499 | 0.170 |
| 47 | बक्सु पिता देवधंद्र जाती चमार                                                                                                                                                                                               | 275/1/1  | 0.196 | 0.080 |
| 48 | बक्सु पिता देवधंद्र जाती चमार                                                                                                                                                                                               | 279      | 0.392 | 0.200 |
| 49 | बैजनाथ पिता भवरलाल जाती चमार                                                                                                                                                                                                | 275/1/2  | 0.152 | 0.070 |
| 50 | बीरम पिता काशीराम जाती चमार                                                                                                                                                                                                 | 275/2    | 0.740 | 0.200 |
| 51 | भवरलाल पिता दयाराम जाती खाती                                                                                                                                                                                                | 278      | 0.443 | 0.115 |
| 52 | अमरसिंह पिता गोरीलाल जाती चमार                                                                                                                                                                                              | 280/1    | 0.215 | 0.110 |
| 53 | हरभाल पिता मुन्जा जाती चमार                                                                                                                                                                                                 | 280/2    | 1.379 | 0.250 |
| 54 | आनंदीलाल पिता धीसालाल जाती खाती                                                                                                                                                                                             | 282/1    | 0.234 | 0.140 |
| 55 | रामकवारी पिता गंगाराम जाती खाती                                                                                                                                                                                             | 282/2    | 0.234 | 0.180 |
| 56 | लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                          | 312      | 0.278 | 0.245 |
| 57 | लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                          | 313/1    | 0.418 | 0.010 |
| 58 | लीलाबाई पुत्री रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                          | 313/2    | 0.417 | 0.010 |
| 59 | रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती                                                                                                                                                                                              | 314/1    | 0.358 | 0.180 |
| 60 | रामगोपाल पिता बैजनाथ जाती खाती                                                                                                                                                                                              | 490/4    | 0.051 | 0.010 |
| 61 | धीसालाल पिता बैजनाथ जाती खाती                                                                                                                                                                                               | 314/2    | 0.426 | 0.360 |
| 62 | कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार                                                                                                                                                                                           | 493/1    | 0.936 | 0.350 |
| 63 | कमल प्रसाद पिता जगन्नाथ जाती चमार                                                                                                                                                                                           | 493/2    | 1.012 | 0.170 |
| 64 | जीवनमाता रईसा जाती बेडिआ                                                                                                                                                                                                    | 493/3/1  | 0.425 | 0.150 |
| 65 | मुकेश माता चंदा बेडिआ                                                                                                                                                                                                       | 493/3/2  | 0.425 | 0.340 |
| 66 | शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़                                                                                                                                                                                           | 492/1    | 1.189 | 1.000 |
| 67 | राधेशयाम पिता जगन्नाथ जाती धाखड़                                                                                                                                                                                            | 492/2    | 1.180 | 0.730 |
| 68 | शिवचरण पिता मुंशीलाल जाती खाती                                                                                                                                                                                              | 490/5    | 0.135 | 0.025 |
| 69 | कैलाशा पिता मुंशीलाल जाती खाती                                                                                                                                                                                              | 490/6    | 0.135 | 0.030 |
| 70 | कैलाशा पिता मुंशीलाल जाती खाती                                                                                                                                                                                              | 490/13   | 0.135 | 0.100 |
| 71 | बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                        | 490/7/1  | 0.130 | 0.030 |
| 72 | बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                        | 490/12/1 | 0.130 | 0.065 |
| 73 | बद्रीप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                        | 490/23/2 | 0.175 | 0.060 |
| 74 | लहमीनाराय पिता रामप्रसाद जाती खाती                                                                                                                                                                                          | 490/7/2  | 0.130 | 0.030 |

|    |                                      |          |               |               |
|----|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 75 | नहमीनराय पिता रामप्रसाद जाती खाती    | 490/12/2 | 0.130         | 0.080         |
| 76 | नहमीनराय पिता रामप्रसाद जाती खाती    | 490/23/1 | 0.175         | 0.080         |
| 77 | शिवनारायण पिता मुंशीनाल जाती खाती    | 490/14   | 0.135         | 0.120         |
| 78 | रामगोपाल पिता दैजनाथ जाती खाती       | 490/15   | 0.437         | 0.437         |
| 79 | रामगोपाल पिता दैजनाथ जाती खाती       | 490/20   | 0.100         | 0.035         |
| 80 | शिवनारायण पिता जगन्नाथ जाती धाखड़    | 490/16/1 | 0.379         | 0.080         |
| 81 | धीसालाल पिता दैजनाथ जाती खाती        | 490/16/2 | 0.280         | 0.050         |
| 82 | शिवचरण पिता मुंशीनाल जाती खाती       | 490/21   | 0.163         | 0.060         |
| 83 | शिवचरण पिता मुंशीनाल जाती खाती       | 490/22   | 0.163         | 0.060         |
| 84 | नहमीनरायण पिता दरियाव सिंह जाती खाती | 490/24   | 0.100         | 0.040         |
| 85 | शिवचरण पिता ईशवरीबल्लभ जाती खाती     | 499/1    | 0.038         | 0.013         |
| 86 | रमेशचंद्र पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती | 499/2    | 0.038         | 0.038         |
| 87 | सुरेश मुकेश राजेंद्र पिता जगन्नाथ    | 499/3    | 0.038         | 0.038         |
| 88 | मांगीनाल पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती  | 499/4    | 0.038         | 0.038         |
| 89 | महेश पिता ईशवरीयाबक्स जाती खाती      | 499/5    | 0.038         | 0.010         |
| 90 | किशननाल पिता ईसवरियाबक्स जाती खाती   | 244      | 0.569         | 0.225         |
| 91 | रामचरण पिता दरियाव सिंह जाती खाती    | 490/27   | 0.100         | 0.030         |
| 92 | रमेशचन्द्र पिता धीसालाल जाती खाती    | 478/1    | 0.278         | 0.050         |
| 93 | देवबग्स पिता हरिराम जाती खाती        | 478/2    | 0.310         | 0.080         |
|    | योग कुल किता                         |          | <b>28.323</b> | <b>12.194</b> |

भूमि के नवशे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रत्लाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/ 604-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 03-अ-82-2016-17

रत्लाम, दिनांक 28 जून 2017

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम सेमलखेड़ा एवं कोलपुरा, तहसील सैलाना जिला रत्लाम मे नाहरखोरा तालाब के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

#### ग्राम सेमलखेड़ा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18 –

| क्र | कृषक का नाम व<br>पिता/पति का नाम | खसरा<br>क्र | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा<br>(हेक्टेयर में) |         |       | परिसम्पत्ति का<br>विवरण  |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|
|     |                                  |             | सिंचित                                             | असिंचित | कुल   |                          |
| 1   | 2                                | 3           | 4                                                  | 5       | 6     | 7                        |
| 1   | नाकला पिता हिन्दुडा भील          | 169/1       | —                                                  | 0.260   | 0.260 |                          |
| 2   | मलिया पिता तोलिया                | 169/2       | 1.000                                              | —       | 1.000 | कुआ कच्चा एक             |
| 3   | मलिया पिता तोलिया                | 226         | 1.170                                              | —       | 1.170 |                          |
| 4   | बारिया, नन्दु पिता हुमला         | 229         | 0.190                                              | —       | 0.190 | कुआ कच्चा एक             |
| 5   | बारिया, नन्दु पिता हुमला         | 230         | 0.150                                              | —       | 0.150 |                          |
| 6   | दित्या पिता बदिया निनामा         | 231         | 0.300                                              | —       | 0.300 |                          |
| 7   | मकना पिता हिन्दुडा               | 232         | 0.550                                              | —       | 0.550 | कुआ कच्चा एक             |
| 8   | मेमजी पिता विश्या भील            | 233         | 1.200                                              | —       | 1.200 | कुआ कच्चा एक<br>टापरी एक |
| 9   | बाबूलाल पिता जाल्या भील          | 234/2       | —                                                  | 0.850   | 0.850 |                          |
| 10  | नाकला पिता हिन्दुडा              | 234/3       | —                                                  | 1.000   | 1.000 |                          |

#### ग्राम कोलपुरा तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 18 –

| क्र | कृषक का नाम व<br>पिता/पति का नाम | खसरा<br>क्र | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा<br>(हेक्टेयर में) |         |       | परिसम्पत्ति का<br>विवरण   |
|-----|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|
|     |                                  |             | सिंचित                                             | असिंचित | कुल   |                           |
| 1   | 2                                | 3           | 4                                                  | 5       | 6     | 7                         |
| 1   | रामी पति फूलजी भील               | 103         | —                                                  | 0.250   | 0.250 |                           |
| 2   | छगनलाल पिता देविंग भील           | 105/2       | 1.000                                              | —       | 1.000 |                           |
| 3   | वागजी पिता देविंग                | 153/3       | 1.000                                              | —       | 1.000 | कुआ कच्चा एक              |
| 4   | कालु पिता नागजी भील              | 105/4       | 1.000                                              | —       | 1.000 | कुआ पक्का एक,<br>टापरी एक |
| 5   | हिन्दु वगैरा                     | 106         | —                                                  | 0.070   | 0.070 |                           |
| 6   | नागजी पिता रूपा भील              | 107         | —                                                  | 0.760   | 0.760 |                           |

क्रमांक 606-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 02-अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूतपाड़ा तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

### ग्राम भूतपाड़ा तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 21 -

| क्र | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम                                                                                                                                                                                                          | खसरा क्र | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा (हेक्टेयर में) |         |       | परिसम्पत्ति का विवरण |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |          | सिंचित                                          | असिंचित | कुल   |                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3        | 4                                               | 5       | 6     | 7                    |
| 1   | पुंजा पिता बिज्या भील                                                                                                                                                                                                                  | 145      | 0.200                                           | —       | 0.200 |                      |
| 2   | पुंजा पिता भेरा राव                                                                                                                                                                                                                    | 141      | 1.040                                           | —       | 1.040 |                      |
| 3   | फुलजी, गोतमा, देवला पिता देहलिंग, हि. 1/4 राधी पिता मेहजी हि. 1/4, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग हि. 1/4, गलिया, रामा पिता भाणजी, हवजी, गोतमा पिता हूरजी, लालू, मनीष, ना.ना. नाबालिंग पिता रामा ना.बा. सर माता, मसरू व मसरू बेवा रामा भील | 138      | —                                               | 0.600   | 0.600 |                      |
| 4   | फूलजी, गोतम, गलिया, रामा पिता भाणजी, देवला पिता केहरिंग भील                                                                                                                                                                            | 11       | —                                               | 0.420   | 0.420 |                      |
| 5   | कंकबाई बेवा बिज्या भील                                                                                                                                                                                                                 | 100      | —                                               | 0.180   | 0.180 |                      |
| 6   | भावजी पिता नागजी भील                                                                                                                                                                                                                   | 101      | —                                               | 0.170   | 0.170 |                      |
| 7   | वागजी, कालू, बादरु पिता हकरु व जाली बेवा हकरु, मकरा, राज्या पिता जोगडिया भील                                                                                                                                                           | 86       | —                                               | 0.100   | 0.100 |                      |
| 8   | वरसिंह पिता मेहजी भील                                                                                                                                                                                                                  | 84       | —                                               | 0.170   | 0.170 |                      |
| 9   | लालू पिता रूपा भील                                                                                                                                                                                                                     | 113      | —                                               | 0.100   | 0.100 |                      |
| 10  | हवजी, गोतम पिता हूरजी, रंगजी, वरसिंह पिता केहरिंग, लालू, मनीष ना.ना. नाबालिंग सर परस्त मसरू व मसरू बेवा रामा भील                                                                                                                       | 115      | —                                               | 0.400   | 0.400 |                      |
| 11  | बदिया, मडिया, नाकु पिता हकरु व पुंजी बेवा हकरु                                                                                                                                                                                         | 117      | —                                               | 0.400   | 0.400 |                      |
| 12  | प्रकाश पिता मांगू जीवा बेवा मांगू शाती, शभू पिता नाकु दुर्गा पिता नाकु ना.बा. सर परस्त माता, बददू व बददू बेवा नाकु                                                                                                                     | 135      | —                                               | 0.120   | 0.120 |                      |

क्रमांक 608-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. अ-82-2016-17

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सांसर तालाब तहसील सैलाना जिला रत्नालाल के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम सांसर तहसील सैलाना पटवारी हल्का नंबर 32 -

| क्र | कृषक का नाम व<br>पिता/पति का नाम                                                                                                                | खसरा क्र  | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा<br>(हेक्टेयर में) |         |       | परिसम्पत्ति<br>का विवरण |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                 |           | सिंचित                                             | असिंचित | कुल   |                         |
| 1   | 2                                                                                                                                               | 3         | 4                                                  | 5       | 6     | 7                       |
| 1   | रूपजी पिता वरसिंह                                                                                                                               | 221/1/3   | 0.500                                              | —       | 0.500 |                         |
| 2   | माना, नरसिंह पिता कलजी,<br>बददीबाई, देवाबाई पिता<br>कलजी                                                                                        | 222/4     | 1.400                                              | —       | 1.400 |                         |
| 3   | सूरज, नानालाल, लक्ष्मण<br>पिता हरिराम, दूटा पिता<br>देवा, ऐतरी, सुगन, नानी<br>पिता देवा व हकरी बेवा देवा                                        | 222/1/1/4 | 0.320                                              | —       | 0.320 |                         |
| 4   | शंकर, शंभू पिता हुरजी मांगू<br>लीला पिता हुरजी                                                                                                  | 632/12    | 0.400                                              | —       | 0.400 |                         |
| 5   | नारजी पिता मानजी                                                                                                                                | 632/40/1  | 0.100                                              | —       | 0.100 |                         |
| 6   | भाणजी पिता मानजी                                                                                                                                | 632/40/2  | 0.100                                              | —       | 0.100 |                         |
| 7   | केलाश, बद्री, छगन, विनोद<br>पिता थावरा, पुत्री देवली,<br>नानीबाई, गुडडी, सीमा पिता<br>थावरा व कदनबाई बेवा<br>थावरा व हुकलीबाई बेवा<br>थावरा भील | 632/52    | 0.200                                              | —       | 0.200 |                         |
| 8   | शांती पिता उदा भील                                                                                                                              | 686/1     | 0.340                                              | —       | 0.340 |                         |
| 9   | किशन पिता उदा भील                                                                                                                               | 686/2     | 0.330                                              | —       | 0.330 |                         |
| 10  | किशन पिता उदा                                                                                                                                   | 685/5     | 0.100                                              | —       | 0.100 |                         |
| 11  | नाथु (वयस्क), भूरलाल,<br>विनोद, विकास, राजू<br>(अवयस्क) पिता मानसिंह,<br>रकमा, पायल(अवयस्क) पिता                                                | 686/3     | 0.330                                              | —       | 0.330 |                         |
|     | मानसिंह, गुडडीबाई बेवा<br>मानसिंह भील                                                                                                           |           |                                                    |         |       |                         |
| 12  | देवीलाल, कमल, अनिल,<br>बबलू, अंजय पिता बद्री,<br>अनीता, सुनीता पिता बद्री,<br>मीराबाई बेवा बद्री भील                                            | 686/4     | 0.340                                              | —       | 0.340 |                         |
| 13  | रामचन्द्र पिता उदा भील                                                                                                                          | 686/5     | 0.340                                              | —       | 0.340 | मकान 01                 |
|     |                                                                                                                                                 | 685/8     | 0.500                                              | —       | 0.500 | मकान 02                 |
| 14  | जीवन, पप्पू मुकेश पिता<br>नराण, कमला, कारो, रामी,<br>मूरी, कान्ता, मांगू धापुडी<br>पिता नराण, गंगा बाई बेवा<br>नराण                             | 686/6     | 0.340                                              | —       | 0.340 | मकान 01                 |
|     |                                                                                                                                                 | 685/1     | 0.400                                              | —       | 0.400 | 685/1 में<br>मकान       |
| 15  | जगजी, नारजी, प्रभू रामेंगा<br>पिता उंकार भील                                                                                                    | 683       | —                                                  | 0.200   | 0.200 |                         |
|     |                                                                                                                                                 | 688       | —                                                  | 0.400   | 0.400 |                         |
|     |                                                                                                                                                 | 690       | —                                                  | 0.080   | 0.080 |                         |
| 16  | अमरा, बारजी, जोरजी,<br>नारजी, मानजी पिता दीपा व<br>बेबु पिता रायसिंह (अवयस्क)<br>वेस्ती बेवा रायसिंह भील                                        | 184/2     | —                                                  | 0.300   | 0.300 |                         |

क्रमांक 610-भू-अर्जन-2016-17-प्र.क्र. 01/अ-82-2016-17

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़ीकटारा कला तालाब तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

### ग्राम गढ़ीकटारा कला तहसील बाजना पटवारी हल्का नंबर 18 —

| क्र | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम                                                                                                                                                 | खसरा क्र | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) |         |      | परिसम्पत्ति का विवरण |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------|------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                               |          | सिंचित                                          | असिंचित | कुल  |                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                             | 3        | 4                                               | 5       | 6    | 7                    |
| 1   | वरसिंह पिता फूलजी                                                                                                                                                             | 59       | —                                               | 0.65    | 0.65 |                      |
| 2   | देवा पिता नाथू                                                                                                                                                                | 106      | —                                               | 0.80    | 0.80 |                      |
| 3   | कचरा पिता फुलजी                                                                                                                                                               | 107      | —                                               | 1.15    | 1.15 |                      |
| 4   | मोहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी, राजू, बेवा धनजी, ओमप्रकाश, अनिल कुमार पिता मनमचन्द्र व सुमित्रा देवी बेवा मनमचन्द्र, कैलाश पिता थावरा व गुड़ा पिता बापुडा व रकमा बेवा बापुडा भील | 108      | —                                               | 0.60    | 0.60 |                      |
| 5   | गोतम, थावरिया, नानिया, जीवणा पिता दित्या                                                                                                                                      | 109      | —                                               | 0.44    | 0.44 |                      |
| 6   | गोतम पिता वरसिंह                                                                                                                                                              | 111/1    | 0.08                                            | —       | 0.08 |                      |
| 7   | दोलसिंह पिता वरसिंह                                                                                                                                                           | 111/2    | 0.08                                            | —       | 0.08 |                      |
| 8   | गोतम पिता दूदजी                                                                                                                                                               | 112      | 0.14                                            | —       | 0.14 |                      |
| 9   | मांगू पिता दूदजी                                                                                                                                                              | 113      | 0.14                                            | —       | 0.14 |                      |
| 10  | हीरा पिता दूदजी                                                                                                                                                               | 114      | 0.14                                            | —       | 0.14 |                      |
| 11  | हमीरा पिता बदिया                                                                                                                                                              | 116      | —                                               | 0.30    | 0.30 |                      |
| 12  | मेहन, प्रभू, रमेश पिता धनजी व राजबाई बेवा धनजी                                                                                                                                | 238      | —                                               | 0.10    | 0.10 |                      |
| 13  | वरसिंह पिता वेस्ता                                                                                                                                                            | 58       | 0.40                                            | —       | 0.40 |                      |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तन्वी सुन्दरियाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/ 35 अ-82-2016-17-6177

सागर, दिनांक 29 जून 2017

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर म.प्र. को बीनाजी-रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निर्मानानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

|                             |   |                                                                                              |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | : | बीनाजी-रानीताल-बरहा मार्ग कि.मी. 1/6 में सुखचैन नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु |
| (2) भूमि का विवरण           | : |                                                                                              |
| 1. जिला                     | : | सागर                                                                                         |
| 2. तहसील                    | : | देवरी                                                                                        |
| 3. ग्राम                    | : | बीना                                                                                         |
| 4. पट.ह.न.-                 | : | 32                                                                                           |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.40 है।                                                                                     |

## :: अनुसूची-1 ::

| सरल क्र. | भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम                                            | स्वाभित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा (हिकटयर में) | अर्जित रकवा (हिकटयर में) | भूमि का प्रकार |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                          | 3                   | 4         | 5                     | 6                        | 7              |
| 1        | श्रीमति गिरजाबाई जोजे बहादुरसोंग साकिन<br>ग्राम बीना तहसील देवरी जिला सागर | भूमिस्वामी          | 375       | 3.670                 | 0.400                    |                |
|          | योग:-                                                                      |                     | 01        | 3.670                 | 0.400                    |                |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा

परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक/ 25 अ-82-2016-17-6242

सागर, दिनांक 30 जून 2017

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्य प्रदेश सङ्क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूट्री) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम         | बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूट्री) योजनांतर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु |
| (2) भूमि का विवरण           |                                                                                      |
| 1. जिला                     | सागर                                                                                 |
| 2. तहसील                    | रहली                                                                                 |
| 3. ग्राम                    | गोपालपुरा                                                                            |
| 4. पट.ह.नं.-                | 33                                                                                   |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.47 है।                                                                             |

### :: अनुसूची-1 ::

| सरल क्र. | भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम                                       | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर  | कुल रकवा (हेक्टर में) | अर्जित रकवा (हेक्टर में) | भूमि का प्रकार |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1        | 2                                                                      | 3                   | 4          | 5                     | 6                        | 7              |
| 1        | राजबाई पुत्री झल्ले, कपूरीबाई वेवा झल्ले साकिन कांसलपिपरिया भूमिस्वामी | भूमिस्वामी          | 4/1        | 0.040                 | 0.010                    |                |
| 2        | श्री परसू पिता मोहनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली                     | भूमिस्वामी          | 5/1<br>5/2 | 0.380<br>0.470        | 0.080                    |                |
| 3        | श्री विनोद कुमार पिता रतनलाल निवासी वार्ड क्रमांक-8 रहली               | भूमिस्वामी          | 7/1        | 0.020                 | 0.250                    |                |
| 4        | श्री विनोद कुमार, दिलीप कुमार पिता रतनलाल साकिन देह                    | भूमिस्वामी          | 7/2        | 0.270                 |                          |                |
| 5        | श्री राजेश कुमार पिता भगवानदास साकिन देह भूमिस्वामी                    | भूमिस्वामी          | 9/2<br>9/7 | 1.040<br>0.080        | 0.020                    |                |
| 6        | श्री धरमदास पिता राजाराम निवासी ग्राम बांसाकला                         | भूमिस्वामी          | 9/4        | 0.250                 | 0.040                    |                |
| 7        | श्री रतन पिता राजाराम निवासी बांसाकला                                  | भूमिस्वामी          | 9/5        | 0.200                 | 0.050                    |                |
| 8        | श्री हिम्मत पिता राजाराम निवासी बांसाकला तहसील पथरिया                  | भूमिस्वामी          | 9/6        | 0.200                 | 0.020                    |                |
| योग:-    |                                                                        |                     |            | 10                    | 2.950                    | 0.470          |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत प्राप्त सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारकों की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है। सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्वासन नहीं किया जाना है अतः अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत प्रशासन की नियुक्ति की जाना भी प्रकरण में अपेक्षित नहीं है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्ण अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सूजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली एवं संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
शहडोल, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2016-17-4723.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:

#### अनुसूची

| भूमि का विवरण |                 |              |                             | धारा 11 की उपधारा (2)                                             | सार्वजनिक प्रयोजन                                                  |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील           | नगर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                          | का वर्णन                                                           |
| (1)<br>शहडोल  | (2)<br>ब्यौहारी | (3)<br>बिजहा | (4)<br>0.626                | (5)<br>कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल, म. प्र. | (6)<br>दुधरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी जिला शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

ग्वालियर, दिनांक 31 मार्च 2017

प्र. क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाजात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:

#### अनुसूची

| भूमि का वर्णन   |                 |               |                                                                                                | धारा 12 की उपधारा (2) के                                                                     | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                      |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला            | तहसील           | ग्राम         | लगभग क्षेत्रफल<br>सर्वे नंबर रकम<br>(हे. में)                                                  | अनुसार प्राधिकृत अधिकारी                                                                     | का वर्णन                                                                               |
| (1)<br>ग्वालियर | (2)<br>ग्वालियर | (3)<br>उदयपुर | (4)<br>141/2                    0.132<br>141/3                    0.025<br>योग . . . . . 0.157 | (5)<br>कार्यपालन यंत्री, हरसी<br>उच्चस्तरीय नहर संभाग,<br>क्रमांक 2, डबरा, जिला<br>ग्वालियर। | (6)<br>हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा<br>शाखा नहर की (बेरजा) मायनर के<br>निर्माण हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 04-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माझनर नहर/सब माझनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| जिला     | तहसील    | ग्राम  | भूमि का वर्णन |           | धारा 12 की उपधारा (2) के<br>अनुसार प्राधिकृत अधिकारी                                  | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                                                                              |
|----------|----------|--------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |        | लगभग          | क्षेत्रफल |                                                                                       |                                                                                                            |
|          |          |        | सर्वे नंबर    | रकबा      | (हे. में)                                                                             |                                                                                                            |
| (1)      | (2)      | (3)    | (4)           | (5)       | (6)                                                                                   |                                                                                                            |
| ग्वालियर | ग्वालियर | बिजौली | 1555          | 0.090     | कार्यपालन यंत्री, हरसी<br>उच्चस्तरीय नहर संभाग,<br>क्रमांक 2, डबरा, जिला<br>ग्वालियर। | हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा<br>शाखा नहर की (रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री)<br>की 3 एल माझनर के निर्माण हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 16 जून 2017

प्र. क्र. 06-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माझनर नहर/सब माझनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| जिला     | तहसील    | ग्राम    | भूमि का वर्णन |           | धारा 12 की उपधारा (2) के<br>अनुसार प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन  |
|----------|----------|----------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|          |          |          | लगभग          | क्षेत्रफल |                                                      |                                |
|          |          |          | सर्वे नंबर    | रकबा      | (हे. में)                                            |                                |
| (1)      | (2)      | (3)      | (4)           | (5)       | (6)                                                  |                                |
| ग्वालियर | ग्वालियर | बनारपुरा | 124/6         | 0.130     | कार्यपालन यंत्री, हरसी                               | हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा |
|          |          |          | 145           | 0.115     | उच्चस्तरीय नहर संभाग,                                | शाखा नहर के निर्माण हेतु।      |
|          |          |          | योग .         | 0.280     | क्रमांक 2, डबरा, जिला<br>ग्वालियर।                   |                                |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 07-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सूचित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| जिला     | तहसील    | ग्राम    | भूमि का वर्णन  |                          | धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी                                     | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                 |
|----------|----------|----------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |          |          | सर्वे नंबर     | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) |                                                                                       |                                                            |
| (1)      | (2)      | (3)      | (4)            | (5)                      | (6)                                                                                   |                                                            |
| ग्वालियर | ग्वालियर | गणेशपुरा | 189<br>योग . . | 0.139<br>0.139           | कार्यपालन यंत्री, हरसी<br>उच्चस्तरीय नहर संभाग,<br>क्रमांक 2, डबरा, जिला<br>ग्वालियर। | हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुर<br>शाखा नहर के निर्माण हेतु। |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 जून 2017

प्र. क्र. 164-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष की के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

### अनुसूची

| जिला  | तहसील  | नगर/ग्राम | भूमि का वर्णन                                                       |     | धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी                          | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |        |           | कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)                       | (4) |                                                               |                            |
| (1)   | (2)    | (3)       | (5)                                                                 |     | (6)                                                           |                            |
| पन्ना | अजयगढ़ | कुंवरपुर  | निजी भूमि रक्का 286.33 है। कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग, पन्ना। |     | मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु |                            |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 165-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बनहरीकला स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |                                               | धारा 12 के अंतर्गत                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |
|---------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                      |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)                                           | (5)                                       | (6)                                                           |
| पन्ना         | अजयगढ़ | बनहरीकला  | निजी भूमि रक्का 190.585 है।                   | कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना। | मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 166-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम हनुमतपुर स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 22 जनवरी 2016 से एक वर्ष के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           |                                               | धारा 12 के अंतर्गत                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                             |
|---------------|--------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम | कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी                         | का वर्णन                                                      |
| (1)           | (2)    | (3)       | (4)                                           | (5)                                       | (6)                                                           |
| पन्ना         | अजयगढ़ | हनुमतपुर  | निजी भूमि रक्का 81.235 है।                    | कार्यपालन यंत्री, जल-संसाधन संभाग, पन्ना। | मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र.-05-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |        |                                 | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                         |
|---------------|-------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम  | अर्जनीय रक्बा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                    |
| (1)           | (2)   | (3)    | (4)                             | (5)                                                        | (6)                                                                                |
| दतिया         | दतिया | लमायचा | 1.78                            | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की लमायचा माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-06-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |         |                                 | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                         |
|---------------|-------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम   | अर्जनीय रक्बा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                    |
| (1)           | (2)   | (3)     | (4)                             | (5)                                                        | (6)                                                                                |
| दतिया         | दतिया | चितुवाँ | 1.17                            | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की गंधारी माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-07-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |       |                                  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                       |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रक्कबा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                  |
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                                                              |
| दतिया         | दतिया | फुलरा | 0.31                             | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खरांघाट मध्यम सिंचाई योजना की फुलरा माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-08-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |               |                                  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                       |
|---------------|-------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम         | अर्जनीय रक्कबा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                  |
| (1)           | (2)   | (3)           | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                                                              |
| दतिया         | दतिया | दीवान की रुँद | 0.70                             | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खरांघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-9-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |       |                                  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                        |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रक्कबा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                   |
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                                                               |
| दतिया         | दतिया | खैरी  | 3.21                             | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |       |       |                                  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                                   |
|---------------|-------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील | ग्राम | अर्जनीय रक्कबा<br>(हेक्टेयर में) |                                                            |                                                                                              |
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)                              | (5)                                                        | (6)                                                                                          |
| दतिया         | दतिया | अगोरा | 4.39                             | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खर्राघाट मध्यम सिंचाई योजना की अगोरा एवं लमायचा माइनर के निर्माण हेतु. |

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-11-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

| अनुसूची |                                                                                                                     |         |                               | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी             | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| जिला    | तहसील                                                                                                               | ग्राम   | अर्जनीय रक्कबा (हेक्टेयर में) | लगभग                                                       |                                                                                 |
| (1)     | (2)                                                                                                                 | (3)     | (4)                           | (5)                                                        | (6)                                                                             |
| दतिया   | दतिया                                                                                                               | राजापुर | 1.93                          | कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाइ नहर संभाग, दतिया (म. प्र.). | दतिया जिले के अंतर्गत खराघाट मध्यम सिंचाइ योजना की मकोनी माइनर के निर्माण हेतु. |
| (2)     | भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है।                |         |                               |                                                            |                                                                                 |
| (3)     | भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, दतिया, सिंचाइ नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है। |         |                               |                                                            |                                                                                 |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 390-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सत-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

| अनुसूची |           |         |                                  | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन                                                              |
|---------|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला    | तहसील     | ग्राम   | अर्जनीय रक्कबा (हेक्टर में) लगभग |                                                                               |                                                                                         |
| (1)     | (2)       | (3)     | (4)                              | (5)                                                                           | (6)                                                                                     |
| सतना    | रघुराजनगर | बरदाडीह | 4.359                            | उप मुख्य अभियंता निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय सतना जिला सतना (म. प्र.). | ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 जून 2017

क्र. 6890-भू-अर्जन-01-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम      | अशासकीय | अर्जनीय    | कृषक                     | धारा 11 द्वारा                           | सार्वजनिक प्रयोजन                         |
|------|--------|------------|---------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |        |            | खसरा    | संपत्ति का | का नाम                   | प्राधिकृत                                | का विवरण                                  |
|      |        |            | क्रमांक | विवरण      |                          | अधिकारी                                  |                                           |
| (1)  | (2)    | (3)        | (4)     | (5)        | (6)                      | (7)                                      | (8)                                       |
| हरदा | सिराली | डगांवाभट्ट | 7/3     | 01 नलकूप   | श्रीमती अनुसुईया बाई पति | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन नर्मदाप्रसाद | मरदानपुर माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव. |

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.Harda.nic.in](http://www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6896-भू-अर्जन-03-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम    | अशासकीय | अर्जनीय    | कृषक                | धारा 11 द्वारा                           | सार्वजनिक प्रयोजन                        |
|------|--------|----------|---------|------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |        |          | खसरा    | संपत्ति का | का नाम              | प्राधिकृत                                | का विवरण                                 |
|      |        |          | क्रमांक | विवरण      |                     | अधिकारी                                  |                                          |
| (1)  | (2)    | (3)      | (4)     | (5)        | (6)                 | (7)                                      | (8)                                      |
| हरदा | सिराली | जूनापानी | 7       | 01 नलकूप   | श्री शिवचरण ताराचंद | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा. | पहटकलाँ माइनर निर्माण में पूरक प्रस्ताव. |

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.Harda.nic.in](http://www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6900-भू-अर्जन-04-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम  | अशासकीय<br>खसरा<br>क्रमांक | अर्जनीय<br>संपत्ति का<br>विवरण | कृषक<br>का नाम          | धारा 11 द्वारा<br>प्राधिकृत<br>अधिकारी         | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का विवरण                   |
|------|--------|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)    | (4)                        | (5)                            | (6)                     | (7)                                            | (8)                                             |
| हरदा | सिराली | धूपकरण | 50/1                       | 01 कुआँ                        | श्री रामाधार<br>मोहनलाल | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन<br>संभाग, हरदा. | मरदानपुर माइनर<br>निर्माण में पूरक<br>प्रस्ताव. |

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.Harda.nic.in](http://www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6902-भू-अर्जन-02-अ-82-16-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित अचल संपत्ति के कॉलम (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अचल संपत्ति के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| जिला | तहसील  | ग्राम    | अशासकीय<br>खसरा<br>क्रमांक | अर्जनीय<br>संपत्ति का<br>विवरण | कृषक<br>का नाम          | धारा 11 द्वारा<br>प्राधिकृत<br>अधिकारी         | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का विवरण                   |
|------|--------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)  | (2)    | (3)      | (4)                        | (5)                            | (6)                     | (7)                                            | (8)                                             |
| हरदा | सिराली | कालकुण्ड | 114/1                      | 01 कुआँ                        | श्री गेंदालाल<br>नाहाजी | कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन<br>संभाग, हरदा. | मरदानपुर माइनर<br>निर्माण में पूरक<br>प्रस्ताव. |

- (2) भूमि का नक्शा, प्लान एवं अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति का विवरण एवं मूल्यांकन आदि भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कलेक्टर हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा।
- (4) सरकार की समुचित वेबसाइट [www.Harda.nic.in](http://www.Harda.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 24 जून 2017

प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं। चूंकि सतधारा तालाब के बांध, एवं स्प्रिल चैनल, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |              |                             | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12<br>अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन        |
|---------------|--------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | (5)                                                       | (6)                                  |
| (1)           | (2)    | (3)          | (4)                         |                                                           |                                      |
| टीकमगढ़       | लिधौरा | फतेह का खिरक | 15.000                      | भू-अर्जन अधिकारी जतारा.                                   | सतधारा तालाब की नहर<br>निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 11-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं। चूंकि सतधारा तालाब के बांध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |            |                             | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12<br>अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                                                |
|---------------|--------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम  | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | (5)                                                       | (6)                                                                          |
| (1)           | (2)    | (3)        | (4)                         |                                                           |                                                                              |
| टीकमगढ़       | लिधौरा | लिधौरा खास | 10.000                      | भू-अर्जन अधिकारी जतारा.                                   | सतधारा तालाब के बांध एवं<br>स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा<br>झूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं। चूंकि सतधारा तालाब के बांध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |             |                             | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12<br>अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन<br>का वर्णन                                                |
|---------------|--------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील  | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | (5)                                                       | (6)                                                                          |
| (1)           | (2)    | (3)         | (4)                         |                                                           |                                                                              |
| टीकमगढ़       | लिधौरा | लिधौरा उगड़ | 70.000                      | भू-अर्जन अधिकारी जतारा.                                   | सतधारा तालाब के बांध एवं<br>स्प्रिल चैनल के निर्माण तथा<br>झूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।



में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं, चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैः—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |            |             |                             | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी    | का वर्णन                              |
| (1) टीकमगढ़   | (2) लिधौरा | (3) विजयपुर | (4) 15.000                  | (5) भू-अर्जन अधिकारी जतारा.  | (6) सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 17-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने में उल्लेखित अधिकारी को उक्त संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं, चूंकि सतधारा तालाब के बाँध, एवं स्प्रिल चैनल, का निर्माण का किया जाना है, इसलिये भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैः—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |            |             |                             | धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 | सार्वजनिक प्रयोजन                     |
|---------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| जिला          | तहसील      | नगर/ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हे. में) | अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी    | का वर्णन                              |
| (1) टीकमगढ़   | (2) लिधौरा | (3) पैतपुरा | (4) 15.000                  | (5) भू-अर्जन अधिकारी जतारा.  | (6) सतधारा तालाब की नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
दमोह, दिनांक 30 जून 2017

पत्र. क्र. भू-अर्जन-2016-17-2654.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन |            |           |                                | धारा 11 की उपधारा (2)                                                                                                                   | सार्वजनिक प्रयोजन                                                                                                             |
|---------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील      | ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टर में) | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                                                                                                | का वर्णन                                                                                                                      |
| (1) दमोह      | (2) पथरिया | (3) सांसा | (4) 3.00                       | (5) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना साजली मध्यम सिंचाइ परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है। | (6) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना साजली मध्यम सिंचाइ परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह के निर्माण कार्य हेतु। |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग, हटा, मुख्यालय दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

### राजस्व विभाग

| कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश<br>एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,<br>राजस्व विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)     | (2)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| शहडोल, दिनांक 19 जून 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 543/1   | 0.206 |
| क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2016-17-2422.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः “भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— | 585/1ख  | 0.350 |
| अनुसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579/5   | 0.162 |
| (1) भूमि का वर्णन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 539/3   | 0.352 |
| (क) जिला—शहडोल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548/2   | 0.185 |
| (ख) तहसील—ब्लौहारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 532/3   | 0.308 |
| (ग) ग्राम—बिजहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 513     | 1.137 |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 52.486 हे. इक्केत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 514     | 0.607 |
| खसरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 511     | 0.547 |
| नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 507     | 0.200 |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540     | 0.486 |
| 573/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 532/4   | 0.308 |
| 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 539/1क  | 0.063 |
| 478/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 539/1ख  | 0.063 |
| 469/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 539/1ग  | 0.064 |
| 515/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548/1क  | 0.123 |
| 550/1च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 548/1ख  | 0.124 |
| 539/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 548/1ग  | 0.123 |
| 585/1क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 578/1ख  | 0.422 |
| 579/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 570     | 0.607 |
| 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 575     | 0.462 |
| 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 573/3   | 0.405 |
| 581/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506/3/1 | 0.135 |
| 538/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529/2   | 0.196 |
| 577/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 529/1   | 0.197 |
| 577/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 478/5   | 0.170 |
| 581/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 537     | 0.166 |
| 581/2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 469/6   | 0.385 |
| 538/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 478/1   | 0.125 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 549     | 1.999 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599/1   | 0.133 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599/2   | 0.665 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 469/4क  | 0.120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515/3   | 0.235 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579/3   | 0.121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579/4   | 0.121 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 579/6   | 0.079 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585/1ग  | 0.209 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 543/2   | 0.207 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598/2/ख | 0.270 |

| (1)     | (2)   | (1)                                                                                                                                                                      | (2)           |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 479     | 0.898 | 573/4                                                                                                                                                                    | 0.809         |
| 571/1/1 | 0.303 | 536/2                                                                                                                                                                    | 0.101         |
| 571/1/2 | 0.385 | 578/2                                                                                                                                                                    | 0.140         |
| 571/1/3 | 0.142 | 524/1/2                                                                                                                                                                  | 0.964         |
| 571/1/4 | 0.303 | 550/1/ग                                                                                                                                                                  | 0.158         |
| 571/2   | 0.081 | 550/1/घ                                                                                                                                                                  | 0.158         |
| 572/1   | 0.340 | 469/5                                                                                                                                                                    | 0.216         |
| 484/1   | 0.808 | 478/4                                                                                                                                                                    | 0.121         |
| 589     | 0.233 | 598/2/क                                                                                                                                                                  | 0.269         |
| 530     | 0.615 | 532/1                                                                                                                                                                    | 0.445         |
| 480     | 0.539 | 598/2/ग                                                                                                                                                                  | 0.270         |
| 515/2   | 0.186 | 473                                                                                                                                                                      | 1.364         |
| 550/1/ख | 0.617 | 579/2                                                                                                                                                                    | 0.125         |
| 469/3   | 0.202 | 885/2                                                                                                                                                                    | 0.393         |
| 478/3   | 0.335 | 580                                                                                                                                                                      | 0.328         |
| 534/2   | 0.370 | 515/1                                                                                                                                                                    | 0.093         |
| 582/2   | 0.270 | 506/1                                                                                                                                                                    | 0.539         |
| 574     | 0.235 | 532/2                                                                                                                                                                    | 0.173         |
| 482     | 1.125 | 535                                                                                                                                                                      | 1.482         |
| 512     | 1.023 | 506/3/2                                                                                                                                                                  | 0.135         |
| 469/7   | 0.128 | 477                                                                                                                                                                      | 1.036         |
| 550/1/ड | 0.158 | 536/1/ख/1                                                                                                                                                                | 0.100         |
| 536/1/क | 0.401 | 533/4                                                                                                                                                                    | 0.376         |
| 578/1/क | 0.566 | 590/2                                                                                                                                                                    | 0.100         |
| 525     | 0.809 | 524/1/1                                                                                                                                                                  | 1.000         |
| 527     | 0.583 | 550/2                                                                                                                                                                    | 0.312         |
| 547     | 1.236 | 550/1                                                                                                                                                                    | 0.314         |
| 534/1   | 0.185 | 538/2/2                                                                                                                                                                  | 0.256         |
| 582/1   | 0.271 | 577/2/2                                                                                                                                                                  | 0.257         |
| 476     | 0.943 | 581/2/2                                                                                                                                                                  | 0.346         |
| 541/1   | 0.176 | 553                                                                                                                                                                      | 0.140         |
| 541/2   | 0.176 | 478/2                                                                                                                                                                    | 0.171         |
| 542     | 0.370 | 572/2                                                                                                                                                                    | 0.340         |
| 542/2   | 0.175 | कुल रकमा .                                                                                                                                                               | <u>52.486</u> |
| 542/3   | 0.377 | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुधरिया जलाशय योजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन.                                                                                |               |
| 542/4   | 0.920 | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्लौहरी/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है। |               |
| 542/5   | 0.016 | मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.                                                                                   |               |
| 510     | 0.405 |                                                                                                                                                                          |               |
| 588     | 0.136 |                                                                                                                                                                          |               |
| 579/7   | 0.079 |                                                                                                                                                                          |               |
| 885/1/घ | 0.121 |                                                                                                                                                                          |               |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 19 जून 2017

प्र. क्र. 2-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस  
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी  
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः  
भू-अर्जन पुनर्वासन-और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और  
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत  
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—दुर्गापुर
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—2.46 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) | (1) | (2)   |                  |
|-----------|------------------------|-----|-------|------------------|
| 707       | 0.06                   |     | 865   | 0.05             |
| 710       | 0.03                   |     | 566   | 0.05             |
| 709/2     | 0.04                   |     | 768   | 0.03             |
| 711       | 0.08                   |     | 894   | 0.05             |
| 708       | 0.02                   |     | 929   | 0.11             |
| 742       | 0.04                   |     | 709/1 | 0.02             |
| 771       | 0.07                   |     | 772   | 0.02             |
| 651       | 0.02                   |     | 752   | 0.13             |
| 652       | 0.03                   |     | 668   | 0.01             |
| 712       | 0.04                   |     |       | कुल रकबा. . 2.46 |
| 669       | 0.04                   |     |       |                  |
| 683       | 0.04                   |     |       |                  |
| 568       | 0.08                   |     |       |                  |
| 897       | 0.04                   |     |       |                  |
| 647       | 0.06                   |     |       |                  |
| 858       | 0.03                   |     |       |                  |
| 681       | 0.04                   |     |       |                  |
| 686       | 0.06                   |     |       |                  |
| 684       | 0.01                   |     |       |                  |
| 670       | 0.02                   |     |       |                  |
| 682       | 0.03                   |     |       |                  |
| 648       | 0.02                   |     |       |                  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खर्चाघाट मध्यम  
सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन  
शाखा, कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में देखा जा  
सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई  
नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस  
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी

भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी भूमि

- (क) जिला—दतिया
- (ख) तहसील—दतिया
- (ग) ग्राम—पिसनारी
- (घ) अर्जित क्षेत्रफल—1.10 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर            | प्रभावित रक्कम<br>(हेक्टेयर में) |
|----------------------|----------------------------------|
| (1)                  | (2)                              |
| 90/1/1, 90/1/2, 90/2 | 0.16                             |
| 111                  | 0.02                             |
| 110                  | 0.12                             |
| 113                  | 0.04                             |
| 114                  | 0.01                             |
| 121                  | 0.06                             |
| 104                  | 0.07                             |
| 101                  | 0.01                             |
| 102                  | 0.10                             |
| 126                  | 0.20                             |
| 108                  | 0.06                             |
| 109                  | 0.04                             |
| 127/1, 127/2         | 0.12                             |
| 100                  | 0.01                             |
| 129                  | 0.01                             |
| 98/1, 98/2           | 0.03                             |
| 128/1, 128/2         | 0.04                             |
| कुल रक्कमा..         | 1.10                             |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—खरांधाट मध्यम सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
  - (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
  - (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 22 जून 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चौंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—बड़ामलहरा
- (ग) ग्राम—कुड़ैला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—109.696 हेक्टर.

| खसरा नं. | अर्जित रक्कम<br>(हे. में) |
|----------|---------------------------|
| (1)      | (2)                       |
| 20/1     | 0.235                     |
| 20/2     | 0.364                     |
| 25       | 0.210                     |
| 29/4/1   | 0.161                     |
| 30       | 0.304                     |
| 31       | 0.611                     |
| 32       | 0.405                     |
| 33/1/1   | 0.636                     |
| 33/2     | 0.664                     |
| 34       | 0.745                     |
| 44       | 0.066                     |
| 85/2     | 0.445                     |
| 85/3     | 0.704                     |
| 87       | 0.674                     |
| 91/2     | 0.226                     |
| 95       | 0.200                     |
| 99/3     | 1.295                     |
| 116      | 0.213                     |
| 117      | 0.283                     |
| 118      | 0.243                     |
| 119      | 0.162                     |

| (1)     | (2)   | (1)     | (2)   |
|---------|-------|---------|-------|
| 121     | 0.287 | 170     | 0.486 |
| 122     | 0.405 | 171/1   | 0.297 |
| 123     | 0.121 | 171/2   | 0.299 |
| 124     | 0.210 | 171/3   | 0.298 |
| 125     | 0.425 | 171/4   | 0.298 |
| 126/2   | 0.344 | 171/5   | 0.297 |
| 131     | 0.401 | 174/2   | 0.295 |
| 133     | 0.263 | 177     | 0.210 |
| 135     | 0.028 | 181     | 0.328 |
| 136     | 0.069 | 183/1   | 0.338 |
| 137/1   | 0.322 | 183/2/1 | 0.038 |
| 137/2   | 0.312 | 183/2/2 | 0.300 |
| 138     | 0.247 | 186     | 0.821 |
| 140     | 0.032 | 187     | 0.397 |
| 141     | 0.251 | 188     | 0.292 |
| 142     | 0.401 | 190     | 0.923 |
| 143     | 0.154 | 194     | 0.541 |
| 144     | 0.344 | 197/2   | 0.283 |
| 145     | 0.279 | 199     | 0.287 |
| 146     | 0.304 | 200/1   | 0.359 |
| 147     | 0.170 | 200/2   | 0.358 |
| 148     | 0.146 | 201     | 0.231 |
| 150     | 0.534 | 202     | 0.255 |
| 151     | 1.214 | 203     | 0.032 |
| 152     | 0.567 | 205     | 0.312 |
| 160     | 0.749 | 206     | 0.437 |
| 161/1   | 0.118 | 207     | 0.299 |
| 161/2   | 0.117 | 214     | 0.417 |
| 161/3   | 0.079 | 216/1   | 0.147 |
| 161/4   | 0.074 | 216/2   | 0.148 |
| 161/5   | 0.082 | 217     | 0.939 |
| 163/1   | 0.142 | 219/1/1 | 0.120 |
| 163/2   | 0.141 | 219/1/2 | 0.121 |
| 164/1   | 0.158 | 219/2   | 0.281 |
| 164/2   | 0.158 | 220     | 0.057 |
| 165/1   | 1.603 | 221     | 0.397 |
| 165/3/1 | 0.401 | 226/1   | 0.251 |
| 165/3/2 | 0.400 | 226/2   | 0.251 |
| 165/2   | 0.801 | 227/1   | 0.336 |
| 166     | 0.522 | 227/2   | 0.336 |
| 167     | 0.845 | 228     | 0.032 |

| (1)                  | (2)   | (1)   | (2)   |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 230                  | 0.579 | 272   | 0.125 |
| 232                  | 0.717 | 273   | 0.186 |
| 235/1                | 0.586 | 274   | 0.198 |
| 235/2                | 0.587 | 275   | 0.162 |
| 237/1                | 0.596 | 276   | 0.024 |
| 237/2                | 0.555 | 277   | 0.089 |
| 237/3                | 0.554 | 278   | 0.045 |
| 237/4                | 0.450 | 279   | 0.040 |
| 237/5                | 0.354 | 280   | 0.004 |
| 238/1/1              | 0.051 | 281   | 0.008 |
| 238/1/2              | 0.051 | 282   | 0.020 |
| 238/1/3              | 0.053 | 283   | 0.012 |
| 238/2                | 0.051 | 285/1 | 0.296 |
| 239/1/1              | 0.153 | 285/2 | 0.295 |
| 239/1/2              | 0.153 | 287   | 0.316 |
| 239/1/3              | 0.152 | 288   | 0.190 |
| 239/1/4              | 0.153 | 289   | 0.134 |
| 239/2                | 0.144 | 290   | 0.567 |
| 240/1/1              | 0.121 | 291   | 0.502 |
| 240/1/2              | 0.091 | 293   | 0.709 |
| 240/1/3              | 0.031 | 294   | 0.057 |
| 240/2 शा. न. (240/3, | 0.527 | 295   | 0.809 |
| 240/4)               |       | 296/1 | 0.071 |
| 241/1/1              | 0.129 | 296/2 | 0.200 |
| 241/1/2              | 0.129 | 297   | 0.049 |
| 241/1/3              | 0.127 | 298/1 | 0.016 |
| 241/2                | 0.129 | 298/2 | 0.012 |
| 259/1                | 0.183 | 302   | 0.105 |
| 259/2                | 0.040 | 306   | 0.036 |
| 260/1                | 0.004 | 307   | 0.611 |
| 260/2                | 0.004 | 308   | 0.008 |
| 262/1                | 0.204 | 309   | 0.575 |
| 262/2                | 0.205 | 310   | 0.356 |
| 263/1                | 0.023 | 312   | 0.729 |
| 263/2                | 0.022 | 313   | 0.049 |
| 264                  | 0.020 | 315   | 0.308 |
| 265                  | 0.024 | 316   | 0.170 |
| 267                  | 0.190 | 317   | 0.020 |
| 269                  | 0.040 | 318   | 1.052 |
| 270                  | 0.182 | 320   | 1.396 |
| 271                  | 0.119 | 321   | 0.049 |
|                      |       | 322   | 0.275 |

| (1)     | (2)   | (1)   | (2)   |
|---------|-------|-------|-------|
| 323     | 0.239 | 364   | 0.049 |
| 324     | 0.640 | 366/1 | 0.053 |
| 325     | 0.057 | 366/2 | 0.005 |
| 326     | 0.397 | 377   | 0.057 |
| 327/1/1 | 0.086 | 378   | 0.213 |
| 327/1/2 | 0.086 | 379   | 0.182 |
| 327/1/3 | 0.086 | 380   | 0.081 |
| 327/2   | 0.086 | 381/1 | 0.222 |
| 328/1   | 0.040 | 381/2 | 0.222 |
| 328/2   | 0.013 | 382/1 | 0.020 |
| 329/1   | 0.193 | 382/2 | 0.020 |
| 329/2/1 | 0.192 | 383/1 | 0.174 |
| 329/2/2 | 0.192 | 383/2 | 0.174 |
| 329/2/3 | 0.192 | 384   | 0.283 |
| 330/1/1 | 0.137 | 385/1 | 0.016 |
| 330/1/2 | 0.137 | 385/2 | 0.018 |
| 330/1/3 | 0.137 | 386   | 0.057 |
| 330/2   | 0.136 | 389   | 0.138 |
| 331/1   | 0.008 | 390   | 0.291 |
| 331/2   | 0.008 | 391/1 | 0.297 |
| 331/3   | 0.008 | 391/2 | 0.033 |
| 331/4   | 0.008 | 392/1 | 0.200 |
| 332/1   | 0.024 | 392/2 | 0.201 |
| 332/2   | 0.025 | 393/1 | 0.027 |
| 333/1/1 | 0.062 | 393/2 | 0.026 |
| 333/1/2 | 0.063 | 394/1 | 0.182 |
| 333/1/3 | 0.063 | 394/2 | 0.182 |
| 333/2   | 0.095 | 395   | 0.494 |
| 336     | 0.073 | 396   | 0.142 |
| 337     | 0.065 | 397   | 0.053 |
| 338     | 0.409 | 399/1 | 0.053 |
| 339     | 0.061 | 399/2 | 0.053 |
| 340/1   | 0.089 | 401/1 | 0.087 |
| 340/2   | 0.089 | 401/2 | 0.087 |
| 341/1   | 0.083 | 402   | 0.073 |
| 341/2   | 0.083 | 404   | 0.406 |
| 356     | 0.031 | 405/1 | 0.018 |
| 360     | 0.004 | 405/2 | 0.018 |
| 361     | 0.184 | 406/1 | 0.546 |
| 362     | 0.036 | 406/2 | 0.546 |
| 363     | 0.310 | 407/1 | 0.057 |

| (1)     | (2)   | (1)     | (2)   |
|---------|-------|---------|-------|
| 407/2   | 0.056 | 509/1   | 0.101 |
| 409     | 0.028 | 509/2   | 0.101 |
| 410/1/1 | 0.489 | 628/1   | 0.077 |
| 410/1/2 | 0.559 | 628/2   | 0.014 |
| 410/2   | 0.103 | 631/1   | 0.008 |
| 411     | 0.073 | 631/2/1 | 0.005 |
| 412     | 0.269 | 631/2/2 | 0.014 |
| 413     | 0.052 | 631/2/3 | 0.026 |
| 415     | 0.142 | 632/1   | 0.249 |
| 418/1   | 0.040 | 632/2   | 0.239 |
| 418/2   | 0.021 | 633     | 0.235 |
| 419/1   | 0.009 | 634     | 0.534 |
| 419/2   | 0.009 | 635/1   | 0.184 |
| 419/3   | 0.009 | 635/2   | 0.184 |
| 419/4   | 0.013 | 683/3   | 0.032 |
| 419/5   | 0.013 | 685/1   | 0.053 |
| 420/1   | 0.279 | 687     | 0.214 |
| 420/2   | 0.332 | 689     | 0.134 |
| 420/3   | 0.163 | 690     | 0.336 |
| 420/4   | 0.186 | 691     | 0.263 |
| 420/5   | 0.220 | 692/1   | 0.325 |
| 421/1   | 0.062 | 692/2   | 0.412 |
| 421/2   | 0.063 | 693     | 0.299 |
| 421/3   | 0.021 | 694     | 0.040 |
| 425/1   | 0.720 | 695     | 0.275 |
| 425/2   | 0.720 | 698     | 0.425 |
| 426/1   | 0.024 | 699     | 0.706 |
| 426/2   | 0.020 | 700     | 0.352 |
| 427     | 0.081 | 701     | 0.672 |
| 428/2   | 0.030 | 702     | 0.466 |
| 429     | 0.057 | 703     | 0.077 |
| 435/1   | 0.347 | 704     | 0.210 |
| 435/2   | 0.096 | 706     | 0.455 |
| 436/1   | 0.024 | 707/3   | 0.249 |
| 436/2   | 0.020 | 707/4   | 0.068 |
| 436/3   | 0.005 | 707/5   | 0.165 |
| 436/4   | 0.004 | 708     | 0.255 |
| 451     | 0.035 | 709     | 0.668 |
| 452     | 0.328 | 710/1/1 | 0.192 |
| 453/1   | 0.010 | 710/1/2 | 0.192 |
| 455     | 0.023 | 710/1/3 | 0.193 |

| (1)     | (2)   | (1)     | (2)            |
|---------|-------|---------|----------------|
| 710/1/4 | 0.288 | 751/1   | 0.145          |
| 710/1/5 | 0.288 | 751/2   | 0.173          |
| 710/2   | 0.567 | 751/3/1 | 0.116          |
| 711/1   | 0.676 | 751/3/2 | 0.116          |
| 711/2   | 0.547 | 754/2   | 0.311          |
| 711/3   | 0.849 | 759/1   | 0.400          |
| 711/4   | 0.571 | 759/2   | 0.400          |
| 712     | 0.769 | 764     | 0.146          |
| 717     | 0.713 | 777/8/1 | 0.039          |
| 718     | 0.890 | 777/8/2 | 0.039          |
| 719     | 0.983 | 777/8/3 | 0.180          |
| 720     | 0.466 | योग . . | <u>109.696</u> |
| 721     | 0.672 |         |                |
| 722     | 0.450 |         |                |
| 723     | 1.173 |         |                |
| 724     | 0.494 |         |                |
| 725     | 1.708 |         |                |
| 726     | 1.100 |         |                |
| 729     | 0.045 |         |                |
| 731     | 0.437 |         |                |
| 732     | 0.057 |         |                |
| 740/1   | 0.687 |         |                |
| 740/2   | 0.385 |         |                |
| 740/3   | 0.728 |         |                |
| 741/1   | 1.066 |         |                |
| 741/2   | 1.068 |         |                |
| 742/1   | 0.307 |         |                |
| 742/2   | 0.308 |         |                |
| 742/3/1 | 0.153 |         |                |
| 742/3/2 | 0.154 |         |                |
| 743/1   | 0.464 |         |                |
| 743/2/1 | 0.335 |         |                |
| 743/2/2 | 0.799 |         |                |
| 743/2/3 | 1.599 |         |                |
| 744/1   | 0.445 |         |                |
| 744/2   | 0.445 |         |                |
| 744/3   | 0.445 |         |                |
| 746     | 1.376 |         |                |
| 748/1   | 0.371 |         |                |
| 748/2   | 0.381 |         |                |
| 748/3/1 | 0.186 |         |                |
| 748/3/2 | 0.185 |         |                |

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम कुड़ैला की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा, छत्तरपुर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्कस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छत्तरपुर
- (ख) तहसील—बड़ामलहरा
- (ग) ग्राम—बन बेरेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—11.235 हेक्टर।

| खसरा नं. | अर्जित रकमा<br>(हे. में) |
|----------|--------------------------|
| (1)      | (2)                      |
| 43/1     | 0.157                    |
| 43/2     | 0.100                    |
| 43/3     | 0.100                    |
| 43/4     | 0.141                    |
| 43/5     | 0.098                    |
| 43/6     | 0.144                    |

| (1)     | (2)   | (1)     | (2)           |
|---------|-------|---------|---------------|
| 44/3    | 0.178 | 621/6   | 0.036         |
| 73/2    | 0.445 | 621/7   | 0.041         |
| 169/3   | 0.174 | 628/1   | 0.105         |
| 287/1   | 0.283 | 628/2   | 0.130         |
| 290/2   | 0.021 | 628/3/1 | 0.076         |
| 295/3   | 0.190 | 628/3/2 | 0.076         |
| 303/1/3 | 0.048 | 631/1/1 | 0.038         |
| 306/2   | 0.129 | 631/1/2 | 0.038         |
| 306/3   | 0.130 | 631/2   | 0.078         |
| 323/3   | 0.421 | 631/3   | 0.078         |
| 334/4   | 0.061 | 631/4   | 0.121         |
| 334/9   | 0.035 | 631/5   | 0.117         |
| 334/10  | 0.191 | 631/6   | 0.121         |
| 345/2   | 0.129 | 631/7   | 0.118         |
| 428/2/6 | 0.160 | 648/1   | 0.034         |
| 453/1   | 0.041 | 648/2/1 | 0.017         |
| 466     | 0.352 | 648/2/2 | 0.018         |
| 467     | 0.640 | 649/1   | 0.083         |
| 502     | 0.089 | 649/2/1 | 0.042         |
| 504     | 0.332 | 649/2/2 | 0.041         |
| 563     | 0.121 | 662     | 0.279         |
| 574     | 0.214 | 663     | 0.220         |
| 613/1   | 0.128 | 691     | 0.083         |
| 613/2   | 0.128 | 692/2   | 0.121         |
| 613/3   | 0.513 | 692/3   | 0.142         |
| 617/1   | 1.521 | 694     | 0.200         |
| 619/1   | 0.096 | योग :   | <u>11.235</u> |
| 619/2   | 0.097 |         |               |
| 619/3   | 0.097 |         |               |
| 619/4   | 0.150 |         |               |
| 619/5   | 0.150 |         |               |
| 619/6   | 0.150 |         |               |
| 619/7   | 0.150 |         |               |
| 620/1   | 0.036 |         |               |
| 620/2   | 0.036 |         |               |
| 620/3   | 0.036 |         |               |
| 620/4   | 0.057 |         |               |
| 620/5   | 0.057 |         |               |
| 620/6   | 0.053 |         |               |
| 620/7   | 0.057 |         |               |
| 621/1   | 0.024 |         |               |
| 621/2   | 0.024 |         |               |
| 621/3   | 0.024 |         |               |
| 621/4   | 0.037 |         |               |
| 621/5   | 0.037 |         |               |

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम बन्वरेला के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा, छतरपुर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्बासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—बड़ामलहरा

|                                             |             |       |       |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-------|
| (ग) ग्राम—सरकना                             |             | (1)   | (2)   |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—39.422 हेक्टर. |             | 432/3 | 0.104 |
| खसरा नं.                                    | आर्जित रकमा | 433   | 0.316 |
|                                             | (हे. में)   | 453/2 | 0.014 |
| (1)                                         | (2)         | 454   | 0.093 |
| 47                                          | 0.100       | 457   | 0.122 |
| 257/9/4                                     | 0.051       | 459   | 0.300 |
| 260/1                                       | 0.091       | 464   | 0.906 |
| 261/क                                       | 0.308       | 465   | 0.206 |
| 262/क/1                                     | 0.113       | 466   | 0.121 |
| 262/क/2                                     | 0.068       | 467   | 0.077 |
| 263/क/1                                     | 0.233       | 468   | 0.089 |
| 263/क/2                                     | 0.232       | 469   | 0.194 |
| 263/ख                                       | 0.465       | 470   | 0.109 |
| 265/क/1                                     | 0.010       | 471   | 0.045 |
| 265/क/2                                     | 0.010       | 472   | 0.040 |
| 265/ख                                       | 0.021       | 473   | 0.154 |
| 266                                         | 0.309       | 474   | 0.069 |
| 269/1/1                                     | 0.470       | 483/2 | 0.114 |
| 269/1/2                                     | 0.607       | 490   | 0.422 |
| 269/2                                       | 0.607       | 491/2 | 0.077 |
| 269/3                                       | 0.728       | 493   | 0.354 |
| 270                                         | 0.300       | 494/क | 0.211 |
| 274/1                                       | 0.058       | 494/ख | 0.211 |
| 274/2                                       | 0.056       | 495   | 0.506 |
| 274/3                                       | 0.056       | 505/1 | 0.337 |
| 274/4                                       | 0.053       | 507   | 0.409 |
| 275/1                                       | 0.721       | 508/1 | 0.060 |
| 275/2                                       | 0.550       | 508/2 | 0.054 |
| 278                                         | 0.640       | 511   | 0.069 |
| 279                                         | 0.388       | 512   | 0.032 |
| 317/1                                       | 0.003       | 513/1 | 0.058 |
| 317/2/2                                     | 0.212       | 514/1 | 0.170 |
| 317/2/1                                     | 0.354       | 514/2 | 0.089 |
| 317/2/4                                     | 0.004       | 515   | 0.061 |
| 318/3                                       | 0.351       | 517/1 | 0.097 |
| 320/1/2                                     | 0.035       | 517/2 | 0.097 |
| 415/1                                       | 0.136       | 518/1 | 0.060 |
| 415/2                                       | 0.688       | 518/2 | 0.061 |
| 417/1                                       | 0.405       | 519/1 | 0.061 |
| 418                                         | 1.668       | 519/2 | 0.060 |
| 427/2/3                                     | 0.203       | 520   | 0.091 |
| 427/2/4                                     | 0.202       | 521/1 | 0.020 |
| 432/1                                       | 0.020       | 521/2 | 0.006 |
| 432/2                                       | 0.020       | 522   | 0.032 |

| (1)        | (2)   | (1)       | (2)   |
|------------|-------|-----------|-------|
| 523/1/2    | 0.119 | 1150      | 0.505 |
| 523/4      | 0.010 | 1151      | 0.028 |
| 554/2      | 0.405 | 1152      | 0.599 |
| 555        | 0.414 | 1153      | 0.458 |
| 556        | 0.172 | 1154      | 0.275 |
| 557        | 0.201 | 1155      | 0.478 |
| 558        | 0.085 | 1156      | 0.486 |
| 955/3/2    | 0.350 | 1157      | 0.474 |
| 955/2      | 0.243 | 1158      | 0.182 |
| 957        | 0.077 | 1159      | 0.227 |
| 958        | 1.060 | 1160      | 0.057 |
| 959        | 0.388 | 1161      | 0.591 |
| 963        | 0.279 | 1162      | 0.478 |
| 964        | 0.498 | 1167/1    | 0.324 |
| 965        | 0.360 | 1167/2    | 0.324 |
| 966        | 0.160 | 1168      | 0.368 |
| 967        | 0.063 | 1142/1168 | 0.336 |
| 968        | 0.248 | 1169      | 0.089 |
| 969        | 0.162 | 1170      | 0.235 |
| 970        | 0.287 | 1171      | 0.065 |
| 971        | 0.154 | 1172      | 0.101 |
| 972        | 0.036 | 1173      | 0.093 |
| 973        | 0.532 | 1174/1    | 0.021 |
| 974        | 0.143 | 1174/2    | 0.008 |
| 988/1      | 0.167 | 1180/1    | 0.043 |
| 988/2      | 0.126 | 1180/2    | 0.013 |
| 989/1/2    | 0.237 | 1181/1    | 0.077 |
| 989/2      | 0.368 | 1181/2    | 0.010 |
| 989/3/1    | 0.399 | 1181/3    | 0.081 |
| 989/3/2/1  | 0.110 | 1181/4    | 0.031 |
| 989/3/2/2  | 0.289 | 1182      | 0.061 |
| 990/1      | 0.092 | 1183/1    | 0.059 |
| 990/2      | 0.184 | 1183/2    | 0.120 |
| 991/1      | 0.381 | 1183/3    | 0.060 |
| 1136/3     | 0.595 | 1184      | 0.020 |
| 1137/1     | 0.580 | 1185/1    | 0.032 |
| 1137/2/1   | 0.219 | 1185/2    | 0.045 |
| 1137/2/2/1 | 0.228 | 1185/3    | 0.032 |
| 1137/2/2/2 | 0.129 | 1185/4    | 0.020 |
| 1139/1     | 0.080 | 1186      | 0.141 |
| 1145       | 0.720 | 1189      | 0.269 |
| 1146       | 0.083 | 1205/2/1  | 0.029 |
| 1148       | 0.120 | 1207      | 0.340 |
| 1149       | 0.114 | 1208      | 0.628 |

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                      | (1)     | (2)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| 1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.308                    | 238     | 0.275 |
| 1210/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.073                    | 239     | 0.675 |
| 1210/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.044                    | 240     | 0.057 |
| 1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.046                    | 242/3   | 0.125 |
| 1222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.051                    | 246     | 0.526 |
| योग . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>39.422</u>            | 248     | 0.040 |
| (2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम सरकना के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 249     | 0.190 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | 250     | 0.170 |
| प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:— |                          | 251     | 0.206 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 252     | 0.150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 253     | 0.036 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 254     | 0.153 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 255     | 0.295 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 256     | 0.040 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 257     | 0.478 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 333     | 0.800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 400/1/1 | 0.400 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 400/1/2 | 0.377 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 402/1   | 0.196 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 402/2/1 | 0.076 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 402/2/2 | 0.315 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 414/2   | 1.135 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 415     | 0.041 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 423     | 0.055 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 425     | 0.151 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 426     | 0.231 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 427     | 0.170 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 428     | 1.281 |
| खसरा नं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अर्जित रकमा<br>(हे. में) | 430/1   | 0.566 |
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)                      | 430/2   | 0.163 |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.237                    | 430/3   | 0.566 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.777                    | 436     | 0.671 |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.668                    | 438     | 0.229 |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.753                    | 440     | 0.080 |
| 61/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.862                    | 502/1   | 0.303 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.011                    | 502/2   | 0.304 |
| 64/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.265                    | 537     | 0.370 |
| 64/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.265                    | 541     | 0.300 |
| 64/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.266                    | 542     | 0.397 |
| 64/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.800                    | 543     | 0.595 |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.200                    | 547     | 0.887 |
| 108/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.263                    | 582     | 0.684 |
| 207/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.525                    | 589     | 0.017 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 595     | 0.378 |

| (1)   | (2)   | (1)     | (2)   |
|-------|-------|---------|-------|
| 601   | 0.113 | 766/2   | 0.189 |
| 603   | 0.307 | 774     | 0.194 |
| 604   | 0.757 | 775     | 0.352 |
| 605   | 0.081 | 777/1   | 0.145 |
| 612   | 0.138 | 777/2   | 0.146 |
| 613   | 0.194 | 776     | 0.190 |
| 614   | 0.664 | 778     | 0.101 |
| 618   | 0.188 | 779     | 0.146 |
| 619   | 0.217 | 780     | 0.129 |
| 620   | 0.106 | 781/1   | 0.178 |
| 621   | 0.192 | 781/2   | 0.178 |
| 624   | 0.108 | 782     | 0.040 |
| 636/2 | 0.500 | 783     | 0.085 |
| 636/4 | 0.333 | 784/1   | 0.131 |
| 636/5 | 1.020 | 784/2   | 0.131 |
| 638/6 | 0.192 | 786     | 0.409 |
| 640   | 0.601 | 787/2/1 | 0.481 |
| 710   | 0.125 | 787/2/2 | 0.263 |
| 713   | 0.828 | 787/3   | 1.173 |
| 715   | 0.034 | 789     | 2.792 |
| 716   | 0.835 | 790     | 0.174 |
| 718   | 0.590 | 791     | 0.364 |
| 719   | 0.517 | 792     | 0.583 |
| 722   | 0.434 | 793     | 0.283 |
| 723   | 0.458 | 794     | 0.057 |
| 724   | 0.032 | 795     | 1.032 |
| 725   | 0.336 | 796     | 0.316 |
| 726   | 0.263 | 797     | 0.061 |
| 727   | 0.397 | 798     | 0.283 |
| 728   | 0.101 | 799     | 0.065 |
| 729   | 0.129 | 800     | 0.291 |
| 731   | 0.644 | 802     | 0.235 |
| 732   | 0.210 | 803     | 0.049 |
| 733   | 0.110 | 804     | 0.101 |
| 734   | 0.040 | 805     | 0.450 |
| 735   | 0.299 | 806     | 0.159 |
| 736   | 0.243 | 807     | 0.198 |
| 737   | 0.036 | 808     | 0.049 |
| 743   | 0.042 | 811     | 1.625 |
| 744   | 0.114 | 815/1   | 0.376 |
| 745   | 0.195 | 815/2   | 1.072 |
| 755/1 | 0.390 | 817/1   | 0.113 |
| 762   | 0.032 | 819     | 0.288 |
| 766/1 | 0.098 | 826     | 0.215 |

| (1)       | (2)   | (1)        | (2)   |
|-----------|-------|------------|-------|
| 830       | 0.239 | 1177       | 0.061 |
| 831       | 0.024 | 1180       | 0.162 |
| 832       | 0.777 | 1183       | 0.182 |
| 833       | 0.332 | 1184       | 0.304 |
| 834       | 0.802 | 1185       | 0.012 |
| 836/1     | 1.554 | 1186       | 0.324 |
| 837/1     | 0.161 | 1187       | 0.255 |
| 837/2     | 0.289 | 1188       | 0.243 |
| 842       | 0.100 | 1189       | 0.024 |
| 844       | 0.178 | 1190       | 0.186 |
| 845       | 0.073 | 1191       | 0.409 |
| 848       | 0.015 | 1192       | 0.101 |
| 850       | 0.202 | 1193       | 0.243 |
| 854/3     | 0.101 | 1194       | 0.336 |
| 857       | 0.170 | 1195       | 0.036 |
| 875       | 0.300 | 1196       | 0.482 |
| 905       | 0.046 | 1197       | 0.486 |
| 952/min 1 | 1.620 | 1198       | 0.257 |
| 993/1     | 0.035 | 1199       | 0.024 |
| 993/2     | 0.035 | 1200       | 0.404 |
| 993/3     | 0.035 | 1203       | 0.103 |
| 1021      | 0.121 | 1204       | 0.016 |
| 1071      | 0.170 | 1205       | 0.067 |
| 1144      | 0.036 | 1231/1     | 1.100 |
| 1145      | 0.040 | 1242/3     | 0.854 |
| 1146      | 0.012 | 1267       | 0.008 |
| 1152      | 0.028 | 1289/min 1 | 0.802 |
| 1153      | 0.263 | 1294       | 0.729 |
| 1156      | 0.016 | 1295       | 0.223 |
| 1157      | 0.243 | 1308/2     | 0.769 |
| 1158      | 0.016 | 1320       | 0.328 |
| 1159      | 0.142 | 1325       | 0.382 |
| 1160      | 0.081 | 1331       | 0.875 |
| 1161      | 0.041 | 1338       | 0.355 |
| 1162      | 0.097 | 1339       | 0.739 |
| 1166      | 0.036 | 1400       | 0.179 |
| 1167      | 0.093 | 1401       | 0.134 |
| 1168      | 0.142 | 1402       | 0.214 |
| 1169      | 0.142 | 1403       | 0.206 |
| 1171      | 0.097 | 1404       | 0.198 |
| 1172      | 0.040 | 1405       | 0.202 |
| 1173      | 0.089 | 1406       | 0.510 |
| 1175      | 0.777 | 1409/2     | 1.981 |
| 1176      | 0.388 | 1410       | 0.765 |

| (1)      | (2)   | (1)    | (2)   |
|----------|-------|--------|-------|
| 1414     | 0.316 | 1546   | 0.287 |
| 1415     | 0.089 | 1550   | 0.007 |
| 1416     | 0.591 | 1566   | 0.145 |
| 1417     | 0.387 | 1568   | 0.089 |
| 1418     | 0.024 | 1570   | 0.042 |
| 1419/1   | 0.002 | 1571   | 0.344 |
| 1419/2   | 0.255 | 1572   | 0.045 |
| 1435     | 0.709 | 1576   | 0.283 |
| 1448/1   | 0.202 | 1577   | 0.441 |
| 1448/2/1 | 0.196 | 1583   | 0.413 |
| 1448/3/1 | 0.223 | 1587   | 0.082 |
| 1453     | 0.619 | 1588   | 0.200 |
| 1454     | 0.737 | 1590   | 0.032 |
| 1455     | 0.397 | 1601   | 0.612 |
| 1459     | 0.272 | 1604/1 | 0.061 |
| 1460     | 0.324 | 1605   | 0.202 |
| 1461     | 0.437 | 1648   | 0.097 |
| 1462     | 0.089 | 1651   | 0.037 |
| 1463     | 0.400 | 1652   | 0.142 |
| 1464/2/3 | 0.045 | 1659   | 0.757 |
| 1464/3   | 0.914 | 1660   | 0.073 |
| 1464/4   | 0.285 | 1661   | 0.296 |
| 1465     | 0.033 | 1662/1 | 0.100 |
| 1470     | 0.049 | 1662/2 | 0.379 |
| 1479     | 0.004 | 1663   | 0.274 |
| 1481/2   | 0.451 | 1664   | 0.500 |
| 1482     | 0.182 | 1665   | 0.922 |
| 1484     | 0.137 | 1666   | 1.137 |
| 1485     | 0.021 | 1667   | 0.375 |
| 1486     | 0.084 | 1668   | 0.193 |
| 1487/1/1 | 1.018 | 1669   | 0.152 |
| 1487/1/2 | 0.086 | 1671   | 0.030 |
| 1487/2/1 | 0.305 | 1673   | 0.506 |
| 1489     | 0.052 | 1674/1 | 0.611 |
| 1526     | 0.134 | 1756   | 0.015 |
| 1529     | 0.020 | 1815   | 0.088 |
| 1530     | 0.809 | 1816   | 0.170 |
| 1531     | 0.138 | 1818   | 0.534 |
| 1532     | 0.162 | 1821   | 0.243 |
| 1534     | 0.700 | 1822   | 0.287 |
| 1535     | 0.723 | 1823   | 0.829 |
| 1538     | 0.540 | 1824   | 0.223 |
| 1543     | 0.247 | 1825   | 0.648 |
| 1544     | 0.200 | 1827   | 0.200 |

| (1)                       | (2)            |
|---------------------------|----------------|
| 1828                      | 0.413          |
| 1830                      | 0.081          |
| 1832                      | 0.103          |
| 1834                      | 0.023          |
| 1835                      | 0.520          |
| 1836                      | 0.340          |
| 1837                      | 0.162          |
| 1838                      | 0.821          |
| 1839                      | 0.012          |
| 1840                      | 0.361          |
| 1874                      | 0.081          |
| 1875                      | 0.089          |
| 1878                      | 0.057          |
| 1882                      | 0.223          |
| 1884                      | 0.162          |
| 1885                      | 0.065          |
| 1886                      | 0.057          |
| 1887                      | 0.342          |
| 1888                      | 0.075          |
| 1891                      | 0.121          |
| 1892/1                    | 0.628          |
| 1892/2                    | 0.769          |
| 1892/3                    | 0.478          |
| 1894                      | 0.078          |
| class no. p 1 beet sorkhi | 1.478          |
| योग . .                   | <u>111.899</u> |

- (2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के लिए ग्राम सौरखी की भूमि के भू-अर्जन की आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा छतरपुर में किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 1 जुलाई 2017

प्रक. क्र. 01-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—कटनी
- (ग) ग्राम—करहिया, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.679 हेक्टेयर

(शासकीय भूमि 0.370 है। एवं निजी भूमि का रकबा 2.309 है।)

| खसरा                   | रकबा      |
|------------------------|-----------|
| नंबर                   | (हे. में) |
| (1)                    | (2)       |
| 60/1, 60/2, 60/3, 60/4 | 0.546     |
| 38                     | 0.043     |
| 27                     | 0.146     |
| 61/1, 61/2             | 0.250     |
| 48                     | 0.028     |
| 39                     | 0.196     |
| 28                     | 0.183     |
| 49                     | 0.592     |
| 47                     | 0.001     |
| 40                     | 0.006     |
| 24                     | 0.370     |
| 445/48                 | 0.006     |
| 44/1, 44/2, 44/3       | 0.295     |
| 26                     | 0.017     |

कुल रकबा . . 2.679

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है पश्चिम सेन्ट्रल रेल्वे जबलपुर द्वारा झुकेही कमोर कार्ड रेल लाइन निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी में किया जा सकता है।
- (4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 2017 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जून 2017

क्र. 3993-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-44-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—निहाली
- (घ) क्षेत्रफल—0.770 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|-----------|----------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                          |
| 15/1      | 0.220                                        |
| 15/2/1    | 0.080                                        |
| 15/2/2    | 0.120                                        |
| 15/2/3    | 0.160                                        |
| 15/2/5    | 0.120                                        |
| 15/4      | 0.070                                        |
| योग . .   | <u>0.770</u>                                 |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3994-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-13-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—रेहगुन
- (घ) क्षेत्रफल—9.114 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर        | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|------------------|----------------------------------------------|
| (1)              | (2)                                          |
| 12/1             | 0.100                                        |
| 12/3             | 0.085                                        |
| 12/7             | 0.012                                        |
| 12/15            | 0.120                                        |
| 32/1             | 0.210                                        |
| 32/2, 32/3, 33/2 | 0.010                                        |
| 33/1             | 0.138                                        |
| 34/1             | 0.062                                        |
| 34/2             | 0.152                                        |
| 35/1             | 0.065                                        |
| 35/2             | 0.068                                        |
| 35/3             | 0.068                                        |
| 35/4             | 0.052                                        |
| 36/2             | 0.195                                        |
| 218/2            | 0.068                                        |
| 37/4             | 0.082                                        |
| 38/1             | 0.053                                        |
| 38/3/1           | 0.040                                        |
| 38/4             | 0.052                                        |
| 38/7             | 0.065                                        |

| (1)                  | (2)   | (1)                 | (2)   |
|----------------------|-------|---------------------|-------|
| 40/4                 | 0.030 | 184/3               | 0.072 |
| 40/5                 | 0.065 | 186/1, 187/4        | 0.100 |
| 40/7                 | 0.135 | 187/6               | 0.060 |
| 40/8                 | 0.048 | 186/2               | 0.315 |
| 40/9                 | 0.030 | 187/5               | 0.100 |
| 43/1/1               | 0.050 | 187/3               | 0.052 |
| 43/2/1               | 0.125 | 187/1, 188/1,       |       |
| 43/3                 | 0.028 | 188/2, 190/2        | 0.020 |
| 43/4                 | 0.025 | 187/2               | 0.060 |
| 201/5                | 0.037 | 196                 | 0.435 |
| 43/5                 | 0.025 | 200/2, 217          | 0.128 |
| 43/6                 | 0.017 | 201/1               | 0.054 |
| 45/1                 | 0.080 | 201/2               | 0.055 |
| 45/2                 | 0.100 | 201/4               | 0.045 |
| 45/7                 | 0.060 | 201/6               | 0.048 |
| 227/2                | 0.080 | 202/1               | 0.031 |
| 45/8                 | 0.075 | 202/2               | 0.037 |
| 46/1                 | 0.125 | 202/3               | 0.037 |
| 47/1, 65/4           | 0.170 | 204                 | 0.076 |
| 47/2                 | 0.165 | 218/1               | 0.058 |
| 47/3, 65/3           | 0.140 | 205                 | 0.073 |
| 93/2                 | 0.110 | 206/1               | 0.050 |
| 93/9                 | 0.140 | 206/2               | 0.045 |
| 96/2                 | 0.050 | 209/1               | 0.068 |
| 101/3                | 0.125 | 209/4               | 0.045 |
| 101/5                | 0.108 | 291/3, 292/6, 292/7 | 0.185 |
| 103/2                | 0.060 | 210                 | 0.068 |
| 103/3                | 0.080 | 223, 224/1          | 0.090 |
| 150/2/5              | 0.010 | 228/2               | 0.078 |
| 153/4, 154/5, 154/18 | 0.023 | 267                 | 0.090 |
| 153/7, 154/10        | 0.045 | 274/2               | 0.010 |
| 153/10, 154/13       | 0.061 | 277/1               | 0.065 |
| 153/12, 154/15       | 0.040 | 277/2               | 0.053 |
| 153/19, 154/24       | 0.022 | 277/3               | 0.055 |
| 153/20, 154/25       | 0.016 | 277/4               | 0.110 |
| 154/3, 235/2         | 0.124 | 278/2, 278/3/1      | 0.087 |
| 154/16, 153/13       | 0.036 | 283                 | 0.025 |
| 172/2                | 0.005 | 289/1               | 0.085 |
| 172/3                | 0.053 | 289/2               | 0.092 |
| 181/3                | 0.090 | 289/3               | 0.047 |
| 181/7                | 0.060 | 289/4               | 0.050 |
| 183/1                | 0.065 | 290/1, 291/1,       |       |
| 183/2                | 0.560 | 292/3, 292/4/1/क    | 0.262 |

| (1)                 | (2)          | (1)        | (2)   |
|---------------------|--------------|------------|-------|
| 291/2, 292/4, 292/5 | 0.098        | 39/2       | 0.094 |
| 296                 | 0.174        | 39/3, 54/4 | 0.060 |
| 297                 | 0.136        | 54/6/1     | 0.030 |
| योग . .             | <u>9.114</u> | 54/8/1     | 0.028 |

|                                                                                                                                                                      |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.                                       | 54/16/1ख | 0.045 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।              | 54/16/1क | 0.065 |
| (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। | 64/1     | 0.100 |
| (5) समूचित सरकार की वैबसाईट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है।                                                      | 64/2     | 0.095 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| क्र. 3996-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-26-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | 88/3       | 0.064 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89/1       | 0.170 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89/5       | 0.128 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90/6       | 0.025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90/4       | 0.055 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90/5       | 0.035 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91/1       | 0.116 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91/2       | 0.094 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91/5       | 0.054 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92/1       | 0.030 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91/7       | 0.008 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91/9       | 0.080 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92/2       | 0.075 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92/3       | 0.038 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108        | 0.125 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113/1/4    | 0.020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113/1/5    | 0.022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113/1/6    | 0.054 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133/2      | 0.108 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135, 136/3 | 0.045 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113/2      | 0.050 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114/2      | 0.032 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114/3      | 0.028 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115/3      | 0.078 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115/4      | 0.062 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120/9      | 0.115 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 122        | 0.285 |

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—कासेल

(घ) क्षेत्रफल—4.904 हेक्टेयर।

| खसरा<br>नंबर      | अर्जन का क्षेत्र<br>(हे. में) | (1)        | (2)   |
|-------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 8/3               |                               | 0.065      |       |
| 18/2, 19/4, 217/4 | 0.075                         |            |       |
| 19/1              | 0.090                         |            |       |
| 19/3              | 0.048                         |            |       |
| 39/1              | 0.210                         |            |       |
|                   |                               | 135, 136/3 | 0.045 |
|                   |                               | 113/2      | 0.050 |
|                   |                               | 114/2      | 0.032 |
|                   |                               | 114/3      | 0.028 |
|                   |                               | 115/3      | 0.078 |
|                   |                               | 115/4      | 0.062 |
|                   |                               | 120/9      | 0.115 |
|                   |                               | 122        | 0.285 |

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2)                       | धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-<br>अनुसूची |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133/1/क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.018                     |                                                                                                                      |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.100                     |                                                                                                                      |
| 146/1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.110                     | (1) भूमि का वर्णन—                                                                                                   |
| 146/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.040                     | (क) जिला—बड़वाड़ी                                                                                                    |
| 146/2/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.028                     | (ख) तहसील—राजपुर                                                                                                     |
| 147/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.044                     | (ग) ग्राम—बुदरा                                                                                                      |
| 179/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.062                     | (घ) क्षेत्रफल—2.036 हेक्टेयर.                                                                                        |
| 179/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.080                     | खसरा अधिग्रहित किया जाने वाला                                                                                        |
| 179/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.035                     | नंबर क्षेत्रफल (हे. में)                                                                                             |
| 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.030                     | (1) (2)                                                                                                              |
| 216/2, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.150                     | 1/1 0.222                                                                                                            |
| 217/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.036                     | 1/2 0.120                                                                                                            |
| 223, 231/3, 231/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.402                     | 27/4 0.104                                                                                                           |
| 226/1, 231/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.095                     | 28/1 0.040                                                                                                           |
| 226/3, 227/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.015                     | 27/5, 27/9, 29/2, 29/12 0.090                                                                                        |
| 227/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.020                     | 27/8, 29/5/1 0.040                                                                                                   |
| 227/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.050                     | 28/3 0.100                                                                                                           |
| 228/2, 229/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.032                     | 28/4 0.055                                                                                                           |
| 229/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.022                     | 29/5 0.115                                                                                                           |
| 229/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.056                     | 29/6 0.100                                                                                                           |
| 231/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.035                     | 29/7 0.010                                                                                                           |
| योग . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>4.904</u>              | 49/1 0.132                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 49/3 0.130                                                                                                           |
| (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.                                                                                                                                                                                                                  | 52/2, 53/1 0.070          |                                                                                                                      |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.                                                                                                                                                                                        | 124/1 0.260               |                                                                                                                      |
| (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.                                                                                                                                                                           | 124/2, 125/2 0.152        |                                                                                                                      |
| (5) समूचित सरकार की वैबसाईट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है.                                                                                                                                                                                                                                | 126/1/2 0.056             |                                                                                                                      |
| क्र. 3995-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-27-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की | 152/1, 152/4, 153/3 0.014 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 149 0.068                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 155/2 0.050                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 156/2 0.048                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 156/3 0.060                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | योग . . <u>2.036</u>                                                                                                 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 3997-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-38-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—रणगांव रोड
- (घ) क्षेत्रफल—4.476 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर            | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |                     |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| (1)                  | (2)                                          |                     |
| 4/4, 4/8, 5/3, 14/2  | 0.005                                        |                     |
| 4/5, 5/2, 13/2, 14/4 | 0.215                                        |                     |
| 11/1क                | 0.180                                        |                     |
| 12/4                 | 0.045                                        |                     |
| 14/1                 | 0.042                                        |                     |
| 15/1                 | 0.038                                        |                     |
| 24/2/2, 38/2         | 0.210                                        |                     |
| 24/2/3               | 0.068                                        |                     |
| 24/2/4               | 0.032                                        |                     |
| 24/4                 | 0.084                                        |                     |
| 39/1/2               | 0.030                                        |                     |
| 43/2/1               | 0.030                                        |                     |
| 43/6                 | 0.095                                        |                     |
| 46/3, 46/9           | 0.045                                        |                     |
| 43/4, 43/12          | 0.098                                        |                     |
|                      |                                              | 115/1, 118/6/ख      |
|                      |                                              | 120/2               |
|                      |                                              | 121/1/1             |
|                      |                                              | 121/1/2             |
|                      |                                              | 121/14              |
|                      |                                              | 121/15              |
|                      |                                              | 125                 |
|                      |                                              | 129/4, 131/1, 132/1 |
|                      |                                              | 131/2, 132/2        |
|                      |                                              | 134/1/क, 135/2क     |
|                      |                                              | 134/1/ग, 135/2ग     |
|                      |                                              | 134/5               |
|                      |                                              | 134/6               |
|                      |                                              | 150/2               |
|                      |                                              | 166/3, 168/2        |
|                      |                                              | 168/1               |
|                      |                                              | 169/4, 169/6        |
|                      |                                              | 174/2, 175/1        |
|                      |                                              | 174/5, 175/4, 176/2 |
|                      |                                              | 174/6, 175/3        |
|                      |                                              | 177/1, 211/3        |
|                      |                                              | 177/2, 211/2        |
|                      |                                              | 178/1               |
|                      |                                              | 179/3               |
|                      |                                              | 179/8               |
|                      |                                              | 179/4               |
|                      |                                              | 179/6               |
|                      |                                              | 179/7               |
|                      |                                              | 179/9               |
|                      |                                              | 180/8               |
|                      |                                              | 180/9               |
|                      |                                              | 180/10              |
|                      |                                              | 180/14              |

(1) 43/8, 43/13, 46/2, | 0.020  
46/12, 43/14 |

43/17 0.020  
43/18 0.020  
43/19 0.020

115/1, 118/6/ख 0.125  
120/2 0.040  
121/1/1 0.030  
121/1/2 0.080  
121/14 0.060  
121/15 0.058  
125 0.054  
129/4, 131/1, 132/1 0.010  
131/2, 132/2 0.018  
134/1/क, 135/2क 0.035

134/1/ग, 135/2ग 0.196  
134/5 0.020  
134/6 0.020  
150/2 0.008

166/3, 168/2 0.140  
168/1 0.095  
169/4, 169/6 0.048  
174/2, 175/1 0.190  
174/5, 175/4, 176/2 0.095

174/6, 175/3 0.086  
177/1, 211/3 0.134  
177/2, 211/2 0.020  
178/1 0.164

179/3 0.015  
179/8 0.026  
179/4 0.125

179/6 0.068  
179/7 0.032  
179/9 0.176

180/8 0.020  
180/9 0.020  
180/10 0.020  
180/14 0.048

| (1)                    | (2)          | (ग) ग्राम—जलगोन               |
|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 180/15                 | 0.036        | (घ) क्षेत्रफल—7.856 हेक्टेयर. |
| 181/1                  | 0.156        | खसरा अधिग्रहित किया जाने वाला |
| 186/2                  | 0.010        | नंबर क्षेत्रफल (हे. में)      |
| 196/2                  | 0.005        | (1) (2)                       |
| 196/3                  | 0.106        | 6/2, 6/3 0.050                |
| 196/4                  | 0.030        | 6/10 0.010                    |
| 196/5                  | 0.030        | 9/1 0.070                     |
| 198/1                  | 0.100        | 11/8 0.008                    |
| 198/2, 199/1           | 0.175        | 11/7 0.015                    |
| 199/3, 200/1, 203, 204 | 0.160        | 11/9 0.020                    |
| 198/4                  | 0.065        | 11/10 0.020                   |
| 207/7                  | 0.030        | 11/11 0.020                   |
| योग . .                | <u>4.476</u> | 12/8 0.100                    |
|                        |              | 14/2 0.035                    |
|                        |              | 14/4, 15/3 0.028              |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 3998-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-21-अ 82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर

| खसरा नंबर              | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                    | (2)                                          |
| 6/2, 6/3               | 0.050                                        |
| 6/10                   | 0.010                                        |
| 9/1                    | 0.070                                        |
| 11/8                   | 0.008                                        |
| 11/7                   | 0.015                                        |
| 11/9                   | 0.020                                        |
| 11/10                  | 0.020                                        |
| 11/11                  | 0.020                                        |
| 12/8                   | 0.100                                        |
| 14/2                   | 0.035                                        |
| 14/4, 15/3             | 0.028                                        |
| 14/5, 15/8             | 0.025                                        |
| 15/5                   | 0.040                                        |
| 149/9                  | 0.070                                        |
| 15/7                   | 0.025                                        |
| 140/4                  | 0.090                                        |
| 149/8                  | 0.075                                        |
| 17/3                   | 0.210                                        |
| 20/1, 31/4             | 0.205                                        |
| 20/2, 31/7             | 0.030                                        |
| 26                     | 0.120                                        |
| 31/10                  | 0.055                                        |
| 27/2, 27/3, 85/2, 90/2 | 0.220                                        |
| 27/7, 27/8, 86/3       | 0.030                                        |
| 31/1                   | 0.095                                        |
| 31/2, 31/3, 32/9       | 0.010                                        |
| 31/11                  | 0.120                                        |
| 55/6, 56/1             | 0.050                                        |
| 55/7, 56/2             | 0.065                                        |
| 55/8                   | 0.080                                        |
| 56/3                   | 0.100                                        |
| 56/4                   | 0.080                                        |
| 84/2                   | 0.022                                        |
| 104/1                  | 0.008                                        |
| 84/3                   | 0.005                                        |
| 104/2                  | 0.190                                        |
| 84/4                   | 0.055                                        |
| 84/7                   | 0.050                                        |

| (1)                    | (2)   | (1)          | (2)          |
|------------------------|-------|--------------|--------------|
| 85/1, 90/3, 90/4, 92/3 | 0.170 | 155/7        | 0.045        |
| 103/4, 111/7, 111/8,   | 0.090 | 155/4        | 0.090        |
| 111/2/3, 113/1         |       | 155/5/2      | 0.170        |
| 104/6                  | 0.100 | 163/5        | 0.095        |
| 104/7, 105/6, 111/4,   | 0.140 | 165/1        | 0.040        |
| 111/5                  |       | 165/5        | 0.372        |
| 111/9, 113/5, 114/2    | 0.070 | 165/2        | 0.008        |
| 133/3                  | 0.008 | 165/4        | 0.240        |
| 133/7                  | 0.110 | 166/2        | 0.100        |
| 142/1                  | 0.070 | 166/3        | 0.080        |
| 142/2                  | 0.060 | 167, 168/4   | 0.165        |
| 142/3                  | 0.016 | 168/5        | 0.190        |
| 142/4, 143/1           | 0.030 | 182/3, 182/8 | 0.245        |
| 142/6, 143/4           | 0.016 | 182/7        | 0.150        |
| 142/5                  | 0.035 | 182/16       | 0.055        |
| 142/8                  | 0.025 | 182/17       | 0.100        |
| 142/9                  | 0.080 | 183/3        | 0.035        |
| 142/11                 | 0.060 | 184/8        | 0.130        |
| 142/12                 | 0.028 | 191/4        | 0.140        |
| 143/2                  | 0.040 | योग . .      | <u>7.856</u> |
| 143/3                  | 0.085 |              |              |
| 144/4                  | 0.090 |              |              |
| 144/5                  | 0.155 |              |              |
| 184/5                  | 0.025 |              |              |
| 149/1                  | 0.100 |              |              |
| 149/4                  | 0.025 |              |              |
| 149/5                  | 0.170 |              |              |
| 149/6                  | 0.070 |              |              |
| 149/10                 | 0.065 |              |              |
| 154/1, 154/2,          | 0.250 |              |              |
| 173/1, 173/2           |       |              |              |
| 152                    | 0.090 |              |              |
| 174/2                  | 0.060 |              |              |
| 174/10                 | 0.075 |              |              |
| 153/1                  | 0.040 |              |              |
| 153/2                  | 0.055 |              |              |
| 153/3, 154/3           | 0.100 |              |              |
| 155/1                  | 0.042 |              |              |
| 155/2                  | 0.050 |              |              |
| 155/6, 171             | 0.175 |              |              |
| 155/3                  | 0.035 |              |              |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 3999-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-12-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि

पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—मुण्डला
- (घ) क्षेत्रफल—0.085 हेक्टेयर.

| अर्जित  | अधिग्रहित किया जाने वाला |
|---------|--------------------------|
| रक्कम   | क्षेत्रफल (हे. में)      |
| (1)     | (2)                      |
| 58/3    | 0.050                    |
| 58/9    | 0.035                    |
| योग . . | <u>0.085</u>             |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4000-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-30-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर

- (ग) ग्राम—मोयदा
- (घ) क्षेत्रफल—1.472 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|-----------|----------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                          |
| 18/3, 36  | 0.080                                        |
| 37/2      | 0.070                                        |
| 46/1      | 0.196                                        |
| 46/2      | 0.030                                        |
| 47/2      | 0.025                                        |
| 49/5      | 0.200                                        |
| 54        | 0.135                                        |
| 56/3      | 0.010                                        |
| 56/4      | 0.005                                        |
| 57/1      | 0.020                                        |
| 57/2      | 0.175                                        |
| 97        | 0.390                                        |
| 99/2      | 0.080                                        |
| 99/5      | 0.020                                        |
| 99/6      | 0.020                                        |
| 99/7      | 0.016                                        |
| योग . .   | <u>1.472</u>                                 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4001-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-31-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

(1) (2)

62/2 0.028

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

|                               |        |       |
|-------------------------------|--------|-------|
| (क) जिला—बड़वानी              | 134/4  | 0.094 |
| (ख) तहसील—राजपुर              | 140/1  | 0.044 |
| (ग) ग्राम—रोद्धानी            | 145/12 | 0.062 |
| (घ) क्षेत्रफल—2.857 हेक्टेयर. | 142    | 0.060 |

| खसरा नंबर            | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) | (1) (2) | 145/14<br>145/15<br>145/16 | 0.055<br>0.062<br>0.215 |
|----------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|
| 6/4, 7/1             | 0.054                                        |         |                            |                         |
| 7/2                  | 0.060                                        |         |                            |                         |
| 7/3                  | 0.074                                        |         |                            |                         |
| 10/2                 | 0.110                                        |         |                            |                         |
| 11/1, 11/2           | 0.045                                        |         |                            |                         |
| 14/1/4               | 0.020                                        |         |                            |                         |
| 14/1/10              | 0.020                                        |         |                            |                         |
| 14/1/8               | 0.020                                        |         |                            |                         |
| 14/1/11              | 0.028                                        |         |                            |                         |
| 14/1/9               | 0.018                                        |         |                            |                         |
| 14/2                 | 0.035                                        |         |                            |                         |
| 14/3/1               | 0.085                                        |         |                            |                         |
| 14/4                 | 0.074                                        |         |                            |                         |
| 14/14                | 0.050                                        |         |                            |                         |
| 14/16                | 0.005                                        |         |                            |                         |
| 17/1/2, 17/1/3, 17/5 | 0.186                                        |         |                            |                         |
| 17/4, 18             | 0.140                                        |         |                            |                         |
| 31                   | 0.010                                        |         |                            |                         |
| 108/1, 108/2, 110/1  | 0.120                                        |         |                            |                         |
| 19                   | 0.135                                        |         |                            |                         |
| 21/1                 | 0.055                                        |         |                            |                         |
| 21/2                 | 0.088                                        |         |                            |                         |
| 22/4                 | 0.020                                        |         |                            |                         |
| 22/1                 | 0.155                                        |         |                            |                         |
| 22/2                 | 0.034                                        |         |                            |                         |
| 22/3                 | 0.034                                        |         |                            |                         |
| 24/2                 | 0.025                                        |         |                            |                         |
| 25/1/2/2/1           | 0.025                                        |         |                            |                         |
| 25/1/2/2/2           | 0.010                                        |         |                            |                         |
| 25/1/1/2, 25/1/2/1   | 0.060                                        |         |                            |                         |
| 30/188, 25/189       | 0.060                                        |         |                            |                         |
| 32                   | 0.145                                        |         |                            |                         |
| 33/2                 | 0.032                                        |         |                            |                         |

योग . . 2.857

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4003-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-17-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर

- (ग) ग्राम—नराबला  
 (घ) क्षेत्रफल—1.971 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर           | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)                    | (2)                                             |
| 29/1, 29/2             | 0.090                                           |
| 29/3, 31/3             | 0.100                                           |
| 32/2                   | 0.066                                           |
| 32/3                   | 0.046                                           |
| 32/5                   | 0.044                                           |
| 33/1, 35/3             | 0.075                                           |
| 33/3                   | 0.070                                           |
| 34/1, 35/2/2/क, 36/2/क | 0.074                                           |
| 34/4                   | 0.076                                           |
| 37/1                   | 0.040                                           |
| 37/2                   | 0.038                                           |
| 37/5                   | 0.042                                           |
| 37/10                  | 0.042                                           |
| 38/9                   | 0.078                                           |
| 38/10                  | 0.062                                           |
| 45/4                   | 0.065                                           |
| 46/1                   | 0.106                                           |
| 46/2                   | 0.086                                           |
| 47/1                   | 0.014                                           |
| 47/8                   | 0.050                                           |
| 47/3                   | 0.047                                           |
| 47/4                   | 0.038                                           |
| 48/4                   | 0.036                                           |
| 47/4/1                 | 0.048                                           |
| 102/1                  | 0.092                                           |
| 102/17                 | 0.065                                           |
| 102/12                 | 0.010                                           |
| 102/16                 | 0.102                                           |
| 102/18                 | 0.032                                           |
| 105/1                  | 0.135                                           |
| 105/2                  | 0.050                                           |
| 105/3, 106/2           | 0.052                                           |
| योग . .                | <u>1.971</u>                                    |

- (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।  
 (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं

पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।  
 (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4004-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
 (ख) तहसील—राजपुर  
 (ग) ग्राम—पीपरी बुजूर्ग  
 (घ) क्षेत्रफल—6.320 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर        | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| (1)                 | (2)                                             |
| 18/1, 18/3, 19/3    | 0.050                                           |
| 18/2/1, 19/2/1      | 0.150                                           |
| 18/2/2, 19/2/2      | 0.046                                           |
| 18/2/3, 19/2/3      | 0.050                                           |
| 18/2/4, 19/2/4      | 0.045                                           |
| 18/2/5, 19/2/5,     | 0.065                                           |
| 20/3/5              | 0.015                                           |
| 19/5                | 0.070                                           |
| 20/1                | 0.065                                           |
| 20/2                | 0.043                                           |
| 20/4, 21/2          | 0.020                                           |
| 26/3/1ख             | 0.040                                           |
| 21/1, 25/3, 26/3/1क | 0.055                                           |
| 24, 25/2            | 0.052                                           |
| 25/1, 154/3         | 0.088                                           |
| 154/3               |                                                 |

| (1)               | (2)   | (1)                 | (2)                      |
|-------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| 29/1/2            | 0.080 | 143/3, 144/6        | 0.095                    |
| 53/1              | 0.435 | 143/5, 144/8, 145/2 | 0.078                    |
| 54/1              | 0.050 | 144/2               | 0.048                    |
| 54/4              | 0.080 | 144/5               | 0.074                    |
| 54/10             | 0.032 | 144/7               | 0.038                    |
| 54/11             | 0.035 | 147/3, 148/3        | 0.134                    |
| 54/12             | 0.036 | 154/1               | 0.080                    |
| 58/2, 58/3, 60/3, | 0.330 | 161/1               | 0.220                    |
| 60/4, 73/6, 60/5  |       | 161/2               | 0.058                    |
| 97/2, 99/2, 106/2 | 0.040 | 162/2               | 0.018                    |
| 97/4/1            | 0.154 | योग . .             | <u>6.320</u>             |
| 97/4/2            | 0.106 |                     |                          |
| 97/5/1            | 0.152 |                     |                          |
| 97/7, 98/6        | 0.236 |                     |                          |
| 98/1              | 0.038 |                     |                          |
| 98/2              | 0.202 |                     |                          |
| 98/5              | 0.050 |                     |                          |
| 98/8              | 0.100 |                     |                          |
| 105/1             | 0.005 |                     |                          |
| 105/2             | 0.138 |                     |                          |
| 105/6             | 0.070 |                     |                          |
| 105/3             | 0.050 |                     |                          |
| 105/4             | 0.115 |                     |                          |
| 105/11            | 0.064 |                     |                          |
| 106/1             | 0.085 |                     |                          |
| 106/3             | 0.220 |                     |                          |
| 110/2             | 0.230 |                     |                          |
| 116/1/1           | 0.045 |                     |                          |
| 116/1/2           | 0.140 |                     |                          |
| 116/3, 118        | 0.130 |                     |                          |
| 120               | 0.120 |                     |                          |
| 121/1, 122        | 0.075 |                     |                          |
| 131/2             | 0.140 |                     |                          |
| 131/3             | 0.005 |                     |                          |
| 132/1, 132/2      | 0.175 |                     |                          |
| 132/3, 133/1      | 0.108 |                     |                          |
| 132/6, 133/2      | 0.060 |                     |                          |
| 139/4             | 0.008 |                     |                          |
| 140/1             | 0.090 |                     |                          |
| 136/1, 137/3      | 0.045 |                     |                          |
| 136/2             | 0.055 |                     |                          |
| 136/3             | 0.075 | खसरा                | अधिग्रहित किया जाने वाला |
| 139/5             | 0.125 | नंबर                | क्षेत्रफल (हे. में)      |
| 143/2, 143/4      | 0.060 | (1)                 | (2)                      |
| 144/1             | 0.034 | 2/2                 | 0.030                    |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4005-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-28-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—बासवी

(घ) क्षेत्रफल—5.827 हेक्टेयर।

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला

नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

2/2

0.030

| (1)                     | (2)   | (1)          | (2)          |
|-------------------------|-------|--------------|--------------|
| 3/1                     | 0.220 | 245/1        | 0.098        |
| 3/2                     | 0.195 | 245/2        | 0.085        |
| 5/1, 6/1                | 0.495 | 246/2        | 0.085        |
| 5/2, 6/2                | 0.135 | 246/3        | 0.048        |
| 5/3                     | 0.215 | 246/4        | 0.024        |
| 5/4, 5/6, 6/7, 6/8, 7/2 | 0.202 | 246/7        | 0.030        |
| 27/7                    | 0.125 | 246/5        | 0.035        |
| 27/8                    | 0.085 | 249          | 0.120        |
| 29/1                    | 0.090 | 251          | 0.250        |
| 29/8                    | 0.140 | 252/2        | 0.230        |
| 54/1, 55/3              | 0.062 | 252/6        | 0.115        |
| 54/3                    | 0.045 | 255/4, 255/5 | 0.078        |
| 55/2                    | 0.085 | 256          | 0.200        |
| 55/1                    | 0.065 | 255/7, 255/8 | 0.105        |
| 56/3                    | 0.055 | 271/6, 271/7 | 0.125        |
| 60/2                    | 0.092 | 271/8        | 0.049        |
| 75/1                    | 0.018 | योग . .      | <u>5.827</u> |
| 75/2                    | 0.085 |              |              |
| 75/3                    | 0.035 |              |              |
| 75/4                    | 0.030 |              |              |
| 76/2                    | 0.140 |              |              |
| 77                      | 0.096 |              |              |
| 78                      | 0.060 |              |              |
| 221/1, 221/2            | 0.105 |              |              |
| 234/1                   | 0.075 |              |              |
| 234/5                   | 0.060 |              |              |
| 236/1, 253/2            | 0.060 |              |              |
| 255/3                   | 0.058 |              |              |
| 236/2                   | 0.092 |              |              |
| 236/3                   | 0.090 |              |              |
| 236/4                   | 0.154 |              |              |
| 237/1                   | 0.025 |              |              |
| 237/3, 238/3            | 0.065 |              |              |
| 240/4                   | 0.150 |              |              |
| 237/4, 238/4, 240/2     | 0.098 |              |              |
| 241/1                   | 0.038 |              |              |
| 241/2                   | 0.065 |              |              |
| 241/3                   | 0.060 |              |              |
| 241/4                   | 0.060 |              |              |
| 244/2, 252/4            | 0.095 |              |              |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानाथक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समूचित सरकार की वेबसाइट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4006-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-25-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—दानोद

(घ) क्षेत्रफल—1.094 हेक्टेयर.

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—लिंगवा

(घ) क्षेत्रफल—2.672 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर            | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)                     | (2)                                             |
| 589/1                   | 0.122                                           |
| 589/2/2, 589/3/2, 589/4 | 0.210                                           |
| 589/5                   | 0.112                                           |
| 590/1                   | 0.132                                           |
| 590/2                   | 0.048                                           |
| 590/11                  | 0.045                                           |
| 590/12                  | 0.062                                           |
| 634/1, 635/1            | 0.180                                           |
| 634/2, 635/3            | 0.085                                           |
| 634/3, 635/4            | 0.070                                           |
| 635/5                   | 0.028                                           |
| योग . .                 | <u>1.094</u>                                    |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4007-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-15-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

| खसरा<br>नंबर           | अर्जन का क्षेत्र<br>(हे. में) |
|------------------------|-------------------------------|
| (1)                    | (2)                           |
| 40/1, 41/1/1           | 0.055                         |
| 42/1, 42/2, 44/2       | 0.100                         |
| 44/1/2                 | 0.155                         |
| 43, 132/6, 132/7       | 0.140                         |
| 134/3, 135             |                               |
| 54/1                   | 0.475                         |
| 101/4, 102/4           | 0.240                         |
| 54/2, 54/3, 55/1, 55/4 | 0.230                         |
| 56/1, 103/1            | 0.290                         |
| 56/4, 103/2            | 0.032                         |
| 103/2                  |                               |
| 56/6                   | 0.130                         |
| 59/1                   | 0.080                         |
| 59/2, 70/2             | 0.300                         |
| 99/7                   | 0.045                         |
| 99/8                   | 0.055                         |
| 101/2                  | 0.030                         |
| 101/3, 102/2           | 0.100                         |
| 119/3                  | 0.040                         |
| 119/5                  | 0.030                         |
| 119/6                  | 0.025                         |
| 122/1, 123/2           | 0.010                         |
| 132/10                 | 0.110                         |
| योग . .                | <u>2.672</u>                  |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन

अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

| (1)                 | (2)   |
|---------------------|-------|
| 46/5                | 0.130 |
| 46/17               | 0.065 |
| 46/12, 46/14, 46/16 | 0.100 |
| 56/7                | 0.035 |
| 57/1/2              | 0.185 |
| 57/1/3              | 0.130 |
| 57/2/ख              | 0.080 |
| 56/12               | 0.048 |
| 57/3                | 0.135 |
| 58                  | 0.038 |
| 59/1                | 0.010 |
| 59/2                | 0.098 |

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।  
क्र. 4008-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्वासथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

|                               |                    |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| (क) जिला—बड़वानी              | 60                 | 0.035 |
| (ख) तहसील—राजपुर              | 62/11              | 0.112 |
| (ग) ग्राम—सिनगुन              | 62/12              | 0.180 |
| (घ) क्षेत्रफल—3.809 हेक्टेयर. | 97/2, 97/3, 100/2, | 0.385 |

| खसरा<br>नंबर       | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| (1)                | (2)                                             |                           |
| 9/3, 9/4, 13/6     | 0.124                                           | 106/2, 106/3              |
| 10                 | 0.030                                           | 97/2/1, 97/3/1, 0.070     |
| 21/2               | 0.108                                           | 100/2/1, 106/2/1,         |
| 21/4, 22/1, 22/12  | 0.092                                           | 106/3/1                   |
| 21/5, 22/13        | 0.070                                           | 99/1 0.084                |
| 21/6, 22/14, 22/15 | 0.024                                           | 99/2 0.088                |
| 21/9               | 0.010                                           | 106/5/1 0.080             |
| 22/2               | 0.022                                           | 109 0.100                 |
| 22/9               | 0.046                                           | 173/3 0.014               |
| 23/1               | 0.014                                           | 173/7, 178/3, 183/6 0.010 |
| 23/2               | 0.046                                           | योग . . 3.809             |
| 23/3               | 0.068                                           |                           |
| 31/4, 32/1         | 0.045                                           |                           |
| 31/5, 31/6, 32/2   | 0.145                                           |                           |
| 33/2               | 0.240                                           |                           |
| 34/2               | 0.180                                           |                           |
| 34/3               | 0.145                                           |                           |
| 35/2, 36/1, 40/2   | 0.048                                           |                           |
| 44                 | 0.045                                           |                           |
| 45                 | 0.095                                           |                           |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा छससे संबंधित अन्य कार्य हेतु
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4010-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-16-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—गोणपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.925 हेक्टेयर.

| खसरा                     | अर्जन का क्षेत्र |
|--------------------------|------------------|
| नंबर                     | (हे. में)        |
| (1)                      | (2)              |
| 47/2, 53                 | 0.172            |
| 47/3, 54/1               | 0.085            |
| 47/4, 55                 | 0.090            |
| 47/5                     | 0.090            |
| 57/1                     | 0.090            |
| 58/5                     | 0.090            |
| 58/7                     | 0.050            |
| 62, 63, 65/2, 65/3, 66/3 | 0.085            |
| 64/1, 65/4               | 0.068            |
| 64/2                     | 0.032            |
| 64/3                     | 0.035            |
| 64/4                     | 0.010            |
| 65/1                     | 0.070            |
| 65/8                     | 0.048            |
| योग . .                  | <u>0.925</u>     |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानाथक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4011-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-29-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—सजवानी खम
- (घ) क्षेत्रफल—3.205 हेक्टेयर.

| खसरा                | अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|---------------------|-------------------------------------------|
| नंबर                | (2)                                       |
| (1)                 | 0.035                                     |
| 16/1                | 0.060                                     |
| 16/2                | 0.195                                     |
| 16/3, 15/2          | 0.020                                     |
| 16/4                | 0.015                                     |
| 16/5                | 0.050                                     |
| 47/8                | 0.150                                     |
| 47/9                | 0.040                                     |
| 56/3                | 0.015                                     |
| 56/7                | 0.290                                     |
| 56/8, 57/1          | 0.025                                     |
| 56/4                | 0.020                                     |
| 103/2, 104          | 0.075                                     |
| 107                 | 0.080                                     |
| 125/3, 125/4, 128/3 | 0.010                                     |
| 125/7               | 0.045                                     |
| 125/10              | 0.010                                     |
| 126                 | 0.240                                     |

| (1)          | (2)          |
|--------------|--------------|
| 128/1        | 0.040        |
| 128/6        | 0.020        |
| 128/2        | 0.075        |
| 128/5        | 0.275        |
| 128/4        | 0.030        |
| 128/7        | 0.050        |
| 128/13       | 0.050        |
| 128/8        | 0.040        |
| 128/10       | 0.045        |
| 130/3, 132/2 | 0.100        |
| 131          | 0.080        |
| 141/1/1      | 0.085        |
| 162/11       | 0.100        |
| 141/8        | 0.050        |
| 147          | 0.140        |
| 148/4        | 0.050        |
| 148/5        | 0.005        |
| 150/3        | 0.025        |
| 162/1/2      | 0.140        |
| 162/1/3      | 0.040        |
| 189/2        | 0.100        |
| 196          | 0.025        |
| 197/2        | 0.090        |
| 201/1        | 0.090        |
| 202/1        | 0.035        |
| 207/5        | 0.050        |
| योग . .      | <u>3.205</u> |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4012-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-37-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—बिलवानी
- (घ) क्षेत्रफल—0.302 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर           | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|---------------------|----------------------------------------------|
| (1)                 | (2)                                          |
| 318/1, 322/3        | 0.112                                        |
| 319/1, 322/2        | 0.130                                        |
| 319/2, 320/1, 322/5 | 0.060                                        |
| योग . .             | <u>0.302</u>                                 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4013-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-14-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की

धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—बालकुंआ

(घ) क्षेत्रफल—9.741 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर          | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) | (1)                     | (2)   |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 29/6               | 0.010                                        | 158/5                   | 0.042 |
| 35/4               | 0.190                                        | 158/6                   | 0.070 |
| 35/1/क, 36/2, 36/3 | 0.080                                        | 158/12                  | 0.022 |
| 35/1/ख             | 0.085                                        | 158/13                  | 0.020 |
| 35/11, 36/4        | 0.015                                        | 172                     | 0.058 |
| 35/12              | 0.020                                        | 203                     | 0.075 |
| 35/13              | 0.020                                        | 213/2, 213/4, 219,      | 0.110 |
| 88/2               | 0.030                                        | 220/3, 220/5, 221,      |       |
| 89/1               | 0.048                                        | 229/2                   |       |
| 359/1              | 0.065                                        | 222/3, 223/4, 223/1/3   | 0.120 |
| 133/8              | 0.010                                        | 222/5, 225/2            | 0.042 |
| 134/3              | 0.150                                        | 410/3                   | 0.010 |
| 134/4, 140/4       | 0.080                                        | 222/4, 223/2/2,         | 0.100 |
| 142/2, 143/1       | 0.080                                        | 223/3, 223/6            |       |
| 143/3              | 0.058                                        | 248/9                   | 0.045 |
| 143/4              | 0.045                                        | 223/5, 224, 226/1       | 0.214 |
| 144/5              | 0.050                                        | 226/3                   | 0.222 |
| 144/9              | 0.050                                        | 228/1/7, 228/5/2, 230/5 | 0.055 |
| 144/6              | 0.012                                        | 222/2, 227/2/2          | 0.050 |
| 143/6, 144/3       | 0.060                                        | 228/5/1                 | 0.085 |
| 144/7              | 0.035                                        | 410/1                   | 0.055 |
| 144/8              | 0.050                                        | 410/2                   | 0.035 |
| 143/5, 144/2       | 0.030                                        | 244/9                   | 0.100 |
| 151/2              | 0.050                                        | 244/10                  | 0.080 |
| 151/3/1            | 0.035                                        | 245/3, 246, 248/1       | 0.140 |
| 151/3/2            | 0.035                                        | 248/7                   | 0.060 |
| 151/4              | 0.130                                        | 248/8                   | 0.056 |
| 213/1/2            | 0.160                                        | 244/2                   | 0.010 |
| 151/5              | 0.035                                        | 248/10                  | 0.048 |
|                    |                                              | 354/2                   | 0.066 |
|                    |                                              | 268/1                   | 0.070 |

| (1)                 | (2)   | (1)          | (2)          |
|---------------------|-------|--------------|--------------|
| 268/2               | 0.032 | 368/14       | 0.070        |
| 268/3               | 0.060 | 368/15       | 0.022        |
| 295/2               | 0.175 | 368/17       | 0.010        |
| 298                 | 0.120 | 372/2        | 0.040        |
| 300/4, 309/3        | 0.032 | 374/2        | 0.010        |
| 305/1/1             | 0.085 | 373/2        | 0.080        |
| 305/1/2             | 0.075 | 374/1        | 0.152        |
| 306/4, 306/7, 307/2 | 0.086 | 375/2        | 0.164        |
| 306/10, 307/1       | 0.110 | 383/1        | 0.160        |
| 325                 | 0.185 | 394/4        | 0.175        |
| 327/1               | 0.080 | 394/10       | 0.115        |
| 333/1               | 0.150 | 397/2        | 0.085        |
| 340/2               | 0.080 | 399/1        | 0.046        |
| 348/1               | 0.128 | 399/2        | 0.170        |
| 348/2               | 0.090 | 403/2        | 0.040        |
| 348/3               | 0.128 | 405/1/3      | 0.060        |
| 348/4               | 0.140 | 403/4        | 0.020        |
| 348/5               | 0.080 | 403/5        | 0.040        |
| 348/6               | 0.120 | 404/4        | 0.050        |
| 348/7               | 0.058 | 402/3        | 0.050        |
| 349/3               | 0.060 | 405/3        | 0.025        |
| 349/8               | 0.010 | 405/5        | 0.095        |
| 352/1               | 0.125 | 405/8        | 0.077        |
| 352/2               | 0.006 | 408/1, 409/7 | 0.120        |
| 352/3               | 0.055 | 408/2        | 0.110        |
| 352/4               | 0.110 | 408/3, 409/2 | 0.260        |
| 354/6               | 0.030 | 408/5        | 0.030        |
| 354/7               | 0.060 | योग . .      | <u>9.741</u> |
| 357/1               | 0.048 |              |              |
| 359/2               | 0.080 |              |              |
| 360/2               | 0.054 |              |              |
| 362/2, 363/2, 365/1 | 0.262 |              |              |
| 368/1               | 0.175 |              |              |
| 368/2               | 0.045 |              |              |
| 368/4               | 0.095 |              |              |
| 368/3               | 0.022 |              |              |
| 368/7               | 0.048 |              |              |
| 368/10              | 0.035 |              |              |
| 368/11              | 0.040 |              |              |
| 368/12              | 0.045 |              |              |
| 368/13              | 0.037 |              |              |

(2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानाथक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) समुचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4014-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-24-अ-82-  
2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—लाढ़ी
- (घ) क्षेत्रफल—2.724 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर           | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. मे) |
|------------------------|------------------------------------------------|
| (1)                    | (2)                                            |
| 18/1, 18/2, 101/3      | 0.040                                          |
| 33/1                   | 0.120                                          |
| 38                     | 0.040                                          |
| 40/2                   | 0.035                                          |
| 40/3, 42/3, 43/1       | 0.070                                          |
| 40/4, 49/5             | 0.075                                          |
| 47/1                   | 0.010                                          |
| 48/6                   | 0.015                                          |
| 40/5                   | 0.102                                          |
| 48/1                   | 0.075                                          |
| 48/5                   | 0.084                                          |
| 48/7                   | 0.030                                          |
| 48/8                   | 0.015                                          |
| 63/11, 64/4            | 0.075                                          |
| 64/3, 65/5             | 0.030                                          |
| 64/5, 65/8, 66/2       | 0.060                                          |
| 64/6                   | 0.125                                          |
| 76/1, 77/2, 101/4      | 0.030                                          |
| 76/4                   | 0.032                                          |
| 76/5                   | 0.028                                          |
| 76/9                   | 0.036                                          |
| 77/3, 80/1, 81/4       | 0.220                                          |
| 81/2, 81/3, 82/1, 83/3 | 0.200                                          |

| (1)                    | (2)   |
|------------------------|-------|
| 87/1, 88/1, 89/6, 90/4 | 0.290 |
| 84/1                   | 0.092 |
| 89/1                   | 0.078 |
| 89/2, 90/1             | 0.080 |
| 89/5, 90/2             | 0.172 |
| 103                    | 0.110 |
| 106, 113/1             | 0.120 |
| 114                    | 0.110 |
| 116/3                  | 0.125 |
| योग . .                | 2.724 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समुचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4015-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-23-अ-82-  
2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—मोरानी
- (घ) क्षेत्रफल—5.763 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. मे) |
|--------------|------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                            |
| 2/1/1        | 0.032                                          |

| (1)                   | (2)   | (1)              | (2)   |
|-----------------------|-------|------------------|-------|
| 2/1/2                 | 0.075 | 44/4, 46/3       | 0.046 |
| 10/1                  | 0.132 | 44/5, 46/4       | 0.050 |
| 2/4                   | 0.022 | 46/5             | 0.160 |
| 2/5                   | 0.025 | 47/2, 55/3       | 0.056 |
| 2/6                   | 0.025 | 47/3, 55/4       | 0.065 |
| 2/13                  | 0.072 | 47/4, 55/5       | 0.068 |
| 7/1                   | 0.018 | 48/1, 50/3, 50/4 | 0.110 |
| 7/5                   | 0.040 | 48/2             | 0.164 |
| 7/3                   | 0.018 | 68/1             | 0.060 |
| 7/6                   | 0.050 | 69/1/1           | 0.202 |
| 7/4                   | 0.018 | 69/1/2           | 0.025 |
| 8, 15/2, 21/1/ક, 22/1 | 0.032 | 69/1/3           | 0.040 |
| 9/2                   | 0.056 | 77/1             | 0.068 |
| 9/4                   | 0.020 | 77/2             | 0.030 |
| 9/5                   | 0.020 | 159/1            | 0.180 |
| 9/8                   | 0.020 | 294/2            | 0.200 |
| 9/9                   | 0.026 | 159/2, 161/1     | 0.060 |
| 9/10                  | 0.028 | 161/2            | 0.020 |
| 9/13                  | 0.018 | 169, 170/2       | 0.110 |
| 14/5                  | 0.086 | 167/2            | 0.120 |
| 18/4                  | 0.032 | 167/1            | 0.090 |
| 18/6, 18/7            | 0.022 | 170/4            | 0.070 |
| 19/2, 37/1/3          | 0.115 | 171/1/7          | 0.080 |
| 26/2, 27/3            | 0.300 | 288/4, 298/3     | 0.110 |
| 29/2                  | 0.108 | 288/5            | 0.030 |
| 29/3                  | 0.032 | 294/1            | 0.110 |
| 29/4                  | 0.060 | 294/8            | 0.090 |
| 29/6                  | 0.016 | 294/7            | 0.130 |
| 29/9                  | 0.028 | 291/2, 291/3     | 0.130 |
| 29/15                 | 0.040 | 319/3            | 0.010 |
| 29/16                 | 0.022 | 318/4            | 0.080 |
| 31/2                  | 0.010 | 319/9            | 0.034 |
| 31/3                  | 0.074 | 319/11           | 0.036 |
| 31/4                  | 0.036 | 319/14           | 0.100 |
| 36/1                  | 0.068 | 319/10           | 0.050 |
| 37/1/1, 39/2, 39/3    | 0.098 | 319/13           | 0.030 |
| 37/1/2                | 0.066 | 321/2            | 0.050 |
| 37/5                  | 0.092 | 322/2            | 0.315 |
| 44/2, 46/1            | 0.040 | 325/3, 327/3     | 0.120 |
|                       |       | 334/1            | 0.010 |

| (1)     | (2)          | (1)   | (2)   |
|---------|--------------|-------|-------|
| 334/2   | 0.060        | 39/4  | 0.032 |
| 339/2   | 0.102        | 43/6  | 0.010 |
| योग . . | <u>5.763</u> | 45/6ख | 0.090 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4016-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-40-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—धमनई
- (घ) क्षेत्रफल—3.942 हेक्टेयर।

| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)   | (8)   | (9)  | (10)  | (11)  | (12)  | (13) | (14)  | (15)               | (16)  | (17)  | (18)  | (19) | (20)  | (21) | (22)  | (23) | (24)  | (25)         | (26)  | (27) | (28)  | (29) | (30)  | (31)   | (32)  | (33)                   | (34)  | (35)   | (36)  | (37) | (38)  | (39) | (40)  | (41)           | (42)  | (43)              | (44)  | (45)       | (46)  | (47) | (48)  | (49) | (50)  | (51) | (52)  | (53) | (54)  | (55) | (56)  | (57) | (58)  | (59)             | (60)  | (61) | (62)  | (63) | (64)  | (65) | (66)  | (67) | (68)  | (69) | (70)  | (71) | (72)  | (73)               | (74)  | (75)        | (76)  | (77)          | (78)  | (79) | (80)  | (81) | (82)  | (83)           | (84)  | (85) | (86)  | (87) | (88)  | (89) | (90)  | (91) | (92)  | (93) | (94)  | (95) | (96)  | (97)  | (98)  | (99)  | (100) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|------------------------|-------|--------|-------|------|-------|------|-------|----------------|-------|-------------------|-------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|------|-------|------|-------|----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 334/2 | 0.060 | 39/4 | 0.032 | 43/6 | 0.010 | 45/6ख | 0.090 | 43/7 | 0.065 | 129/5 | 0.100 | 43/8 | 0.053 | 43/9, 46/6, 48, 49 | 0.059 | 43/13 | 0.042 | 45/2 | 0.048 | 45/4 | 0.060 | 45/7 | 0.010 | 43/14, 45/6ख | 0.005 | 54/1 | 0.120 | 54/3 | 0.022 | 54/4/1 | 0.020 | 46/2, 46/4, 47, 54/4/2 | 0.030 | 74/2/1 | 0.100 | 55/1 | 0.110 | 55/3 | 0.100 | 53/3, 55/4, 56 | 0.074 | 98/4, 99/3, 100/5 | 0.050 | 102, 103/1 | 0.145 | 57/6 | 0.010 | 57/7 | 0.085 | 57/8 | 0.055 | 69/3 | 0.005 | 69/4 | 0.045 | 69/5 | 0.047 | 68/2, 69/6, 70/3 | 0.025 | 74/6 | 0.068 | 74/7 | 0.050 | 75/1 | 0.068 | 95/1 | 0.056 | 95/2 | 0.067 | 95/3 | 0.053 | 95/5, 142/2, 142/3 | 0.032 | 97/1, 100/2 | 0.046 | 97/8/ख, 100/6 | 0.050 | 39/1 | 0.048 | 39/2 | 0.048 | 70/2, 71, 75/2 | 0.095 | 39/3 | 0.180 | 39/4 | 0.032 | 39/6 | 0.010 | 39/7 | 0.085 | 39/8 | 0.055 | 39/9 | 0.005 | 39/10 | 0.045 | 39/11 | 0.047 | 39/12 | 0.025 | 39/13 | 0.060 | 39/14 | 0.050 | 39/15 | 0.048 | 39/16 | 0.047 | 39/17 | 0.050 | 39/18 | 0.053 | 39/19 |

| (1)                          | (2)          | (ग) ग्राम—छोटी खरगोन<br>(घ) क्षेत्रफल—8.950 हेक्टेयर.     |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 97/9, 100/7                  | 0.043        | खसरा अधिग्रहित किया जाने वाला<br>नंबर क्षेत्रफल (हे. में) |
| 97/10, 100/8                 | 0.048        |                                                           |
| 98/2, 99/1, 100/3            | 0.048        |                                                           |
| 98/3, 99/2, 100/4            | 0.048        |                                                           |
| 116/5, 116/6, 116/7<br>164/2 | 0.090        | (1) (2)<br>3/2, 3/5, 5/4 0.050<br>3/8, 6/4 0.040          |
| 119/3, 120/3, 129/3          | 0.122        | 3/6, 5/5, 6/6, 6/7, 5/7 0.128                             |
| 133/2, 134/1                 | 0.100        | 3/9 0.015                                                 |
| 134/2                        | 0.150        | 3/11 0.045                                                |
| 139                          | 0.180        | 8/1 0.040                                                 |
| 143                          | 0.020        | 8/2 0.010                                                 |
| 144/4                        | 0.060        | 8/6 0.075                                                 |
| 160/2                        | 0.127        | 8/3 0.010                                                 |
| 161/2                        | 0.128        | 8/5 0.042                                                 |
| 164/1                        | 0.100        | 8/4 0.058                                                 |
| योग . .                      | <u>3.942</u> | 8/8 0.032                                                 |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहोद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4017-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-18-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर

|       |       |
|-------|-------|
| 30/2  | 0.054 |
| 30/11 | 0.065 |
| 30/6  | 0.060 |
| 30/14 | 0.092 |

| (1)              | (2)          |
|------------------|--------------|
| 30/7             | 0.066        |
| 30/8             | 0.055        |
| 30/10            | 0.085        |
| 32/4             | 0.225        |
| 33/1, 33/2       | 0.115        |
| 33/5, 33/6       | 0.080        |
| 34/1             | 0.195        |
| 34/2             | 0.155        |
| 34/3             | 0.440        |
| 38/1/5           | 0.025        |
| 39/1, 39/2       | 0.150        |
| 40/5             | 0.072        |
| 40/4, 40/6       | 0.160        |
| 41/2, 41/3, 41/4 | 0.045        |
| 41/6, 41/11      | 0.056        |
| 41/10            | 0.090        |
| 41/12            | 0.105        |
| 72/1             | 0.610        |
| 72/2             | 0.112        |
| 72/3             | 0.338        |
| 73/1             | 0.212        |
| 75/1, 75/3       | 0.310        |
| 75/7             | 0.295        |
| 75/2, 75/4       | 0.100        |
| 76/1, 76/2       | 0.115        |
| 75/6             | 0.080        |
| 76/3             | 0.230        |
| 99/2             | 0.095        |
| 101/2            | 0.125        |
| 103/2            | 0.180        |
| 101/3            | 0.020        |
| 101/5            | 0.125        |
| 104              | 0.210        |
| योग . .          | <u>8.950</u> |

- (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4002-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-35-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—खड़की
- (घ) क्षेत्रफल—1.352 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|-----------|----------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------|

| (1)              | (2)   |
|------------------|-------|
| 13/1, 15         | 0.260 |
| 14               | 0.260 |
| 16/3             | 0.040 |
| 23/2             | 0.082 |
| 23/9, 25/9       | 0.130 |
| 23/12            | 0.260 |
| 25/4, 25/5, 25/6 | 0.030 |
| 27/3             | 0.040 |
| 31/1             | 0.135 |
| 31/2             | 0.115 |

योग . . 1.352

- (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 4018-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-41-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—सजवानी
- (घ) क्षेत्रफल—1.657 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|--------------|-------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------|

|                        | (1)   | (2)          |
|------------------------|-------|--------------|
| 114/4/2                |       | 0.007        |
| 116/3                  |       | 0.096        |
| 281/1, 282/2           |       | 0.210        |
| 117/1/1, 117/2, 117/3, | 117/4 | 0.058        |
| 117/1/2                |       | 0.090        |
| 126/4, 128             |       | 0.200        |
| 129/3                  |       | 0.148        |
| 131                    |       | 0.100        |
| 133/5                  |       | 0.055        |
| 272/1                  |       | 0.098        |
| 272/2                  |       | 0.065        |
| 281/2                  |       | 0.026        |
| 281/3                  |       | 0.056        |
| 281/4                  |       | 0.095        |
| 281/5                  |       | 0.045        |
| 281/7                  |       | 0.026        |
| 281/11                 |       | 0.026        |
| 281/12                 |       | 0.026        |
| 399/1                  |       | 0.134        |
| 399/2                  |       | 0.096        |
| योग . .                |       | <u>1.657</u> |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4019-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—टेमला बुजुर्ग
- (घ) क्षेत्रफल—1.863 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|--------------|-------------------------------------------------|
|--------------|-------------------------------------------------|

|                                | (1) | (2)   |
|--------------------------------|-----|-------|
| 14/5, 15/9                     |     | 0.105 |
| 16/6                           |     | 0.092 |
| 16/7                           |     | 0.122 |
| 21/15                          |     | 0.072 |
| 21/8                           |     | 0.044 |
| 21/5                           |     | 0.044 |
| 21/16                          |     | 0.115 |
| 23/1, 23/2, 23/3/1<br>25, 32/2 |     | 0.080 |
| 23/5, 32/3                     |     | 0.032 |
| 26                             |     | 0.010 |
| 74/4                           |     | 0.074 |
| 74/6                           |     | 0.035 |
| 74/9                           |     | 0.030 |
| 103                            |     | 0.035 |

| (1)          | (2)          | (1)          | (2)   |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 105/1        | 0.130        | 17/5         | 0.030 |
| 105/3, 106/1 | 0.072        | 17/2         | 0.166 |
| 105/4        | 0.010        | 17/3         | 0.115 |
| 105/2, 106/2 | 0.050        | 17/4         | 0.080 |
| 105/5        | 0.072        | 17/7         | 0.220 |
| 139/2        | 0.150        | 18/2, 19/3   | 0.066 |
| 140/1        | 0.290        | 18/3, 19/5   | 0.275 |
| 141/2        | 0.010        | 18/6, 19/7   | 0.062 |
| 155/5        | 0.164        | 42/2         | 0.320 |
| 158          | 0.025        | 43/1/1       | 0.090 |
| योग . .      | <u>1.863</u> | 43/1/2, 43/2 | 0.506 |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4020-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—राजपुर
- (घ) क्षेत्रफल—6.407 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|--------------|-------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                             |
| 17/1         | 0.032                                           |

|              |       |
|--------------|-------|
| 390/1        | 0.026 |
| 390/2        | 0.298 |
| 390/4        | 0.065 |
| 390/5        | 0.060 |
| 390/6        | 0.090 |
| 390/7, 390/8 | 0.020 |
| 412/2        | 0.012 |
| 412/3, 414/2 | 0.210 |
| 412/4        | 0.060 |
| 412/6        | 0.032 |
| 412/7        | 0.052 |
| 413/1        | 0.120 |
| 413/3        | 0.060 |
| 413/2        | 0.240 |
| 413/4        | 0.052 |
| 416/1, 417/8 | 0.090 |
| 416/4, 417/4 | 0.050 |

| (1)            | (2)          |
|----------------|--------------|
| 416/2, 421/1   | 0.065        |
| 416/3, 417/1   | 0.070        |
| 421/2          | 0.115        |
| 421/5          | 0.050        |
| 422/1ख         | 0.056        |
| 422/1ग         | 0.110        |
| 422/3ड         | 0.105        |
| 422/5क         | 0.130        |
| 422/5ख         | 0.190        |
| 422/5घ         | 0.050        |
| 423/10         | 0.285        |
| 434/1          | 0.230        |
| 433/9, 434/2   | 0.154        |
| 438/5          | 0.110        |
| 438/7          | 0.090        |
| 440/1/1, 440/2 | 0.060        |
| 440/4          | 0.060        |
| योग . .        | <u>6.407</u> |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4021-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-39-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—बड़वानी

- (ग) ग्राम—तलवाड़ा बुजुर्ग  
(घ) क्षेत्रफल—0.470 हेक्टेयर।

| खसरा नंबर           | अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर) |
|---------------------|---------------------------|
| (1)                 | (2)                       |
| 165/1               | 0.150                     |
| 167/1               | 0.035                     |
| 180/1               | 0.130                     |
| 181/2, 202/2, 202/3 | 0.065                     |
| 215/1घ              | 0.010                     |
| 215/2               | 0.080                     |
| योग . .             | <u>0.470</u>              |

- (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समूचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4023-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-45-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्वरस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—राजपुर  
(ग) ग्राम—कुसमरी  
(घ) क्षेत्रफल—6.168 हेक्टेयर।

| खसरा नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|-----------|----------------------------------------------|
| (1)       | (2)                                          |
| 2/1       | 0.250                                        |
| 2/3       | 0.055                                        |
| 2/4       | 0.050                                        |

| (1)                  | (2)   | (1)          | (2)   |
|----------------------|-------|--------------|-------|
| 4/1                  | 0.090 | 65/2         | 0.140 |
| 7/1                  | 0.050 | 75/8         | 0.020 |
| 7/3                  | 0.225 | 75/10        | 0.100 |
| 7/4                  | 0.088 | 75/11        | 0.030 |
| 7/5                  | 0.110 | 81/3         | 0.160 |
| 7/6                  | 0.030 | 81/4         | 0.072 |
| 7/7                  | 0.045 | 81/5         | 0.055 |
| 7/8                  | 0.025 | 81/7         | 0.006 |
| 7/9                  | 0.035 | 81/8         | 0.040 |
| 30/1/3, 30/2, 62/4/1 | 0.135 | 85/3         | 0.220 |
| 31/1                 | 0.030 | 85/4         | 0.035 |
| 34/2/3               | 0.015 | 85/5         | 0.035 |
| 34/2/3               | 0.015 | 85/6         | 0.020 |
| 31/3                 | 0.052 | 85/7         | 0.018 |
| 34/3                 | 0.035 | 85/16        | 0.020 |
| 40/3                 | 0.270 | 85/21        | 0.018 |
| 43/1                 | 0.160 | 85/22        | 0.015 |
| 43/3                 | 0.095 | 85/23        | 0.018 |
| 43/2                 | 0.090 | 85/24        | 0.013 |
| 44/1                 | 0.090 | 137/1        | 0.140 |
| 44/2                 | 0.050 | 137/2        | 0.015 |
| 45/4                 | 0.100 | 138/1        | 0.220 |
| 46                   | 0.170 | 138/3        | 0.025 |
| 48/2, 49             | 0.200 | 138/6        | 0.160 |
| 52/1                 | 0.075 | 138/4        | 0.082 |
| 52/2                 | 0.100 | 141/2        | 0.105 |
| 52/3                 | 0.085 | 180/2        | 0.015 |
| 52/5                 | 0.080 | 186/1        | 0.098 |
| 54/1                 | 0.045 | 186/5        | 0.080 |
| 54/2                 | 0.075 | 186/2        | 0.058 |
| 54/3                 | 0.058 | 186/3        | 0.150 |
| 54/4                 | 0.065 | 186/6        | 0.150 |
| 55/4                 | 0.065 | योग . .      |       |
| 55/8                 | 0.042 | <u>6.168</u> |       |
| 55/9                 | 0.050 |              |       |
| 55/10                | 0.030 |              |       |
| 55/11                | 0.025 |              |       |
| 56/5                 | 0.110 |              |       |
| 59/3                 | 0.025 |              |       |
| 56/6                 | 0.300 |              |       |
| 62/3                 | 0.060 |              |       |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानाथक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्बास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समुचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4024-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-42-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
 (ख) तहसील—राजपुर  
 (ग) ग्राम—खड़कल  
 (घ) क्षेत्रफल—0.963 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर           | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)<br>65/3            | (2)<br>0.048                                    |
| 69/1                   | 0.010                                           |
| 70/2                   | 0.045                                           |
| 70/3                   | 0.090                                           |
| 70/4                   | 0.060                                           |
| 70/5                   | 0.065                                           |
| 70/6                   | 0.080                                           |
| 79/1, 80/1, 80/3, 81/3 | 0.080                                           |
| 79/2, 80/4             | 0.025                                           |
| 81/8                   | 0.030                                           |
| 81/5, 81/7, 81/9,      | 0.090                                           |
| 81/10, 123/5           |                                                 |
| 83/4                   | 0.150                                           |
| 83/2                   | 0.060                                           |
| 83/3                   | 0.055                                           |
| 123/7                  | 0.075                                           |
| योग . .                | <u>0.963</u>                                    |

- (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) समुचित सरकार की वैबसाईट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4025-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-36-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
 (ख) तहसील—राजपुर  
 (ग) ग्राम—भामी  
 (घ) क्षेत्रफल—2.820 हेक्टेयर.

| खसरा<br>नंबर | अधिग्रहित किया जाने वाला<br>क्षेत्रफल (हे. में) |
|--------------|-------------------------------------------------|
| (1)          | (2)                                             |
| 6            | 0.025                                           |
| 7/1          | 0.200                                           |
| 25/1         | 0.065                                           |
| 28/2         | 0.096                                           |
| 25/3         | 0.024                                           |
| 48/2         | 0.060                                           |
| 25/4         | 0.038                                           |
| 25/5         | 0.024                                           |
| 47           | 0.026                                           |
| 48/1, 49/2   | 0.060                                           |
| 50/2         | 0.026                                           |
| 50/3, 51/2   | 0.065                                           |
| 51/3         | 0.042                                           |
| 58/5         | 0.020                                           |
| 61/3         | 0.056                                           |
| 61/4         | 0.102                                           |

| (1)                                                                                                                                                                  | (2)   | क्र. 4026-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-43-अ-82-2016-17.—चंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतदद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 65                                                                                                                                                                   | 0.025 | अनुसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |
| 179/3                                                                                                                                                                | 0.016 | (1) भूमि का वर्णन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |  |
| 179/4                                                                                                                                                                | 0.034 | (क) जिला—बड़वानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |  |
| 179/5                                                                                                                                                                | 0.014 | (ख) तहसील—बड़वानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |
| 179/6                                                                                                                                                                | 0.036 | (ग) ग्राम—धाबाबावड़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |
| 179/7                                                                                                                                                                | 0.014 | (घ) क्षेत्रफल—3.481 हेक्टेयर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |
| 179/10                                                                                                                                                               | 0.016 | खसरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अधिग्रहित किया जाने वाला |  |
| 180/1                                                                                                                                                                | 0.095 | नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षेत्रफल (हे. में)      |  |
| 180/2, 190/2                                                                                                                                                         | 0.330 | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2)                      |  |
| 181/2                                                                                                                                                                | 0.290 | 8/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.060                    |  |
| 193/4, 194, 195                                                                                                                                                      | 0.078 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.094                    |  |
| 197, 198                                                                                                                                                             | 0.062 | 12/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.020                    |  |
| 219                                                                                                                                                                  | 0.035 | 12/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.020                    |  |
| 283/2                                                                                                                                                                | 0.155 | 63/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.046                    |  |
| 274/9                                                                                                                                                                | 0.010 | 13/2, 14/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.260                    |  |
| 275/1                                                                                                                                                                | 0.068 | 14/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.086                    |  |
| 275/3                                                                                                                                                                | 0.074 | 28/2, 36, 37/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.330                    |  |
| 275/2                                                                                                                                                                | 0.052 | 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.197                    |  |
| 275/4                                                                                                                                                                | 0.065 | 39/5, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.142                    |  |
| 277/4, 277/5                                                                                                                                                         | 0.094 | 41/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.120                    |  |
| 277/8                                                                                                                                                                | 0.020 | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.320                    |  |
| 277/7                                                                                                                                                                | 0.022 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.177                    |  |
| 277/10                                                                                                                                                               | 0.045 | 63/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.058                    |  |
| 281/3                                                                                                                                                                | 0.048 | 141/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.013                    |  |
| 281/4                                                                                                                                                                | 0.024 | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.195                    |  |
| 281/6, 281/7                                                                                                                                                         | 0.043 | 63/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.048                    |  |
| 281/5, 281/8, 281/10                                                                                                                                                 | 0.028 | 63/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.050                    |  |
| 281/12                                                                                                                                                               | 0.058 | 64/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.090                    |  |
| 281/13                                                                                                                                                               | 0.040 | 74/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.090                    |  |
| योग . .                                                                                                                                                              |       | 78/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.150                    |  |
| <u>2.820</u>                                                                                                                                                         |       | 119/2, 120/1, 120/2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.268                    |  |
| (2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |
| (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं. |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |
| (5) समुचित सरकार की वैबसाईट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है.                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |  |

| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2)          | (ग) ग्राम—दमदमी<br>(घ) क्षेत्रफल—2.702 हेक्टेयर.                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120/3, 145/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | खसरा अधिग्रहित किया जाने वाला<br>नंबर क्षेत्रफल (हे. में)                                                                                                      |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.020        | (1) (2)                                                                                                                                                        |
| 149/2, 149/3, 150,<br>151, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.175        | 12/1ग, 12/2क, 12/1ख, 15/1ख 0.068<br>15/1ग, 15/2क                                                                                                               |
| 158/1, 159/2क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.37         | 12/1ख, 15/1ख 0.050                                                                                                                                             |
| 158/2, 159/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.070        | 12/2ख, 15/2ख 0.072                                                                                                                                             |
| 172/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.060        | 12/3, 13/2, 14/2ख 0.390                                                                                                                                        |
| 172/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.025        | 14/2/ग                                                                                                                                                         |
| 175/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.260        |                                                                                                                                                                |
| योग . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>3.481</u> |                                                                                                                                                                |
| (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 12/4, 14/1, 15/3 0.225<br>13/3, 14/3, 14/4 0.050<br>16/1 0.032                                                                                                 |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 16/2 0.090<br>18/3 0.128<br>18/4 0.045<br>19/1 0.025                                                                                                           |
| (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 53/1 0.118<br>53/2 0.090<br>53/3 0.115                                                                                                                         |
| (5) समूचित सरकार की वैबसाईट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 53/5 0.080<br>62/1 0.085<br>62/2 0.080<br>62/3 0.330<br>63 0.100<br>64/1/2 0.090<br>64/1/4 0.085<br>64/2, 65/2 0.096<br>92/1 0.020<br>94/1 0.078<br>94/6 0.160 |
| क्र. 4042-रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-19-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— |              | योग . . <u>2.702</u>                                                                                                                                           |
| अनुसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                |
| (1) भूमि का वर्णन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                |
| (क) जिला—बड़वानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                |
| (ख) तहसील—राजपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                |
| (2) सार्वजनिक परियोजना—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1)                                                                                                           | (2)                                                                                                                        |
| (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42/3<br>42/4<br>42/5<br>94/2<br>95/1<br>95/4<br>95/8<br>95/2<br>95/5<br>95/9<br>95/3<br>95/6<br>95/10<br>95/7 | 0.060<br>0.100<br>0.040<br>0.120<br>0.020<br>0.050<br>0.030<br>0.030<br>0.045<br>0.050<br>0.040<br>0.040<br>0.065<br>0.120 |
| (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| (5) समुचित सरकार की वैबसाइट <a href="http://www.barwani.nic.in">www.barwani.nic.in</a> पर भी अपलोड किया गया है.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                            |
| क्र. -रीडर-1-भू-अर्जन-2017-रा.प्र.क्र.-22-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत अंतर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— | योग . .                                                                                                       | 1.010                                                                                                                      |

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—राजपुर
- (ग) ग्राम—मोरगुन
- (घ) क्षेत्रफल—1.010 हेक्टेयर.

| खसरा नंबर        | अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में) |
|------------------|----------------------------------------------|
| (1)              | (2)                                          |
| 13/3/1           | 0.060                                        |
| 13/3, 41/3, 42/2 | 0.060                                        |
| 17/2, 17/3       | 0.015                                        |
| 17/4             | 0.005                                        |
| 17/5             | 0.060                                        |

(2) सार्वजनिक परियोजन—शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) समुचित सरकार की वैबसाइट [www.barwani.nic.in](http://www.barwani.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 22nd June 2017

No. 813-Confdl.-2017-II-15-36-99.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two days' **Workshop on—Labour Laws** for the Presiding Officers of the Labour Court and Judicial Officers posted on deputation on 21st & 22nd July 2017 in the Academy. Officers, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid Workshop.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्र. B-3431-दो-2-45/2015.—श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 मई से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-21-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4429-दो-2-5/2004.—श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, प्रिसिपल रजिस्ट्रार (जे.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिवस के अवकाश (पूर्ववर्ती एवं पश्चात्वर्ती सार्वजनिक अवकाश सहित) के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3:(ए)19-03-21-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4431-दो-2-58/2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 05 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक

9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्र. E-4578-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का एक दिन का तथा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का कुल ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 29 जून 2017

क्र. B-3527-दो-2-27-2017.—डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 09 से 16 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. ओ. पी. तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ओ. पी. तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4567-दो-2-24-2015.—श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सीहोर को दिनांक 27 से 30 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद युसुफ मंसुरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4571-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 02 से दिनांक 4 फरवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभावरी जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2017

क्र. B-3533-दो-2-11/2014.—श्री व्ही. एल. झा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15

जबलपुर, दिनांक 23 जून, 2017

क्र. 815-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

| क्रमांक | नाम             | कहां से | कहां को | पदस्थापना के<br>जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के<br>संदर्भ में टिप्पणी                       |
|---------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)             | (3)     | (4)     | (5)                         | (6)                                                                   |
| 1.      | श्री मनोज कुमार | बड़वानी | डबरा    | ग्वालियर                    | द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की<br>हैसियत से रिक्त न्यायालय में। |

क्र. 817-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

| क्र. | नाम                                                                                                               | कहां से   | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | (2)                                                                                                               | (3)       | (4)     | (5)                      | (6)                                                                                                                                                 |
| 1.   | श्री रहस बिहारी गुप्ता                                                                                            | सीधी      | रीवा    | रीवा                     | सिविल जिला, रीवा।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर।                                                        |
| 2.   | श्री बिपिन बिहारी शुक्ला                                                                                          | कटनी      | विदिशा  | विदिशा                   | सिविल जिला, विदिशा।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती विभावरी जोशी के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर। |
| 3.   | श्री बीरेन्द्र एस.<br>पटेलार,<br>अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम,<br>होशंगाबाद के पद से प्रतिनियुक्ति<br>से लौटने पर। | होशंगाबाद | अशोकनगर | अशोकनगर                  | सिविल जिला, अशोकनगर।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती सुनीता यादव के स्थान पर।                                                       |
| 4.   | श्री अनिल कुमार मोहनिया                                                                                           | बैतूल     | कटनी    | कटनी                     | सिविल जिला, कटनी।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।                                                                       |
| 5.   | श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे,<br>अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम,<br>कटनी के पद से प्रतिनियुक्ति से<br>लौटने पर।        | कटनी      | बड़वानी | बड़वानी                  | सिविल जिला, बड़वानी।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।                                                                    |
| 6.   | श्रीमती शशिकला चन्द्रा                                                                                            | खण्डवा    | हरदा    | हरदा                     | सिविल जिला, हरदा।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री शम्भू सिंह रघुवंशी के स्थान पर।                                                      |
| 7.   | श्री राकेश कुमार सिंह                                                                                             | रीवा      | शहडोल   | शहडोल                    | सिविल जिला, शहडोल।<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री प्रद्युम्न सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर।  |

| (1) | (2)                     | (3)     | (4)    | (5)    | (6)                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | श्रीमती सुनीता यादव     | अशोकनगर | दतिया  | दतिया  | सिविल जिला, दतिया.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मीना सिंह के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर.      |
| 9.  | श्री शम्भू सिंह रघुवंशी | हरदा    | खण्डवा | खण्डवा | सिविल जिला, खण्डवा.<br>जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री आर. के. एस. गौतम के दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त होने वाले पद पर. |

क्र. 818-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 95, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 99, क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

### सारणी

| क्रमांक | नाम                       | कहां से | कहां को   | सत्र खण्ड | न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी                                                         | विशेष न्यायालय का नाम |
|---------|---------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1)     | (2)                       | (3)     | (4)       | (5)       | (6)                                                                                    | (7)                   |
| 1       | श्री अनिल कुमार गुप्ता    | गुना    | बैतूल     | बैतूल     | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अनिल कुमार मोहनिया स्थान पर.         | बैतूल                 |
| 2       | श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल | आष्टा   | खण्डवा    | खण्डवा    | पीठासीन अधिकारी, अनन्य विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती शशिकला चन्द्रा के स्थान पर. | खण्डवा                |
| 3       | श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर | जबलपुर  | होशंगाबाद | होशंगाबाद | पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती रश्मि अग्रवाल के स्थान पर.        | होशंगाबाद             |

क्र. 819-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

| क्रमांक | नाम                         | कहां से | कहां को | पदस्थापना के जिले का नाम | न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी                                                            |
|---------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                         | (3)     | (4)     | (5)                      | (6)                                                                                                     |
| 1.      | कुमारी भावना साधो           | भोपाल   | मण्डला  | मण्डला                   | प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंडला के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मंडला की हैसियत से। |
| 2.      | श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा | शाजापुर | शहडोल   | शहडोल                    | द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।                                    |
| 3.      | श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह   | लखनादौन | सौंसर   | छिन्दवाड़ा               | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।                                        |

### टिप्पणी:—

- (1) श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर,
- (2) श्रीमती शालिनी शर्मा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनादौन, जिला सिवनी, का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्र. B-3487-दो-2-38-2017.—श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 29 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री समरेश सिंह कुशवाह, डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समरेश सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर, के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3493-दो-2-73-2015.—श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 08 से 11

अगस्त 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अगस्त 2017 से दिनांक 15 अगस्त 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (डी.ई.) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
यू.एस.दुबे, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2017

क्र. बी-3424-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री राजेश कुमार रावतकर, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, छिंदवाड़ा, जिनको अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त प्रत्येक माह में दो सप्ताह की अवधि के लिए सौंसर, जिला छिंदवाड़ा में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करने हेतु निर्देशित किया गया है, अब अपनी पदस्थापना के स्थान, छिंदवाड़ा में ही बैठक करेंगे। छिंदवाड़ा-सौंसर श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है।

No. B-3424.-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Rajesh Kumar Rawatkar, III Additional District Judge, Chhindwara, who is directed to hold sitting at Saunsar in addition to his place of posting, Chhindwara for a period of two weeks in a month will now hold sitting at

his place of posting, Chhindwara only. The sitting of Chhindwara-Saunsar Link Court is hereby discontinued.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

फा. क्र. 1-2017-इक्कीस-ब(एक)2469.—राज्य शासन, एतद्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 मई 2017 को मान्य करते हुए श्री गिरीश कुमार शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आष्टा जिला सीहोर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम-14(क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 16(क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग-पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2017 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव।